महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 6 दिसंबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

अमेरिका के पर्ल हार्बर में गोलीबारी

'सुरक्षित हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

अमेरिका के पर्ल हार्बर में हुई गोलीबारी में भारतीय वायुसेना प्रमुख एअर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया सुरक्षित बताए गए हैं। भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा, 'वायुसेना प्रमुख और उनका दल सुरक्षित है।'

अमेरिकी नौसेना के पर्ल हार्बर शिपयार्ड में बुधवार को एक अमेरिकी नाविक ने गोलीबारी कर दो लोगों की जान ले ली, जबकि एक अन्य को घायल कर दिया। बाद में हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

नौसैन्य अड्डे पर अंधाधुंध गोलीबारी, दो की हत्या, हमलावर भी ढेर

पर्ल हार्बर के वायुसेना अड्डे पर सम्मेलन में भारतीय वायुसेना प्रमुख समेत 20 देशों के कमांडर थे मौजूद

गोलीबारी ओहाऊ के दक्षिणी तट स्थित नौसैन्य अड्डे के दक्षिणी प्रवेश द्वार के पास हुई। यह अमेरिकी नौसेना और वायुसेना-दोनों का अड्डा है। इस घटनाक्रम को लेकर भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता ने बयान जारी कर एअर मार्शल भदौरिया के सुरक्षित रहने के बारे में जानकारी दी। वायुसेना प्रमुख भदौरिया हिंद- प्रशांत क्षेत्र में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर **बाकी पेज 8 पर**

बलात्कार पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश

उन्नाव में घटना, 90 फीसद जली; दिल्ली लाई गई

उन्नाव/लखनऊ/नई दिल्ली, 5 दिसंबर (जनसत्ता/भाषा)।

तेलंगाना में एक महिला को बलात्कार के बाद जिदा जलाए जाने की वारदात पर देश का गुस्सा अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गुरुवार तड़के एक बलात्कार पीड़िता को आग के हवाले कर देने की खौफनाक घटना के बाद उसे एअरलिफ्ट कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ले जाया गया है। मंडल आयुक्त मुकेश मेश्राम ने बताया कि करीब 90 फीसद तक झुलस चुकी युवती को लखनऊ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर बेहद नाजुक हालत के मद्देनजर उसे देर शाम एअरलिफ्ट कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग ने वारदात का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह को नोटिस जारी कर उनसे रिपोर्ट तलब की है। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि युवती ने शिवम और शुभम नामक युवकों पर 12 दिसंबर 2018 को बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

युवती मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में रायबरेली रवाना होने के लिए सुबह चार बजे रेलवे स्टेशन जा रही थी कि तभी रास्ते में बिहार-मौरांवा मार्ग पर शिवम और शुभम ने अपने साथियों की **बाकी पेज 8 पर**

पीड़िता ने एसडीएम दयाशंकर पाठक के सामने दिए बयान में बताया वह मामले की पैरवी के लिए रायबरेली जा रही थी। तब पहले से मौजूद गांव के हरिशंकर त्रिवेदी, रामकिशोर त्रिवेदी, उमेश बाजपेयी और बलात्कार के आरोपित शिवम त्रिवेदी व शुभम त्रिवेदी ने उस पर हमला कर दिया और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि शिवम और शुभम त्रिवेदी ने दिसंबर 2018 में उसे अगवा कर उससे बलात्कार किया था। हालांकि इस संबंध में प्राथमिकी मार्च में दर्ज की गई थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वारदात का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट तलब की है।

मौके पर पुलिस अधिकारी

उन्नाव कांड पर संसद में हंगामा

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (ब्यूरो)।

उन्नाव की घटना पर गुरुवार को राज्यसभा में सांसदों ने हंगामा किया। हंगामा करने वाले दलों में कांग्रेस, सपा और राकांपा शामिल थे। इस वजह से **बाकी पेज 8 पर**

यूं लाया गया सफदरजंग

नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

उन्नाव बलात्कार पीड़िता को गुरुवार शाम सफदरजंग **बाकी पेज 8 पर**

मालदा में महिला का जला हुआ शव मिला

मालदा, 5 दिसंबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आम के एक बाग में बृहस्पतिवार को एक युवती का जला **बाकी पेज 8 पर**

महंगाई ने चिंता बढ़ाई, रेपो दर में नहीं किया बदलाव

रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि अनुमान घटाया

मुंबई, 5 दिसंबर (भाषा)।

उद्योग व पूंजी बाजार की उम्मीदों को झटका देते हुए रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा में अपनी नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। आर्थिक वृद्धि की गति सुस्त पड़ने के बावजूद केंद्रीय बैंक ने महंगाई बढ़ने की चिंता में रेपो दर को 5.15 फीसद के पूर्व स्तर पर बरकरार रखा। इससे पहले लगातार पांच बार रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कुल मिलाकर 1.35 फीसद की कटौती की।

केंद्रीय बैंक ने 2019-20 के लिए आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को पहले के 6.1 फीसद से घटाकर पांच फीसद कर दिया। इस साल की शुरुआत से ही केंद्रीय बैंक आर्थिक वृद्धि के अनुमान को लगातार कम करता रहा है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल में पेश मौद्रिक समीक्षा में आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.2 फीसद रखा गया था। केंद्रीय बैंक ने साथ ही कहा है कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वह भविष्य में अपने रुख को उदार बनाए रखेगा।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने एक मत से रेपो दर को 5.15 फीसद और **बाकी पेज 8 पर**

ब्याज दरों में लगातार कटौती करते रहने के बजाय समय अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। 1.35 फीसद की कटौती का पूरा असर आने दीजिए। इस समय जरूरत इस बात की है कि जो अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर करने के उपाय किए जाएं, जिनकी वजह से निवेश रुका हुआ है।
-शक्तिकांत दास, गवर्नर रिजर्व बैंक

आरबीआइ का नए प्रीपेड कार्ड का प्रस्ताव

मुंबई, 5 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को एक प्रीपेड भुगतान कार्ड लाने का प्रस्ताव किया जिसका इस्तेमाल 10 हजार रुपए तक के माल व सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकेगा।

चालू वित्त वर्ष की पांचवी द्विमासिक मौद्रिक नीति **बाकी पेज 8 पर**

क्या होती है रेपो व रिवर्स रेपो दर

रेपो दर वह दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी त्वरित नकदी जरूरतों के लिये केंद्रीय बैंक से नकदी प्राप्त करते हैं जबकि रिवर्स रेपो दर के तहत केंद्रीय बैंक, प्रणाली में अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से नकदी उठाता है। अर्थशास्त्रियों और बैंकों के साथ-साथ उद्योग जगत व निवेशकों को उम्मीद थी की सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि को थामने के लिए रिजर्व बैंक रेपो दर में लगातार छठी बार कटौती कर सकता है।

आर्थिक वृद्धि दर

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर छह साल के निम्न स्तर 4.5 फीसद पर पहुंच गई। एक साल पहले इसी तिमाही में यह वृद्धि सात फीसद रही थी।

आर्थिक वृद्धि में गिरावट के विपरीत अक्तूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 4.6 फीसद पर पहुंच गई। यह 16 माह में सबसे ऊंची दर रही है। मुद्रास्फीति की यह दर रिजर्व बैंक के अनुमान से काफी ऊंची रही है।

पंजाब वीडियो : मंत्री कर रहे थे 'काली दवा' के फायदे की बात

चंडीगढ़, 5 दिसंबर (भाषा)।

पंजाब सरकार के दो जनसंपर्क अधिकारी एक वीडियो जारी होने के कारण मुसीबत में फंस गए हैं। इस वीडियो में कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ मंत्री मादक पदार्थों की बात कर रहे हैं।

वीडियो में सुनाई दे रहा है कि लोग 'काली दवाई' की बात कर रहे हैं जिसका अक्षरशः अनुवाद है 'ब्लैक मेडिसिन'। एक मंत्री ने बाद में हालांकि कहा कि 'हल्की फुल्की' चर्चा मादक पदार्थों के बारे में बिल्कुल नहीं थी। माना जा रहा है कि इस क्लिप को म्यूट करके वायरल किया जाना था जो दो दिसंबर को होने वाली बैठक के ठीक पहले रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस क्लिप को ऑडियो के साथ ही अपलोड कर दिया गया।

अधिकारियों से हुआ जवाब-तलब, सरकार को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी

वीडियो में सुनाई दे रही बातचीत के संबंध में लोग अपने-अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह बातचीत मादक पदार्थ के बारे में है।

इस वीडियो से राज्य सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अन्य समस्याओं के साथ राज्य नशे की समस्या से भी जूझ रहा है। पिछले साल चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद वह एक हफ्ते के भीतर नशे की समस्या को **बाकी पेज 8 पर**

वकील को अवमानना की धमकी मामले में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने मांगी माफी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने गुरुवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा से अनुरोध किया कि वकीलों के साथ बात करते समय वे थोड़ा संयम बरतें। न्यायमूर्ति मिश्रा ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में दलीलें पेश कर रहे एक वरिष्ठ वकील को अवमानना कार्यवाही की धमकी दी थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एमआर शाह के पीठ के समक्ष वकीलों - कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार खन्ना ने इस मुद्दे का जिक्र किया।

न्यायमूर्ति मिश्रा मंगलवार को भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में दलीलें पेश कर रहे एक वरिष्ठ वकील को अवमानना कार्यवाही की धमकी दी थी।

मालूम है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले में वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। इसी दौरान न्यायमूर्ति मिश्रा ने उन्हें अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी थी। इन वकीलों द्वारा इस मामले का जिक्र किए जाने पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि वे किसी भी अन्य न्यायाधीश के **बाकी पेज 8 पर**

पीएनबी घोटाला : नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

मुंबई, 5 दिसंबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर यहां स्थित एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुरुवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया।

विजय माल्या के बाद नीरव मोदी दूसरा ऐसा कारोबारी है जिसे नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। यह अधिनियम पिछले साल अगस्त में प्रभाव में आया था। विशेष धनशोधन रोकथाम कानून अदालत के न्यायाधीश वीसी बरदे ने हीरा कारोबारी और **बाकी पेज 8 पर**

विजय माल्या के बाद नीरव मोदी दूसरा ऐसा कारोबारी है जिसे नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है

नागरिकता विधेयक पर सरकार को घेरने की तैयारी

12 विपक्षी दलों ने तय किया आठ सूत्रीय एजंडा

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (भाषा)।

सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश किए जाने की तैयारी के बीच कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों ने गुरुवार को बैठक की और इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिए आठ सूत्रीय एजंडा तय किया।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने संसद भवन परिसर में विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक कर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, सपा, आम आदमी पार्टी सहित 12 विपक्षी दलों के नेता शामिल थे।

सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों की बैठक में नागरिकता विधेयक के मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिए आठ सूत्रीय एजेंडे पर सहमति बनी। विपक्षी दलों के एजंडे में यह बात शामिल है कि यह विधेयक उन सिद्धांतों के खिलाफ हैं जिनकी राष्ट्र निर्माताओं ने कल्पना की थी। साथ ही नागरिकता के लिए कई ऐसी बुनियाद रखी जा रही है जो संविधान के विरुद्ध है। बैठक में शामिल नेताओं के बीच यह राय बनी कि सरकार एनआरसी को लेकर अपनी विफलता छिपाने और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक को लाई है।

आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार यह विधेयक उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों लोगों को **बाकी पेज 8 पर**

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने संसद भवन परिसर में विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक कर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर रणनीति पर चर्चा की।

दरअसल

मुंबई हमले में जीवित बचा था बच्चा

प्रेरक पत्र

दादा ने कहा, खत ने दिल छू लिया

प्रधानमंत्री का संदेश पाकर 'भावुक' हुआ मोशे

यरुशलम, 5 दिसंबर (भाषा)।

साल 2008 में हुए मुंबई हमले में अपने माता-पिता को खो चुके इजराइली बालक मोशे होल्ट्जबर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पाकर भावुक हो उठा। पत्र में मोदी ने किशोर की कहानी को 'चमत्कार' के समान बताया जो लगातार हर किसी को प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री ने यह पत्र मोशे के 'बार मित्जवाह' समारोह पर भेजा है, जो रविवार को आयोजित हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने मोशे को भेजे पत्र में लिखा, 'यह एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का क्षण है और आपकी जीवन यात्रा में एक अहम पड़ाव है। सैंड्रा का साहस और भारत के लोगों की दुआएं आपको लंबी उम्र, स्वस्थ एवं सफल जीवन का आशीर्वाद देती रहेंगी। आपकी कहानी हर किसी को प्रेरित करती रहेगी। यह एक चमत्कार है और उम्मीद करता हूं कि इस त्रासदी से हुई अपूरणीय क्षति से आप उबरेंगे।' यहूदी बच्चों के 13 साल की उम्र का होने पर 'बार मित्जवाह' आयोजित किया जाता है। कुछ यहूदी विद्वान इसकी तुलना हिंदुओं में होने वाले 'उपनयन' (यज्ञोपवीत संस्कार) से करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 28 नवंबर को मोशे 13 साल का हो गया।

मोशे के दादा रब्बी शिमॉन रोजेनबर्ग ने कहा, 'मोदी (प्रधानमंत्री) के पत्र ने मोशे के दिल को छू लिया। भारत जैसे बड़े देश के नेता अगर इस तरह का भावपूर्ण पत्र भेजते हैं तो यह मोशे को बहुत मजबूती देने वाला है। कार्यक्रम में भारतीय राजदूत को अपनी पूरी टीम के साथ देख वह बहुत खुश हुआ।' भारत के इतिहास में सबसे भीषण आतंकवादी हमलों में शुमार 26 नवंबर, 2008 के मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे।

आतंकवादियों ने नरीमन हाउस (चाबाड हाउस) को भी निशाना बनाया था जहां मोशे के माता-पिता रब्बी गैब्रिएल और रिवका होल्ट्जबर्ग समेत छह यहूदी मारे गए थे। मुंबई हमले के दौरान अपने मृत माता-पिता के शव के पास खड़े होकर रोते-बिलखते मोशे को उसकी नैनी सैंड्रा सैमुएल्स ने बचाया था। नन्हे मोशे को अपने सीने से चिपकाए सैंड्रा की इस तस्वीर ने दुनियाभर में लाखों लोगों के दिलों को छुआ था।

मुंबई हमले के दौरान अपने मृत माता-पिता के शव के पास खड़े होकर रोते-बिलखते मोशे को उसकी नैनी सैंड्रा सैमुएल्स ने बचाया था। नन्हे मोशे को अपने सीने से चिपकाए सैंड्रा की इस तस्वीर ने दुनियाभर में लाखों लोगों के दिलों को छुआ था।

भारत के इतिहास में सबसे भीषण आतंकवादी हमलों में शुमार 26 नवंबर, 2008 के मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे।

फाइल फोटो

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Yudhbir Singh Declared That My Name In The Service-Document Is Youdhbir Singh Which Is Wrong.My Correct-Name Is Yudhbir Singh S/O-Alam Singh R/O-V/Po-Dharasu, Dist-Pauri Garhwal-Uttrakhand Should Be Known As Yudhbir Singh,For Future. 0040523116-8

I,Vishal Kumar Agarwal S/o Damodar Prasad Agarwal,R/o C-4,Pocket-1,Kendriya Vihar-2, Sector-82,Noida-201304,Gautam Buddha Nagar,(U.P.),have changed my name from Vishal Agarwal to Vishal Kumar Agarwal for all future purposes. 0040523098-1

I,Soma Sundaram Vijayan and Soma Vijayan Chettiar S/o Late.Sundaram R/o-20/14, IIIrd-Floor, West-PatelNagar, NewDelhi-110008have changed my name to Soma Vijayan. 0040523145-1

I,Santosh Singh s/o Pyara Singh R/O-H.NO.50,Gali.No-2,Om Nagar,Sahibabad Ghaziabad,UP have changed my name to Santokh Singh for,all purpose. 0040523127-2

I,Sakshi Bakshi W/o Aman Bakshi R/o-B-371,Gali.No-4, Majlis-Park Adarsh Nagar, North-West Delhi-33,that my name has been Wrongly Written as Deepa Bablani in my Passport,and my Educational-Documents Deepti Bablani,the Actual Name of mine is Sakshi Bakshi 0040523083-1

I,Pavitra Soni, D/o Sanjay Soni, R/o 1002, Tower-7, Unitech Horizon, Sector-Pi II, Greater. Noida, U.P, do hereby Solemnly affirm & declare that my name in the Passport has been mentioned as Soni Pavitra Sanjay, where as it should have been Pavitra Soni. I Shall be known as Pavitra Soni for all purposes. 0040523113-1

I,Om Parkash Aggarwal S/O-Sunder Lal Aggarwal R/O-BM-4,BM-Block,East Shalimar Bagh,New Delhi-110088,Have Changed My Name To Om Parkash For All,Future Purposes. 0040523115-7

I,Naseeb s/o Ramesh Kumar R/O VPO Madhogarh Distt.Mahendergarh,HR,prese ntly at Delhi,have changed my name to Aditya Lamba for,all purpose. 0040523127-1

I,Deepanshi Rastogi W/o Monidh Singh R/o WZ-315/1, Second Floor,G-Block, Hari Nagar Extn., Jail Road, New Delhi, have changed my name after marriage as Deeanshi Arora for future purposes. 0040523089-1

I,Ashok Mittal,S/O-Roshan Lal,R/o-Plot.no.313,flat.no.-102, Gyankhand-1, Indirapuram,Ghaziabad-Uttar-Pradesh-201005.have change my name and shall hereafter be know as Ashok Kumar Aggarwal,for all future purpose. 0040523158-2

I, Vasudha D/O-Mr.Ashok G Wadekar, R/O-Flat.No.2148, Sector-B-2, Vasantkunj, Newdelhi-110070,Have Change My Name To Vasudha Wadekar,For All Purposes. 0040523115-1

I, hitherto known as Manpreet Sandhu,D/o Balwant Rai residing at-4/149, Gali.No-3, Lalita-Park, Laxmi-Nagar, Delhi-110092. Have changed my name and shall hereafter be known as Savita Rai. 0040523116-9

I, Vasudev Arjun Naresh S/0 Naresh Vasudev H.No.5316, Ward No16 Mohalla-Nalnanda Rewari Pincode-123401. Changed My Name To Arjun Vasudev. 0040523116-1

I, Tirlok Singh Rawat S/o-Rup Singh Rawat H.No.1587, Sector-16 Faridabad, Haryana-121002. Changed my name to Trilok Singh Rawat. 0040523116-5

I, Praveen Nishchal S/o-Vinod Nishchal R/o-H.No-202, block-4, First Floor Subhash Nagar New-Delhi-110027.have changed my name to Praveen Nischal. 0040523145-3

I, Puttan Khan Aboo Khan S/o Abbu Khan R/o-16/182, Block-16, Khureji-Vill., Geeta-Colony, Delhi-110031. Have changed my name to Puttan Khan. 0040523136-5

I, Rakhi Kochhar,D/o Suresh Kochhar R/o-H.No.1/119, Sadar-Bazar Delhi. Cantonment-110010. Have changed my name to Raakhee Kochhar. 0040523136-7

I, Devandar Singh S/o Shri Sita Ram R/O-H.No-79, Rasulpur Delhi-110081, have changed my name to Devender. 0040523136-6

I, Rekha Rathore D/o Ram Singh W/o Rituraj Charan R/o Hanwant A, Plot No. 205, Gali No.3, BJS Colony, Jodhpur-342006 have changed my name and shall hereafter be known as Suman Khiriya. 0070686822-1

I, Tanya Agnihotri w/o Himanshu Agnihotri R/O F-32, Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Vandna Agnihotri.0040523111-1

I, Sumit Kumar Panchal S/o Jagroshan Lal R/o Flat No. 1101, 10th/f, Plot No. 3A, The Naval Technical Officers CGHS Ltd, Phase-1, Sector-22, Dwarka, Bagdola, Raj Nagar-2, Delhi Cantonment, South West Delhi, Delhi-110077 have changed my name and shall hereafter be known as Sumit Kumar Dangi. 0070686813-1

I, Sumer Saini S/O Bharat Singh R/O-Hno.6, Garhshah Jahanpur, Sonipat-131001.Have Changed My Name To Sumer Singh. 0040523145-6

I, Subhash Chander S/o-Madan Lal Chanana R/o-M-458, 2nd-floor Guru-Har-Kishan-Nagar, Paschim-Vihar Sunder-Vihar, Delhi-87. informs that Subhash Chander and Subhash Chanana one and same person. 0040523116-10

I, Sooryakant Jogi S/o Komal Singh Jogi R/o 249, Ward no 08, Punjabi Para, Bemetara, Chhattisgarh-491335 have changed my name and shall hereafter be known as Jashwinder Singh.0070686763-1

I, Shreya,D/o Sh.Virender Kumar Bansal R/o-Flat.No.17/17,Tyoe-5, Rajpur-Road,Civil-Lines, Delhi-110054.have changed my name,from Shreya to Shreya Bansal,for allpurposes in future. 0040523115-9

I, Sharda W/o Shri. Nitin Kumar R/o D-231, Nawada Housing Complex, Dwarka More, New Delhi informs that Sharda & KM Sharda Kumari are one and same person for all future purposes. 0040523093-1

I, Savitri Mishra D/o Late Sh.Kishor Kumar Mishra R/o-House.No-18,Shani Market,Boudh Vihar,Vijay Nagar,Ghaziabad,UP,have changed my name to Savi Mishra,for all future purpose. 0040523115-6

I, Saurabh Soni S/o Raj Kumar Soni R/o House No.373, Sector-7, Plot no-5, Kamal Vihar, New Delhi-110075 have changed my name and shall hereafter be known as Sauraabh Soni. 0070686810-1

I, Saurabh Rathi S/o Sh. Raj Kumar Rathi R/o H.No. 26-A, Sadhna Enclave, Malviya Nagar, Delhi-110017 have changed the name of my minor daughter Tavisha S Rathi aged about 06 Years and she shall hereafter be known as Tavisha Rathi. 29/12/2013 0070686826-1

I, SAURABH SINGH alias SAURABH SINGHANIA S/o-CHANDRAPAL SINGHANIA R/o-113, New Arya-Nagar, Ghaziabad, U.P-201001, changed my name From SAURABH SINGH alias SAURABH SINGHANIA To SAURABH SINGHANIA. 0040523136-4

I, Pooja Gupta, W/o-Vishal Gupta, R/o-F-300, F-Block, Vikas Puri, NewDelhi-110018. In my Aadhar card my husband name wrongly-written as Vishal, but correct and full name is Vishal Gupta. 0040523136-3

I, Neeru Bala W/o Sh. Om Prakash R/o Flat No-36, PKT-E-1, Sector-15, Rohini, Delhi-110089 have changed my name from Neeru Bala to Neeru Nagpal for all future purposes. 0040523091-1

I, Naveen Kumar Bindra S/O, Lt. Sh. M.I. Bindra R/o B-1684, Shastri Nagar, Delhi-110052, have changed my name to Naveen Bindra for all purposes. 0040523143-1

I, Nadeem Ahmad S/O Ameen Ahmad R/O-H-No-510, Main-Road Jafrabad Delhi-110053. Have Changed My Name To Nadeem Ahmed. 0040523136-10

I, Manju Saini W/O Sumer Singh R/O-Hno-6, Garhshah, Jahanpur, Sonipat-131001. Have Changed My Name To Manju Devi. 0040523145-7

I, Lalit kumar S/o Hira Lal R/o E-140, 2nd Floor, Tagore Garden Extension, Tagore Garden, Delhi-110027, do hereby declare that name of my mother name has been wrongly written in 10th and 12th class marksheet and certificate. The actual name of my mother is Vidya Vati, which may be amended accordingly. 0070686756-1

I, Laxmi Kumari,D/o-Krishna Kant Singh R/o-F-7, Shalimar-Apartment,Masjid Moth, South-Extension Part-II,New-Delhi-110049.have changed my name to Laxmi Rajput.,for all future purposes. 0040523115-10

I, KM Mamata Pandey W/o Om Prakash Ojha R/o-FlatNo. F-402, Amrapali-Princely Estate, Sector-76, Gautambuddha-Nagar, Noida-201301. Have changed my name to Mamta Ojha. 0040523136-2

I, Anisha W/o Rajesh Aggarwal R/o-E-88A Vishnu-Garden New Delhi have changed my name to Deepika. 0040523128-1

I, Praveen kumar Aggarwal ,parveen aggarwal S/O-Tara Chand Aggarwal R/O-B.46. First-floor C.C.Colony Delhi-110007.have Changed My Name to PRAVEEN AGGARWAL. 0040523145-5

I Deepti Prakash D/O-Dharam Prakash, W/O-Mohit Saxena,R/O-Hig-Flat-113 Sector-A5 Pocket-13 Shanti-Apartment Narela Delhi-40,Have Changed My Name,From Deepti/Deepti Prakash Saxena To Deepti Prakash For All Future References.I Shall Be Known As Deepti Prakash In Future. 0040523115-8

I, Inderjit Kaur W/o Rajinder Pal Singh R/o L-2/56, New Mahavir Nagar, New Delhi, have changed my name to Inderjeet Kaur for all purposes. 0040523099-1

I, Honey Ahuja W/o-Kapil Makhijani D/o-Daulat Ram Ahuja R/o-B-1/134, Upper-Ground-Floor, Phase-2, Ashok-Vihar, Delhi-110052. Have changed my name to Tanya Makhijani. 0040523116-4

I, Harshit Mandotiya S/o Mohan Lal R/o-399, TF, Pkt-3, Paschim Puri, Delhi-63, have changed my name to Harshit Mandotia. 0040523116-2

I, Easwara Ghanapathi S/O Narayana Ghanapathi R/O-B-801, KrishanKunj-Apartment-Nasirpur Dwarka Sector-1A New-Delhi-110045.Changed My Name to Easwara Ghanapati. 0040523145-9

I, Diwakar Kumar S/o Sohan Lal R/o-36/77, Block-36, Trilokpuri, Delhi-110091, have changed my name to Diwakar Singh permanently. 0040523136-1

I, Bhisham Chawla alias Bhisham Chander Chawla S/o sh. Jagdish Chander R/o H-68, Gali No.5, H- Block, Shakarpur, Laxmi Nagar, Delhi-110092 have changed my name and shall hereafter be known as Bhisham Chander. 0070686757-1

I, Anil Dutt alias Anil Dutt Bhargava S/o Sh. Sis Ram R/o Old Rangpuri Road, H.No. 419, Rangpuri Village, South West Delhi, Delhi-110037 have changed my name and shall hereafter be known as Anil Dutt Bhargava. 0070686817-1

I, Ananya@ Ananya Sachdeva, D/o Sh. Anil Verma, R/o-C-57,Milan Apartment, Pitampura, Delhi-110034 have changed my name to Ananya for all purposes. 0040523145-4

I, Amit Maheshwari S/o Raj Kumar Maheshwari R/o-H.No.413, Sector-37 Faridabad, Haryana-121003. Have changed my name to Amit Mashesshwari 0040523136-8

I, Ajay Kumar S/o-Sri Hare Ram R/o-B-41, Trishul-Colony Chhawla-Village New-Delhi. Have changed my name from Ajay to Ajay Kumar for all future purposes. 0040523116-7

I, ADARSH KAUR GUJRAL alias ADARSH KAUR KAMRA alias ADARSH KAUR W/o,KANWAL NAIN SINGH D/o-INDERJEET SINGH R/oH.NO.C-1/43, Janakpuri, Delhi-110058, changed my name to ADARSH KAUR. 0040523136-3

I hitherto known as E.Daya Warrier,W/o.Sh.Kampala Sekharavarier Kalidas Residing at A-3/602,Block-4 Silver-Estate,Plot.No-F-29 Sector-50 Noida-201303.have changed my name and shall hereafter be known as Edakkunny Daya Warrier. 0040523145-10

I, Vikraditya Anand S/o Davinder Kumar Anand R/o C-46, Sector 39 Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201301, have changed my name to Vikramaditya Anand. 0070686760-1

I, Vikas B Singh S/O Shri Babban Singh R/O B-07 Ashoka Enclave-2 Sector-37 Faridabad-121003 Haryana presently at New Delhi have changed my name to Vikas Babban Singh for all purposes. 0040523115-5

I Satender S/O Banwari Lal R/O-8/123, Mehram Nagar Delhi Cantt Delhi-110037.Have Changed My Name To Satender Kumar. 0040523115-4

I, Ram Bharose S/o Late Sh. Prabhati Lal R/o D-6, 2nd Floor, MCD Officers Flats, R-Block, G.K.-1, R-Block Red Light, Greater Kailash, South Delhi, Delhi-110048 have changed my name to Ram Bharose Malavalia for all purposes. 0040523087-1

I, Naveen Kumar Bindra S/O, Lt. Sh. M.I. Bindra R/o B-1684, Shastri Nagar, Delhi-110052, have changed my name to Naveen Bindra for all purposes. 0040523154-1

I, Anish S/o Vikramjeet R/o-A/12, Vishnu-Garden, bajghera-Road, Gurgaon, Haryana have changed my name to Anish Kataria. 0040523116-6

I Manish Kumar,Resident of-RZ-243/5B RajNagar-II Palam-Colony, New-Delhi-110077.have changed my minor daughters name,from Shambhavi to Shambhavi Thakur and Sakshi to Sakshi Thakur vide-Affidavit no.IN-DL90070497062963R dated-30-Nov-19. 0040523145-2

I Hemlata W/o Kanhaiya Lal R/o B-63, Surat Vihar, Mubarak Pur Dabas, Delhi-110081, have changed my name to Lata 0070686800-1

I Beer Wati Devi W/O Satender Kumar R/O-8/123, Mehram Nagar Delhi-Cantt Delhi-110037.Have Changed My Name To Birmati. 0040523115-3

I, Kalpna Sharma W/O Mohit Kashyap R/O-H-373 NanakPura MotiBagh-2 New-Delhi-110021. Changed My Name To Kalpana Sharma. 0040523145-8

(ARMY No. 6487643K),Rank Hav/Clk(SD)MD Mokaddesh Ali Presently(Posted With HQ 22 Inf Dv,c/o-56,APO)Residing at Raja Bhawan, H.No.2,F/F,vill and-post Mahipalpur, Opp-SBI,New-Delhi-110037,declare that I,have changed my wife Rexona Begum D.O.B wrongly-written as-19-01-1978 in my Service-Record The correct and actual D.O.B as-09-01-1978 in all purposes. 0040523115-2

I, Chaman Yadav S/o Parmanand Yadav R/o H. No. 784, Near Jaina Market, Chakarpur(74), Chakkarpur, Gurgaon, Haryana-122002 have changed my name and shall hereafter be known as Chayan Yadav 0070686814-1

खोया+पाया

I, Tribhuwan gupta s/o shankar prasad gupta R/o-simraungadh municipality-bara nepal,have lost my original-certificate class-10nth year-2013 Rollno-8108927 CBSE-Delhi. 0040523128-8

I, jitender kumar S/o-jagdish prasad R/o-flat-134 CD-Block Shalimar-bagh,Delhi.have lost my original-certificate class-10th(2012) Rollno-8774908 class-12th(2015) Rollno-9717453 CBSE-Delhi. 0040523128-10

Lost Original Property Papers of Shop.No.3/32 Teliwara Chhota-Bazar Shahdara,Delhi-110032.,founder may inform Meenakshi#7011896082. 0040523128-7

PUBLIC NOTICE: Lost original conveyance deed Vasika No. 7838 Dated 22.01.1992 of House No. 204, Sector-17A, Gurugram. If found please contact Vivek Sahgal 9810128940 0050159419-1

I Ramesh Madan have lost property document Builder Buyer Agreement & other documents issued by M/s Ultra Home Construction (P) Ltd. Amrapali Patel Platinum (Consortium) Noida pertaining to Unit No. A-2202, Tower-A, 22nd Floor, in Amrapali Patel Platinum in Sector-119,Noida,U.P. which is owned & possessed by me & my wife Gori Madan. Finders may contact at Mobile No. 9873431499. 0040523087-2

I, ISHMEET Kaur saini,D/o-Mahinder pal Singh saini R/o-F.no-116 Dhurva-apartment cghs ltd plot.no-4 i.p.extention-patpaerganj Delhi-92have lost my original-certificate Class-10th year-2014 Rollno-8129372 CBSE-Delhi 0040523128-9

I, Kapil Gupta S/o-Bihari Lal Gupta, R/o-351 Main Kanti-Nagar, GaliNo.2 Delhi-110051.lost my X-Pass Certificate Year-1994 Roll. No.6104047 CBSE-Delhi 0040523128-6

I, Rahul kumar S/o-satender R/o-A-2/ 1279 j.j.colony madanpur khadar N.D-76.have lost my original-certificate Class-10th (2017) Rollno-8747528 Class-12th (2019) Rollno-9730749 CBSE-Delhi. 0040523128-5

I, SHIVAM S/o-Wazir singh R/o-h.no-206 Bajitapur Delhi-39.have lost my original-certificate class-10th year-2019 Rollno-8680799 CBSE-Delhi. 0040523128-3

I, Harvinder singh S/O Harjeet singh R/O St.no-34 house-21 Chandar-vihar Delhi.have lost my original-certificate Class-10th Year-2017 Rollno-8217086 CBSE-Delhi. 0040523128-4

PUBLIC NOTICE

This infrom the general public that Karur Vysya Bank having its branch at Janakpuri, New Delhi. Branch intends to accept the under mentioned property standing in the name of in the name of Smt. Anshu Singh w/o Shri Mahender Singh (ii) Smt. Seema Gupta w/o Shri Rajesh Gupta, As a security for a loan/credit facility represented by one of its customers.

In case anyone has got any right/title/interest/ claims over the under mentioned property, they are advised to approach the Bank within 10 days along with necessary proof to substantiate there claim.

If no response is received within 10 days, it is presumed that the property is free of any charge/ claim/ encumbrance and Bank shall proceed with the mortgage.

Detail of property:

ENTIRE SECOND FLOOR PORTION BEARING NO. 5114/2, WITH ITS ROOF RIGHTS UPTO SKY AREA MEASURING 154.66 SQ.METER, WHICH IS PART OF PROPERTY BEARING MUNICIPAL PART NO. 5114/2, SITUATED AT HARPHOOL SINGH BUILDING, NEAR CLOCK TOWER, SUBZIMANDI, DELHI-110007. OUT OF WHICH ONE OF OUR CUSTOMER INTENDED TO PURCHASE HALF PORTION AT THE REAR SIDE OF THE PROPERTY.

Branch Detail/Contact No:- 8510064114, 011-25541002- Ankit Kedia, B1/513, Near District Center, Janakpuri, Delhi-110058

Sd/-
Sri Krishan Mittal (Advocate)
Ch. No. 526, Rohini courts, Delhi-85

SKM3 X6hRKD(6)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **ATUL GARG** son of Shri **RAM GOPAL**, residing at 8/946, Gali No.8, Govind Puri, Kalkaji, Delhi-110019, declare that the name of mine and my father has been wrongly written as **ATUL KUMAR/ATUL KUMAR AGARWAL/** and RAM **GOPAL GARG/ RAM GOPAL AGARWAL** in my PAN Card/ Aadhaar Card/Passport/Driving License and other documents. The actual name of mine is **ATUL GARG**, and my father's actual name is **RAM GOPAL**, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ATUL GARG
[Signature]

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **RAJNARAYAN TIWARI** son of Shri **SHITALA DIN TIWARI**, residing at Shiv Mandir, NCERT Type-III, Delhi, declare that name of my father has been wrongly written as **SHITALA PRASADTIWARI** in my PAN Card. The actual name of my father is **SHITALA DIN TIWARI**, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJNARAYAN TIWARI
[Singnature]

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Punam Srivastava w/o Virendra Kumar resident of 7949, Gali No-6, Arakashan Road Pahar Ganj New Delhi-110055, disowned her son YOGESH SRIVASTAVA and his wife CHANDA & their son MRIDUL & younger son YASHASWIN SRIVASTAVA his wife TEENA SRIVASTAVA,** from her family's all movable immovable properties as they have abusing and quarreling with my client and other family members, my client have broken all relations from them. My client have no concern with any liabilites or any transactions belongs to them in any manner.

Sd/-
G.L. GOSWAMI (Advocate)
3530, QUTAB ROAD, Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Abdul Khaliq Shaikh s/o Mohd. Nasir & Smt. Shahnaz Begum w/o Shri Abdul Khaliq Shaikh, both residents of T-386, Chamelian Road Ahata Kidara Bara Hindu Rao Delhi-110006, disowned their unmarried son Mohammad Adil Shaikh, from their all moveable immoveable properties as he is abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from him and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to him in any manner.

Sd/-
G. L. GOSWAMI (Advocate)
3530, QUTAB ROAD, DELHI-110006

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुव्वकिल जयंती प्रसाद शर्मा पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा, 1बी-86, जैन कालोनी, (नानेश इंक्लेव) बावना रोड, बरवाला, दिल्ली-110039 ने अपनी पुत्री चांदनी व उसके पति विनय कुमार उर्फ बिट्टू से उनके दुर्व्यवहार व नियंत्रण से बाहर होने के कारण अपने सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर उनको अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। उनके किसी भी कृत्य या लेन देन के लिये मेरा मुवक्किल व उसका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

हस्ता./-
ललित कुमार रावल (एडवोकेट)
चैम्बर नं.-282, पटियाला हाउऊस कोर्ट
नई दिल्ली-110001

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल जुगल किशोर रावत एवं सुशीला रावत निवासी सी-10/149, यमुना विहार दिल्ली-53 ने अपने पुत्र अभिषेक रावत को उसके बुरे बर्ताव के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बध-विच्छेद कर लिये हैं। भविष्य में मेरे मुवक्किल उसके किसी कार्य हेतू जिम्मेदार नहीं होंगे।

हस्ता./-
सुरेश चन्द्र भंसाली
एडवोकेट
En. No. D-441/11

PUBLIC NOTICE

PUBLIC AT LARGE IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT MOHD. AKHILAQUE S/O MOHD. HAJI ELYAS, R/O 14-A, BHARAT NAGAR, N.F.C., NEW DELHI, HAS SEVERED ALL HIS RELATIONS WITH HIS SON MEHMOOD MALIK AND DISOWNED HIM FROM ALL HIS MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES. MY CLIENT IS NOT HAVING ANY RELATION WITH MEHMOOD MALIK FOR THE LAST ABOUT 05 YEARS. ANY PERSON DEALING WITH MEHMOOD MALIK SHALL BE DOING SO AT HIS/HER/THEIR OWN RISK AND CONSEQUENCES AND MY CLIENT SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY ACTS, DEEDS AND MISDEEDS OF MEHMOOD MALIK

Sd/-
(Asim Ali)
Advocate
Ch. No. 371,
Patiala House Courts, New Delhi

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I MOMIN ARA W/O ZUBER residing at H NO-224, H-Block, Janta Mazdoor Colony, Delhi-110053, declare that name of mine has been wrongly written as GUDIYA in my minor son 7 year Azmat Mohd Khan in his Birth Certificate. The actual name of mine is MOMIN ARA respectively Which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in the connection.

PUBLIC NOTICE

Notified to the public that my clients Shri Asgar Ali Khan S/o Sh. Zahid Ali Khan, & Mrs. Nigar Fatima wife of Shri Asgar Ali Khan, both R/o H. No. 64, S.F., Ghafoor Nagar, Jamia Nagar, New Delhi-110025, and their daughters and son, have got no connection of whatsoever nature with Shri Shamshad son of Sh. Zahid Ali Khan and his wife Mrs. Nargis Jahan D/o Sharafat Ali Khan. My aforesaid clients have severed all their relations, connections of whatsoever nature with aforesaid Shri Shamshad and Mrs. Nargis Jahan, who have not been living with my clients for the last several months. Any person dealing with them shall do so on his own risks and consequences.

Sd/-
(R.D. Vats)
Advocate
(M) 9810390498
Ch. No. 668, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that two properties i.e. First Floor admeasuring 182.576 sq. mts. constructed over Plot bearing No. C-42, Block C, area admeasuring 414 sq. mts. situated in Rosewood City, Sector 49-50, Gurugram purchased by our clients Mrs. Shashi Aggarwal W/o Mr. Ashok Aggarwal & Mr. Ashok Aggarwal S/o Late O P Aggarwal and First Floor admeasuring 182.576 sq. mts. constructed over Plot bearing No. C-43, Block C, area admeasuring 414 sq. mts. situated in Rosewood City, Sector 49-50, Gurugram purchased by our clients Mr. Nitin Aggarwal S/o Mr. Ashok Aggarwal & Mr. Ashok Aggarwal S/o Late O P Aggarwal, all residents of S-48, Greater Kailash II, New Delhi 110048 from Mrs. Esha Gupta W/o Mr. Sachin Gupta resident of B-107, Suncity, Sector-54, Gurugram vide two independent Agreement to Sell, both dated 17.12.2014, and our clients already have timely paid the entire sale consideration to Mrs. Esha Gupta who has duly received the same.

We wish to caution the general public that any deal / transaction and negotiations for the sale and or transfer of aforesaid properties with said Mrs. Esha Gupta W/o Mr. Sachin Gupta or any other person other than our client, shall be illegal and all such transactions, if any, shall be void ab-initio and should any person come across any such offer or have any information regarding offer for sale of the aforesaid properties, is hereby required to immediately contact our clients at nitinagg75@hotmail.com and / or at (+91) 9810053670 so that they can take appropriate action.

RAJ VARDHAN (Advocate)
C 251, Lower Ground Floor, Safdarjung Development Area, New Delhi 110016

कैंटीन की सबसिडी छोड़ने को राजी हुए सांसद

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (भाषा)।

सांसदों ने संसद की कैंटीन में खाद्य वस्तुओं पर मिलने वाली सबसिडी को छोड़ने का सर्वसम्मति से निर्णय किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद किया गया। सबका मानना है कि इतनी अधिक सबसिडी उपयुक्त नहीं है। सब्सिडी समाप्त होने से सालाना 17 करोड़ रूपए बचाया जा सकेगा। यह निर्णय लागू होने के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतें लगभग दोगुनी हो जाएंगी। संसद भवन के कैंटीन में मिलने वाली सबसिडी लंबे समय से विवादास्पद मुद्दा रही है और कुछ वर्ष पहले इसमें कटौती की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद कार्य मंत्रणा समिति में विभिन्न दलों के नेताओं ने सबसिडी समाप्त करने के संबंध में निर्णय किया। भाजपा नेता और कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य राजीव प्रताप रूडी ने कहा, 'स्पीकर की पहल पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया। सांसदों का मत है कि यह उपयुक्त नहीं है।' इसमें 17 करोड़ रुपए की सबसिडी में से 14 करोड़ रुपए अभी संसद कर्मचारियों और वहां आने वाले अन्य लोगों के मद में जाता है जबकि तीन करोड़ रुपए सांसदों के मद में जाता है।

PUBLIC NOTICE

My client's Sh. Praveen Dhingra, S/o Lt. Sh. M.L. Dhingra, R/o 43/15-16, Upper Ground Floor, Ramesh Nagar, New Delhi, debar/Disown their Son Sh. Pranav Dhingra and his wife, Ms. Swati Dhingra, from all his movable and immovable properties due to their disrespectful behavior and irresponsible conduct towards my client's My client's has also severed all his relations with them. If anybody deals with them in any manner he/she/ shall do so at his/her own risk, cost and consequences. My client's shall not be liable and responsible for the same in any manner.

Sd/-
PRASHANT BATRA
(ADVOCATE)
D731/03

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that my client Mr. Rakesh Chawla S/o Ramsaran Dass Chawla R/o B-3/30A, Lawrence Road, Keshav Puram, Delhi-110035 has misplaced/lost the Original DDA Allotment Letter, Demand Letter, DDA Possession Letter, NOC for Water & Electricity connection, Site Possession, complete DDA Chain and Allotee Chain, Agreement to Sell, GPA, SPA Receipt, Will, Affidavit, etc. Documents in respect of Property No.B-3/30A, Lawrence Road, Keshav Puram, Delhi-110035 and my client has lodged an FIR/NCR vide LR No. 1941465/2019 Dated 30.11.2019, with Police Station Crime Branch, Delhi. If anybody finds the said documents, please inform the Owner at the above said address or Ph. No. 8800367989 or to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice.

Sd/-
SURENDER KUMAR (ADVOCATE)
En. No. D/152/88

PUBLIC NOTICE

Public at large hereby informed that my clients Mr. Ramjiwan Prasad Barnwal and his wife Mrs. Vidyawati Devi both R/o B-35, Panchsheel Enclave, New Delhi- 110017, have severed all relations & disowned their son Sanjay Barnwal and their daughter Neena Barnwal W/o Abhinaw Prasad from their all movable, immovable properties as their behavior is disobedient and disrespectful. They are barred to interfere or create any legal hindrance in personal or collective decisions of my clients.

Sd/-
Vikas Singh (Advocate)
Chamber No. 479, IV Floor, Lawyers Block, Saket Courts Complex, New Delhi- 110017.

PUBLIC NOTICE

Objections, If any, against transfer of H. No. 51, First Floor, Pocket-6, Sector-21, Rohini, Delhi-110086, are invited from general public, which is intended to be purchased by my client Sh. Manjeet Singh S/o Sh. Dilwar Singh from Sh. Mohit Bhasin S/o Shiv Nath Bhasin R/o H.no.26, Second floor, Sector-5, Vaishali, Ghaziabad, U.P.-201001, who is an absolute and legal owner, and in possession of above given property. Any person having any adverse claim in the proposed transaction may submit objection with supporting documents within 15 days of publication of this notice, to the undersigned.

Kamal Singh (Advocate)
Ch.no.512, Rohini Courts, Delhi-85

अदालती सूचना

NOTICE
(to General public at large)
In re:
MOHAN LAL & ORS.
VS
MS. PANCHI DEVI & ORS
Execution No. 62316/16
Next Date: 07.12.2019

It is hereby informed to the general public at large and to all whom it may concern that the above stated case has already been decided by the court on merit and execution is pending before the court of undersigned, i.e., Sh. Ajay Nagar, CCJ-Cum-ARC, West, Room no 255, Tis Hazari Courts Complex, Delhi in respect of suit property bearing no. 17/136-B, Than Singh Nagar, Anand Parbat New Delhi and the next date of hearing in the aforementioned execution is 07.12.2019.

If any person has any objections or has any right to aver or has any objections in the execution petition, he/she may file the appropriate application before the Court of undersigned at the earliest but not beyond the period of 30 days from the date of affixation/publication of the notice failing which no further objections/defence/applications in the present execution shall be entertained regarding the same from any person(s) if any and the execution shall proceed as per law.

Sd/-
Ajay Nagar
SEAL **CCJ-ARC-WEST, THC**
03.12.2019

संसदीय समितियों की बैठकों से सांसद नदारद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

संसदीय समितियों की बैठकों से समिति के सदस्यों की गैरहाजिरी पर गुरुवार राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सभी समितियों की सभापतियों के साथ हुई बैठक में यह हालत सामने आई है। इस बैठक में स्थायी समिति व विभिन्न समितियों के सदस्यों को बुलाया गया था। जहां समितियों के कामकाज में सुधार पर विचार विमर्श किया गया। सभापति ने कहा कि सबसे बुरा हाल गृह मामलों की समिति की बैठक का है जिसमें संसद सदस्यों की उपस्थिति एक तिहाई ही रही।

> नायडू ने कहा, सभापतियों के साथ हुई बैठक में यह हालत सामने आई

सभापति ने सदन में बताया कि सदन इन समितियों का हाल ही पुनर्गठन किया गया था और अब तक इनकी 41 बैठक हो चुकी है। बैठकों में दोनों सदनों के सदस्यों की हाजिरी बहुत कम है। विभाग संबंधी आठ स्थायी समितियों में अध्यक्ष सहित राज्यसभा के दस और लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं। इन समितियों का इस साल सितंबर में गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि समितियों की बैठकों में सदस्यों के गैरहाजिर रहने के आंकड़े चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि समितियों में राज्यसभा के कुल 80 सदस्यों में से सिर्फ 18 सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित हुए। इसी प्रकार लोकसभा के कुल 168 सदस्यों में से 18 ने ही समितियों की सभी बैठकों में शिरकत की। उन्होंने बताया कि सभी बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्यों में टीजी वेंकटेश, प्रसन्न आचार्य, वीडी तेंदुलकर, सत्यनारायण जटिया, विश्वभर प्रसाद निषाद, संबित पात्रा, अखिलेश प्रसाद सिंह, रामगोपाल यादव, एल हनुमंतैया, के सोमप्रसाद, जयराम रमेश, रविप्रकाश वर्मा, आनंद शर्मा, राकेश सिन्हा, डा. के केशव राव, डा. अमी याज्ञनिक, वी विजयसाई रेड्डी और पी विल्सन शामिल हैं। उन्होंने सदस्यों से अपील की कि वे सभी बैठकों में शामिल हो। उन्होंने कहा कि समिति में हर सदस्य 25 सांसद सदस्यों प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने बताया कि राज्यसभा की आठ विभाग संबंधी स्थायी समितियों के कुल 248 सदस्यों में से 100 सदस्यों ने तो दो या दो से अधिक लगातार बैठकों में हिस्सा ही नहीं लिया।

नागरिक संशोधन विधेयक पर शिवसेना से नहीं मांगा सहयोग

पंकज रोहिला
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

नागरिक संशोधन विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश होगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस संशोधन कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थन मिलने के लिए आश्वस्त नगर आ रही है। हालांकि विधेयक के लिए भाजपा ने शिवसेना से समर्थन नहीं मांगा है। इसे पार्टी की अंदरुनी रणनीति बताया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सहयोगी पार्टी मसले पर खुल कर सामने आ सके। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कोई अड़चन नहीं आएगी और इस विधेयक के समर्थन का आंकड़ा केंद्र सरकार के पास है।

सूत्र बताते हैं कि आगामी सप्ताह में यह कानून लोकसभा व राज्यसभा में पेश होगा। इस कानून को पास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कई वरिष्ठ नेता राजग के समर्थक दलों और अन्य पार्टियों के संपर्क में है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि इस स्थिति में शिवसेना यदि खुल कर सामने आती है तो इसका सीधा असर हाल ही में महाराष्ट्र में हुए गठबंधन पर भी देखने को मिल सकता है क्योंकि वहां की प्रमुख पार्टियां नागरिक संशोधन विधेयक का विरोध कर रही हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का मानना है कि अन्य सहयोगियों के समर्थन से बदौलत कानून को आसानी से पास कराया सकेगा। इससे पूर्व कश्मीर में धारा 370 जैसे व्यवस्था को भी सर्व सहमति से पारित किया गया है। नए प्रावधान की मदद से नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे लोगों को आसानी से नागरिकता देने की राह आसान होगी। इस मामले में भाजपा के नेता एक-एक कर अन्य दलों व राजग के नेताओं से मिल रहे हैं और हालात की भांपने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी भी इस बात को मान रही है कि आने वाले दिनों में यह कानून लोगों को पार्टी से जोड़ेगा। इस कानून के लागू होने के बाद छह साल में शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी।

The Indian EXPRESS Classifieds FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

M. PURI ONLINE GS PAPER 2
ADMISSIONS OPEN in the latest batch
100+ LECTURES UPDATED WITH LATEST CURRENT AFFAIRS
A course without which your GS Paper 2 preparation is incomplete
Stellar IAS ACADEMY Your Ambition Our Guidance
www.stellariasacademy.online
CALL: 99152-14599

SSC BANK CPO CDS NDA
ENGLISH (ANKUL SIR)
SSC CGL / CPO PRE + MAINS At Mukherjee Nagar, Delhi
New Batch Starts 9th Dec. 1:30 PM to 3:00 PM
2 DEMO CLASSES Timing
CLASSIC CLASSES
9911191959, 9891191959 YouTube Ankulsir
M-2/A-29,30, Jaina House, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

गडकरी का दावा, कंक्रीट के बनाए जा रहे राजमार्ग, सौ साल तक नहीं बनेंगे गड्ढे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि मौजूदा समय में कंक्रीट के राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है जिन पर आने वाले सौ साल में भी गड्ढे नहीं बनेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राजमार्गों की रैंकिंग की जा रही है। यह रैंकिंग सड़क सुरक्षा से जुड़े मानकों के आधार पर तैयार होगी।

सदन में रमा देवी, अरविंद सावंत, के. सुरेश, राजीव रंजन सिंह और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के जवाब में गडकरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि अब कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही हैं जिन पर आने वाले 100 साल तक गड्ढे नहीं बनेंगे। उन्होंने बताया कि वित्तीय ऑडिट की तरह सड़कों के निर्माण का भी ऑडिट कराया जा रहा है ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

गडकरी ने यह भी कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि सबसे ज्यादा हादसे और सबसे ज्यादा मौतों के मामलों में भारत का स्थान प्रथम है। गडकरी ने यह कहा कि पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय जो गलतियां होती थीं, उनकी वजह से दुर्घटनाएं होती थीं, लेकिन अब डीपीआर को लेकर सख्ती की गई है। उन्होंने कहा कि राजमार्गों के निर्माण की गुणवत्ता में किसी तरह की कमी और भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरे से होगी सभी पुरानी बसों में निगरानी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

दिल्ली की पुरानी बसों में भी सीसीटीवी की निगरानी होगी। डीटीसी व क्लस्टर बस सेवा में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और जीपीएस की व्यवस्था को गुरुवार को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार हर बस में तीन सीसीटीवी कैमरे और 10 पैनिक बटन लगाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को लागू करने का मकसद दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के बस सफर को सुरक्षित बनाना है। उन्होंने बताया कि जितनी भी नई बसें आ रही हैं, उन बसों में यह व्यवस्था पहले ही उपलब्ध है लेकिन पुरानी बसों में यह व्यवस्था नहीं थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार की योजना है कि पहले 100 बसों में इस माह के अंत तक यह कार्य पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए तीन बार टेंडर किए थे, जो फेल हो गए थे। अब जाकर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हुई है। उन्होंने कहा कि बसों में पैनिक बटन होंगे और जैसे ही कोई पैनिक बटन दबाएगा तो उसकी सूचना एक केंद्रीय कक्ष पर पहुंच जाएगी। इसकी मदद से महिला अपराधों में कमी लाने में मदद मिलेगी। आपराधिक घटना कैमरे में रेकार्ड किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस मार्शल नियुक्त होने के बाद ऐसे

आश्रम को डीएनडी से जोड़ेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाइओवर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह मसविदा गुरुवार को कैबिनेट में पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आश्रम चौराहे और आसपास के इलाके में यातायात को जाम से बचाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना पर 128 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह कार्य एक साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आश्रम फ्लाइओवर के आसपास व्यस्त समय में काफी जाम रहता है। इस मार्ग पर एक अंडरपास बनाने का काम भी शुरू हो गया है। इसका प्रयोग पैदल यात्रियों के लिए होगा। अब तक पैदल यात्री फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करते थे। इस प्लान के तहत आश्रम को जाम से मुक्त बनाने के लिए एक नई रोटरी बनाई जाएगी जिससे कलोकरी से आश्रम जा सकेगा। इसके आइटीओ से भी जोड़ा जाएगा। इससे आश्रम को जाम से राहत होगी। अभी तक किलोकरी से महारानी बाग जाने के लिए यातायात को सराय काले खां से धूमकर आना पड़ता था। जो इस मार्ग पर जाम की प्रमुख वजह बन रहा था।

ऐप बताएगा कब आएगी बस

दिल्ली में बसों की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसकी मदद से यह पता चल सकेगा कि बस कितनी देर में आएगी। ऐप तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब सारा कमांड सेंटर शुरू हो जाएगा, तो इससे बसों को जोड़ दिया जाएगा। कोई भी आम नागरिक मोबाइल ऐप के म ाध्यम से यह जान सकेगा कि उसकी बस कितनी देर में आएगी। उन्होंने बताया कि बसों में सुरक्षा के लिए इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्भया फंड का पैसा इस्तेमाल करने की मांग की थी लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है।

महिला सुरक्षा पर बोले अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने मांग की कि महिलाओं से जुड़े सभी मामलों में सभी सरकारें व एंजसियां एक साथ मिलकर और साफ नियत के साथ काम करें।

उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत होती है। जब तक राजनीतिक संरक्षण से लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी, तब तक ऐसी वारदातें होंगी।

'पुनर्वास कॉलोनियों में गृह कर वसूलना गरीब विरोधी'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

- सुभाष चोपड़ा ने कहा हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही हैं दोनों सरकारें
- दोनों पार्टियां दिल्ली की जनता को घोषणाएं कर गुमराह कर रही हैं

दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार और नगर निगम पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया है। रोहिणी जिले के जहांगीरपुरी में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि दिल्ली सरकार और भाजपा शासित निगम पुनर्वास कॉलोनियों में गृह कर लगाकर गरीबों पर बोझ डाल रहे हैं। एक ओर जहां देश में बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और महंगाई से लोग परेशान हैं। वहीं, दूसरी ओर गृह कर लगाकर दिल्ली की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनियों में रहते हैं और वह इस स्थिति में नहीं है कि इसका भुगतान कर सकें।

सुभाष चोपड़ा ने आर्थिक मंदी के लिए केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सबसे बुरी दशा आज किसानों की है। खरीफ मौसम में खरीफ फसलों का मूल्य आठ फीसद से 37 फीसद तक नीचे जा चुका है। किसानों को अपनी फसलों का समर्थन मूल्य नही मिल है। यहां तक कि धान के किसानों को भी नमी आदि के बहाने से 1835 रुपए प्रति कुंतल के समर्थन मूल्य से 200 रुपए प्रति कुंतल कम मूल्य मिला। अकेले इससे खरीफ के मौसम में किसानों को लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

वहीं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कीर्ति आजाद ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के नियमन संबंधी अधिसूचना की धारा 7ए की चपेट में 900 से अधिक कालोनियां आ रही हैं। इन कालोनियों के निवासी न केवल भयभीत हैं, बल्कि आज उनको अपने मकान तोड़े जाने का डर सता रहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार चुनाव से ठीक दो महीने पहले अपनी संभावित हार से डर कर चुनावी घोषणाओं की झंडी लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण
ने शुरू की
150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA
ऑनलाइन रनिंग स्कीम 2019
जोड़े के रूप में संयुक्त किए जा सकने वाले एलआईजी फ्लैटों के आवंटन के लिए
पहले-आओ-पहले-पाओ आधार पर दो साथ-साथ बने फ्लैटों को मिलाकर एक बड़ा फ्लैट बनाने की अनुमति

स्वर्णिम अवसर
2 एलआईजी फ्लैटों की कीमत में बड़ा फ्लैट पाने का मौका
फ्लैटों के 500 जोड़े उपलब्ध
आरक्षित करने के लिए ₹30000/- का भुगतान करें

मुख्य विशेषताएं
- नरेला को 'नॉलेज हब' के रूप में विकसित किया जा रहा है
- मेट्रोलाइट कॉरिडोर की योजना पर कार्य जारी
- इंटिग्रेटिड फ्रेट कॉम्पलेक्स का विकास कार्य पूरी गति से चल रहा है
- नरेला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना प्रगति पर है
- डीडीए की स्वीकृत योजना के अनुसार बदलने की आजादी

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
विस्तृत नियम एवं शर्तों, पात्रता मानदंड तथा स्कीम में आवेदन करने के लिए कृपया डीडीए की वेबसाइट: www.dda.org.in देखें
हॉटलिंक: Online Running Scheme 2019 for allotment of LIG flats at Narela 'As-Pair'
टोल फ्री नंबर: 1800110332 कृपया डीडीए के ऐप्स पर अपना फीडबैक दें Google play | @ddaofficial | @official_dda

परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे विद्यार्थी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रावास नियमावली और शुल्क बढ़ोतरी को लेकर एक महीने से अधिक से चल रहा आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, विद्यार्थी सभी शैक्षणिक गतिविधियों जैसे परीक्षा, असाइनमेंट आदि का बहिष्कार करेंगे। यह निर्णय विश्वविद्यालय आम सभा (यूजीबीएम) में किया गया।

छात्र संघ की ओर से जारी बयान के मुताबिक चार दिसंबर को आयोजित हुई यूजीबीएम में सभी विद्यार्थियों ने एक मत से निर्णय किया कि जब तक जेएनयू प्रशासन छात्रावास की नई नियमावली और शुल्क बढ़ोतरी को वापस नहीं लेता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बयान में कहा गया कि विश्वविद्यालय में अकादमिक गतिविधियों के लटकने के लिए जेएनयू प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसलिए उसे मामले को नहीं बढ़ाते हुए विद्यार्थियों को राहत देनी चाहिए और छात्र संघ के चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। विद्यार्थी कक्षाओं में जाने को तैयार हैं।

यूजीबीएम में निर्णय किया गया कि 9 दिसंबर को विश्वविद्यालय से राष्ट्रपति भवन तक शिक्षा बचाओ पदयात्रा निकाली जाएगी और राष्ट्रपति को अपनी मांगों का पत्र सौंपेंगे। इस यात्रा में जुड़ने के लिए सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का आह्वान किया गया है। यूजीबीएम में यह फैसला भी किया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर सस्ती और सुलभ शिक्षा का आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा।

जेएनयू प्रशासन ने गुरुवार को एक बार फिर विद्यार्थियों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस आंदोलन की वजह से हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही हैं। जेएनयू के रजिस्ट्रार की ओर से कहा गया है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक खंड पर जारी प्रदर्शन की वजह से वहां कोई कार्य नहीं हो रहा है। कर्मचारियों का वेतन, उनके मेडिकल बिल, छात्रवृत्ति का काम आदि कार्य ठप हो गया है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि सेमेस्टर परीक्षाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम पर 12 दिसंबर से ही शुरू होंगी।

INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SHIBPUR
भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर
ভারতীয় প্রকৌশল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, শিবপুর
(An Institute of National Importance under MHRD, Govt. of India)
पीएचडी कार्यक्रम : (दिसंबर साइकिल) 2019-2020 के लिए भर्ती
विज्ञप्ति सं. डिई/आरओ/19/101 दिनांक: 05.12.2019
इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, टाउन एवं रीजनल प्लानिंग एवं ह्यूमनिटिज एवं सोशल साइंसेज के सभी परिक्षेत्र में ऑन-लाइन पोर्टल के जरिए दिसंबर 06, 2019 से शुरू होने वाले संस्थान के पीएचडी कार्यक्रम (दिसंबर साइकिल: 2019-20) के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया www.iiests.ac.in देखें।
कुल सचिव

PXIL
Transforming Power Markets
Power Exchange India Limited
Sumer Plaza,Unit No.901, 9th Floor, Marol Maroshi Road,
Andheri(East) ,Mumbai- 400 059.India.Tel: + 91 22 40096667/87
Fax: + 91 22 4006633/90. Email:info@pxil.co.in , CIN:U74900MH2008PLC179152
Trading Month November - 2019

Markets	DAS		INTRADAY		ANYDAY		WEEKLY	
Traded	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)	Prices (Rs/KWh)	Volume (MUs)
Min	2.91	0.03	2.56	0.06	3.04	0.75	3.05	0.20
Max	3.15	0.09	4.27	7.25	3.60	4.80	3.65	7.20
Avg.	3.02	0.06	3.33	1.44	3.08	2.83	3.16	3.38
Total		0.42		40.41		36.75		54.00

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!
परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध शाखा, 1 ला तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110025,
ई-मेल: bo4168@pnb.co.in; फोन 011-25852348

संदर्भः पीएनबीः एआरएमबीः पीजीः एसजी तिथि: 5.12.2019

मै. न्यूकेम लि., 20/6, माइल स्टोन, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121006
मै. न्यूकेम लि., 54, इंडस्ट्रियल एरिया, एनआईटी, फरीदाबाद-121001
श्री प्रथमेश बराड़, डी-9, रूप महल, एनएच-2, एनआईटी, फरीदाबाद-121001
श्री प्रथमेश बराड़, 54, इंडस्ट्रियल एरिया, एनआईटी, फरीदाबाद-121001
श्री प्रथमेश बराड़, शॉप नं. 319-बी, वर्धमान स्टार माल, सेक्टर-19, फरीदाबाद-121001
श्री आर.सी. बराड़, पुत्र स्व. श्री हरसज राय जैन, डी-10, रूप महल, एनएच-2, एनआईटी फरीदाबाद-121001

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत सूचना

विषयः मै. न्यूकेम लि. की खाता में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री कृपया वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत हमारे कार्यालय द्वारा जारी सूचना तिथि 25.07.2015 तथा साथ हीं नीचे वर्णित परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने के समय प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी कब्जा सूचना तिथि 28.09.2019 देखें

कम्पनी के स्वामित्तव की आरसीसी बिल्डिंग तथा इंडस्ट्रियल शेड के साथ 54, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित औद्योगिक भूमि एंव भवन तथा प्लान्ट एवं मशीनरी।

इस सिलसिल में एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनंबंधित दर पर अद्यतन ब्याज तथा उक्त परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने के समय तथा उसके बाद उसके संरक्षण के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा वहन की गई लागतों के साथ उक्त सूचना में वर्णित रु. 19,20,05,274/- (रुपये उन्नीस करोड़ बीस लाख पांच हजार दो सौ चौहत्तर मात्र) की बकाया देयता का भुगतान करें। यदि उक्त अवधि के भीतर आप उपरोक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो अधोहस्ताक्षरी बकाये की वसूली के लिये कंसोर्टियम की ओर से निजी संधि द्वारा रु. 21.26 करोड़ के लिये उपरोक्त परिसम्पत्तियों की बिक्री करने तथा उक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त अन्य उपाय करने के लिये बाध्य होंगे।

आपका विश्वासभाजन
(प्राधिकृत अधिकारी)
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूत क्रेडीटर

੧ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

ई-नीलामी सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय
दिल्ली जोन-I, सिद्धार्थ एन्कलेव, नई दिल्ली

चल एवं अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना की सार्वजनिक सूचना ईएमडी तथा दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय 07.01.2020 को 4.00 अपराह्न तक

प्रतिभूति हित (सरफाएशी) अधिनियम, 2002 (2002 की सं. 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जबकि, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने हमारी शाखाओं के निम्नलिखित ऋण खातों में प्रतिभूति हित (सरफाएशी) अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार बैंक के बकायों की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है तथा जो है यही है" आधार पर इसे विक्रय के अधिकार सहित निम्नलिखित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है। विक्रय अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट: https://www.bfsieauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा।

अचल/चल सम्पत्तियों का विवरण

क्र.सं.	कर्जदार तथा शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (रु.) + इस पर भावी ब्याज एवं अन्य व्यय	ईएमडी जमा खाता विवरण (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / संविदा वर्धन राशि (रु.)	अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय / कब्जे की स्थिति	ई-नीलामी की तिथि/समय	सरकारी बकाया, यदि कोई हो
1.	मैसर्स विकास विद्युतीकरण प्रा.लि., शाखा- ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली	डब्ल्यूजेड-96, गली नं. 14, राम गढ़ कॉलोनी, रत्तन पार्क, बसाई दारापुर, नई दिल्ली-110015	07.04.2018 30.09.2019 तक रु. 2,48,98,705/03 as on 30-09-2019 + इस पर भावी ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार आदि	ईएमडी खाता सं. : 00401100041324 लाभार्थी : पंजाब एण्ड सिंध बैंक आईएफएससी कोडः PSIB0000040	2,50,00,000/- 25,00,000/- 50,000/-	सुश्री मधूलिका सिरोही (मुख्य प्रबन्धक) मोबाइल : 9829106943 फोन : 011-26529398, 26867788 ई-मेलः d0040@psb.co.in	06-01-2020 11.00 बजे प्रातः से 4.00 सायं	07-01-2020 को 4.00 अपराह्न तक भौतिक कब्जा	08-01-2020 10.00 बजे प्रातः से 11.00 बजे प्रातः	बैंक को ज्ञात नहीं
2.	मैसर्स सिंघल स्ट्राइप्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय : सीबीबी, सीपी, नई दिल्ली	आवासीय सम्पत्ति संख्या सी/10/11, बी.एम. रोहतकी अपार्टमेंट्स, 1 राम किशोर रोड, सिविल लाइन्स, आईपी कॉलेज के पीछे, दिल्ली-110054 माप : 415.22 वर्ग गज	29.09.2018 30.06.2019 तक रु. 50,83,80,726/51 + इस पर भावी ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार आदि	ईएमडी खाता सं. : 07171100011298 आईएफएससी कोड : PSIB0000717 लाभार्थी : पंजाब एण्ड सिंध बैंक	16,25,00,000/- 1,62,50,000/- 25,00,000/-	श्री नीलेन्द्र प्रभात (एजीएम) मोबाइल : 8750047321 फोन : 011- 45026815, 011-23746140 ई-मेल : ifb.delhi@psb.co.in psbifb@yahoo.co.in	06-01-2020 11.00 बजे प्रातः से 4.00 सायं	07-01-2020 को 4.00 अपराह्न तक भौतिक कब्जा	08-01-2020 10.00 बजे प्रातः से 11.00 बजे प्रातः	बैंक को ज्ञात नहीं
3.	मैसर्स सिंघल स्ट्राइप्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय : सीबीबी, सीपी, नई दिल्ली	वाणिज्यिक सम्पत्ति सं. IV/HS-64,65,66, गली नं. 6, भोलानाथ नगर (निकट बाबू लाल स्कूल), शाहदरा, दिल्ली-32. भूतल + 1/4 मंजिला भवन जिसके भूमि की माप 663 वर्ग गज है।	29.09.2018 30.06.2019 तक रु. 50,83,80,726/51 + इस पर भावी ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार आदि	ईएमडी खाता सं. : 07171100011298 आईएफएससी कोड : PSIB0000717 लाभार्थी : पंजाब एण्ड सिंध बैंक	10,50,00,000/- 1,05,00,000/- 25,00,000/-	श्री नीलेन्द्र प्रभात (एजीएम) मोबाइल : 8750047321 फोन : 011- 45026815, 011-23746140 ई-मेल: ifb.delhi@psb.co.in psbifb@yahoo.co.in	06-01-2020 11.00 बजे प्रातः से 4.00 सायं	07-01-2020 को 4.00 अपराह्न तक भौतिक कब्जा	08-01-2020 10.00 बजे प्रातः से 11.00 बजे प्रातः	बैंक को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें :
1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है" तथा "जो है यही है" आधार पर की जायेगी।
2. अधिकृत प्राधिकारी के पूर्ण संज्ञान में सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। फिर भी, इच्छुक संविदाकारों को ऋणभार, सम्पत्ति/यों के स्वामित्व के सम्बन्ध में अपनी स्वतन्त्र पूछताछ कर लेनी चाहिए और निरीक्षण करके स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए।
3. जिन संविदाकारों ने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड सृजित करने, डाटा अपलोड करने, संविदा जमा करने, ई-संविदा प्रक्रिया आदि पर प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता चाहते हैं वे मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन मोबाइल : 9810029924, 8447533720, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी : support@bfsieauctions.com पर सम्पर्क कर सकते हैं और सम्पत्ति सम्बन्धी पूछताछ के लिए अधिकृत प्राधिकारी (विवरण ऊपर उल्लिखित है) से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयी घण्टों के दौरान सम्पर्क कर सकत हैं।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://www.bfsieauctions.com देखें)

इस सूचना को नियम 8(6) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत कर्जदारों तथा जमानतियों (एल/आर) के लिए 30 दिन की विधिक विक्रय सूचना माना जाए

तिथि : 05.12.2019
स्थान : दिल्ली रा.रा.क्षे.

अधिकृत प्राधिकारी
पंजाब एण्ड सिंध बैंक

www.readwhere.com

खबरों में शहर

गाजियाबाद : ऑपरेशन लापता अभियान

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 5 दिसंबर।

गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजंय शंकर पाण्डेय ने सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति जांचने के लिए ऑपरेशन लापता चलाया। सुबह नौ बजे से दोपहर के 12 बजे तक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान कई डॉक्टर और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिला अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देष दिया। इसके साथ ही डीएम ने सीएमओ को बायोमेट्रिक मशीन लगवाने का भी निर्देश दिया। साथ ही मलेरिया विभाग की उपस्थिति पंजीक मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में रखने का निर्देश भी दिया।

'मिलकर रोकेंगे महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

धारा फॉर सस्टेनिंग लाइफ संस्था ने 'सोशल क्रांति' नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। जिसके तहत राजेंद्र नगर में चरखा मार्च का आयोजन किया गया और साथ ही 'सोशल क्रांति' संगोष्ठी का आयोजन कनॉट प्लेस में किया। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि महिलाओं के प्रति अपराधों को स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कैसे रोक सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। चरखा मार्च से लोगों को यह संदेश दिया महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर दूसरों को कोसने से काम नहीं चलेगा। बल्कि हमें खुद को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगा। इसी के तहत 'गलती मेरी है' अभियान भी शुरू किया गया है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित बेजवाड़ा विल्सन ने हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार की घटना की निंदा की और कहा कि ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग जो बलात्कार जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, उनसे हम सभी को एक साथ लड़ना होगा।

पुलिस आयुक्त ने सफाई अभियान की शुरुआत की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

कालिंदी कुंज घाट पर स्वच्छ यमुना निर्मल यमुना व स्वच्छ यमुना तट अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने प्लॉग रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 15 दिसंबर के दौरान मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत गुरुवार को कालिंदी कुंज घाट पर यह अभियान चलाया गया। बतौर मुख्य अतिथि अमूल्य पटनायक ने कहा कि स्वच्छता कोई एक दिन की बात नहीं है। हर व्यक्ति को स्वच्छता को हमेशा के लिए अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे सफाई को जिम्मेदारी की तरह लें। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से अपील की कि यमुना के आसपास साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें और इसमें सहयोग दें, ताकि यमुना नदी स्वच्छ बनी रह सके। इस दौरान विशेष पुलिस आयुक्त आरएस कृष्णैया, नुजहत हसन, एसके गौतम, प्रवीर रंजन, मुक्तेशन चंदर, देवेश चंद्र श्रीवास्तव, डीसीपी साउथ ईस्ट चिन्मय बिश्वाल के अलावा स्थानीय आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

'आपदा प्रबंधन शोध' संगोष्ठी का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

दिल्ली ट्रांस्को ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 'आपदा प्रबंधन शोध' पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर दिल्ली ट्रांस्को की सीएमडी पद्मनी सिंघला ने कहा कि ट्रांस्को इस प्रकार से अपने ढांचे को विकसित कर रहा है कि आपदा का सामना सक्षमता से कर सके। साथ ही ग्रिड को स्मार्ट ग्रिड बनाने की दशा में कार्य किया जा रहा है।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : स्वास्थ्य चर्चा, सभागार दो और तीन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर , कमलादेवी ब्लॉक , मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे से।

प्रदर्शनी

जापानी फाउंडेशन : कार्यशाला 'हार्मोनी' का आयोजन, पांच ए, रिंग रोड लाजपत नगर चार, सुबह दस बजे से, 21 दिसंबर तक।

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों का विरोध : एचआरडी, यूजीसी और डूटा की बैठक में लिया गया निर्णय

28 अगस्त के परिपत्र में होगा बदलाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन की ओर से 28 अगस्त को शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित परिपत्र में बदलाव किया जाएगा। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अधिकारियों और डीयू शिक्षक संघ (डूटा) के पदाधिकारियों के बीच गुरुवार शाम हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है। किसी भी तदर्थ शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा। डूटा शुक्रवार को होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कोई निर्णय करेगा। यह जानकारी डूटा पदाधिकारियों की ओर से दी गई। शिक्षकों के प्रदर्शन के मद्देनजर कुलपति कार्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षाबल तैनात किया गया है।

डूटा अध्यक्ष राजीब रे के मुताबिक मंत्रालय में दो घंटे चली बैठक में तदर्थ शिक्षकों के समायोजन, पदोन्नति, 28 अगस्त को जारी परिपत्र, ईडब्लूएस आदि मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में 28 अगस्त को जारी परिपत्र के संबंध में तो एचआरडी और यूजीसी के अधिकारियों का सकारात्मक रुख दिखा लेकिन समायोजन पर उनकी ओर से कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखा। डूटा उपाध्यक्ष डॉक्टर आलोक पांडेय का कहना है कि हमारी प्रमुख मांग ही समायोजन है और जब तक यह मांग नहीं मानी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा।

शिक्षकों ने स्थायी पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जारी परिपत्र के विरोध में बुधवार को कुलपति कार्यालय का घेराव किया था। बुधवार को 5,000 शिक्षक तीन दरवाजों को तोड़ते हुए कुलपति कार्यालय में दाखिल हो गए और उन्होंने ऐतिहासिक ढांचों पर कथित तौर पर नारे भी लिखे थे। शिक्षकों ने कहा कि हर चार महीनों में तदर्थ शिक्षकों के अनुबंधों का नवीनीकरण किया जाता है, लेकिन 28 अगस्त को जारी किए गए परिपत्र के कारण अनुबंध आगे नहीं बढ़ाए गए हैं जिसने लगभग 4,500 तदर्थ शिक्षकों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। इससे पहले डीयू प्रशासन ने बुधवार रात डूटा के सदस्यों के साथ बैठक की और उनसे अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की। डूटा ने कहा कि बैठक से कुछ भी ठोस नहीं निकला। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक बयान में बताया कि डूटा का प्रदर्शन अवांछित है। प्रशासन ने कहा कि वह शिक्षकों और अन्य के मुद्दों को देखने और शातिपूर्ण तरीके से हल के लिए उनपर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार है। एबीवीपी और डीयू डूसू प्रतिनिधिमंडल ने एचआरडी मंत्री को संबोधित ज्ञापन मंत्रालय में संयुक्त सचिव को सौंपा। एबीवीपी ने डीयू में सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने के बीच हजारों प्राध्यापकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के संदर्भ में एचआरडी मंत्री से विषय में हस्तक्षेप कर स्थिति सामान्य बनाने का आग्रह किया है।

शिक्षकों के प्रदर्शन के मद्देनजर कुलपति कार्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षाबल तैनात।

प्रशासन ने कुलपति कार्यालय खाली करने को कहा

विश्वविद्यालय की प्रोक्टर नीता सहगल ने डूटा के अध्यक्ष राजीब रे को लिखे एक पत्र में कहा कि रे ने अपने सहकर्मियों के साथ भवन के द्वार तोड़कर कुलपति कार्यालय भवन में जबरन प्रवेश किया है। सहगल ने कहा कि इससे धरोहर भवन को काफी नुकसान हुआ है। आपने अभी तक गैर-कानूनी रूप से परिसर पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि भवन में विश्वविद्यालय अधिकारियों के कार्यालय हैं। पत्र में कहा गया है कि आपका गैर-कानूनी कब्जा जारी रहने के कारण विश्वविद्यालय में कामकाज असंभव हो गया है। आपको गैर-कानूनी घेराबंदी समाप्त करने और शांतिपूर्वक भवन खाली करने का निर्देश दिया जाता है।

रोहिणी : पुलिस शुरुआती छानबीन के आधार पर मान रही है संपत्ति विवाद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

रोहिणी जिला के प्रशांत विहार थाना क्षेत्र में एक कार में बुधवार को एक अस्पताल के मालिक डॉक्टर और उसी अस्पताल की एमडी का शव मिला था। पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश कुकरेजा और उसकी महिला साथी सुतापा मुखर्जी के शव का गुरुवार को बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद दोनों के परिजनों को सौंप दिए। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त एसडी मिश्रा ने बताया कि महिला पिछले दो साल से अपने पति से अलग रह रही थी। उसकी अपने पति से बहुत कम ही बातचीत होती थी। दोनों काफी समय से मिले भी नहीं थे। जब उसके पति को मामले की जानकारी हुई तो वह अस्पताल आए और अपनी पत्नी के शव को ले जाकर अंतिम संस्कार किया।

गुरुवार को भी दोनों के परिवार वालों से पुलिस अधिकारियों ने बातचीत कर वारदात की असली वजह जानने की कोशिश की। जिसमें काफी हद तक महिला द्वारा निर्वाण अस्पताल में हिस्सेदारी मांगने की बात सामने आई। पुलिस का कहना है कि शुरुआत में मामला संपत्ति विवाद का लग रहा है। पर इस मामले की प्रशांत विहार थाना पुलिस सभी दृष्टिकोण से छानबीन कर रही है।

पति की मौत के बाद दो दिनों तक साथ में रही पत्नी

बेटे की शादी से लौट रही मां की जान गई, पिता घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

कमला मार्केट थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक इंजीनियर की मौत का मामला सामने आया है। इंजीनियर की पहचान जय कुमार (59) के तौर पर हुई है। जय कुमार की मौत के दो दिन बाद तक उनकी पत्नी मीना (55) मानने का तैयार नहीं थीं कि अब वह दुनिया में नहीं हैं। दो दिन बाद जब जय की बेटी और घरेलू सहायिका ने पिता की नाक से खून निकलता देखा तो उन्हें शक हुआ। बाद में बेटी ने घटना की जानकारी अपने मामा को दी, जिसके बाद इसकी सूचना बुधवार दोपहर करीब एक बजे पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत कर मीना को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती छानबीन में पता चला है कि जय कुमार पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, हो सकता है कि इस कारण उनकी मौत हुई हो। फिलहाल पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

जानकारी के मुताबिक, जय कुमार रेलवे में इंजीनियर थे, जबकि उनकी पत्नी मीना (55) रेलवे के ही स्कूल में अध्यापक हैं। दंपति की एक बेटी है। मीना अपने परिवार के साथ रेलवे कॉलोनी में ही रहती हैं। तीन दिन पहले जय कुमार की अचानक मौत हो गई।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

ग्रेटर कैलाश पार्ट-दो में बेटे की शादी से लौट रहे माता-पिता सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में कृष्णा सिंगला की मौत हो गई, जबकि उनके पति महावीर प्रसाद सिंगला और उनके साथ कार में मौजदू एक अन्य रिश्तेदार मामूली रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिजन ही कृष्णा सिंगला को लेकर एम्स पहुंचे। लेकिन बुधवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

दक्षिणी जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त परविंदर कुमार ने बताया कि एम्स अस्पताल से पुलिस को घटना के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के बाद एम्स पहुंची पुलिस को पता चला कि कृष्णा सिंगला नाम की एक महिला बुरी तरह से घायल है। उनके पति महावीर प्रसाद सिंगला और एक रिश्तेदार घायल हैं। हादसा ग्रेटर कैलाश पाट-दो स्थित कोहिनूर मॉल के पास हुआ। महीवार प्रसाद अपने बेटे की शादी से कार लेकर वापस द्वारका लौट रहे थे। तभी यह हादसा हुआ। महावीर प्रसाद सिंगला अपने परिवार के साथ विला सेक्टर दस द्वारका जिले में रहते हैं। उनका बेटा निजी नौकरी करता है। तीन दिसंबर को उनके बेटे की शादी थी। तीन दिसंबर की रात शादी समारोह खत्म होने के बाद महावीर प्रसाद सिंगला अपनी पत्नी और एक रिश्तेदार के साथ वापस अपने घर द्वारका सेक्टर-दस लौट रहे थे।

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी की कार चोरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

दिल्ली में वाहन चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ चोरों ने इस बार रोहिणी सेक्टर तीन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त अतंरराष्ट्रीय खिलाडी अभिषेक वर्मा को निशाना बनाया। खिलाड़ी तिरंदाज है। चोर उनकी फॉर्च्यूनर कार और उसमें रखी लाखों की प्रैक्टिस (अभ्यास) किट चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी तीरंदाज अभिषेक ने गुरुवार सुबह पुलिस को दी थी। फिलहाल रोहिणी दक्षिणी थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त एसडी मिश्रा के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध कार दिखी है। जिसके नंबर के आधार पर उसकी जांच की जा रही है।

वहीं, अभिषेक ने बताया कि इसी साल जून महीने में चोरों ने उनकी डस्टर कार चोरी कर ली थी, जिसका अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला। जुलाई में आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के पार बदमाशों ने उनका महंगा मोबाइल फोन लूट लिया था। इस घटना के बाद सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली में यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं हैं तो आमजन कितना अपने आप को सुरक्षित होगा। अभिषेक वर्मा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सी ब्लॉक, मॉडल टाउन थर्ड में रहते हैं। 2014 में उन्हें खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुस्कार से नवाजा गया था। वह तीन दिन पहले ही थाइलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में सोने का मेडल जीत कर भारत लौटे हैं। इसी खुशी में उनके ससुराल पक्ष ने रोहिणी में एक पार्टी आयोजित की थी।

बीते छह महीने में तिरंदाज अभिषेक वर्मा के साथ चोरी की तीसरी घटना

थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर लौटे हैं खिलाड़ी

पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी, ठिठुरी दिल्ली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

राजधानी दिल्ली में गुरुवार का दिन मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। पर्वतीय इलाकों में हुई भारी बर्फ बारी के बाद उधर से आ रही हवाओं ने दिल्ली के मौसम को सर्द बनाया। आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.6 दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री कम है। अधिकतम तापमान औसत से एक डिग्री नीचे 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि सर्द मौसम के साथ अब कोहरे का भी दौर जारी रहने वाला है। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदूषण भी घना होने लगा है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश व बर्फबारी भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश ,जम्मू कश्मीर व अन्य पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद पर्वतीय क्षेत्रों से चलने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण गुरूवार को राजधानी में शीतलहर बढ़ गई है।

लघु निबंध प्रतियोगिता के विजेता लेंगे 'परीक्षा पे चर्चा' में भाग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

माय गोव के सहयोग से मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के स्कूली विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा-2020' के तीसरे संस्करण के लिए लघु निबंध प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 2 दिसंबर, 2019 से शुरू कर दी गई है। पिछले सालों की तरह कार्यक्रम के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न विद्यार्थियों से आमंत्रित किए गए हैं।

जिन विद्यार्थियों की प्रविष्टियों को दोनों प्रतियोगिताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा उन्हें दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जनवरी के तीसरे सप्ताह में तालकटोरा स्टेडियम में होना प्रस्तावित है। 'परीक्षा पे चर्चा-2020' का प्रारूप पिछले दो आयोजनों के समान टाउन हॉल में होगा। इस कार्यक्रम में करीब 2000 विद्यार्थी भाग लेंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के अभिभावक और अध्यापक भी भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री का ट्वीट

परीक्षाएं करीब आ रही हैं और परीक्षा पे चर्चा भी। हम सभी मिलकर तनाव मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करें। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनोखी प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसके विजेता जनवरी में परीक्षा पे चर्चा 2020 में हिस्सा ले सकेंगे।

निबंध के विषय

कृतज्ञता महान है : उन लोगों पर एक संक्षिप्त लेख जिनके बारे में विद्यार्थी सोचता है कि व्यक्ति ने उसकी अकादमिक यात्रा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आपकी आकांक्षाओं पर आपका भविष्य निर्भर : विद्यार्थी द्वारा अपने लिए तय की गईं अकादमिक आकांक्षाओं पर संक्षिप्त लेख।

परीक्षा प्रणाली की पड़ताल : मौजूदा परीक्षा प्रणाली पर विद्यार्थियों की सलाह।

हमारे कर्तव्य, आपके विचार : नागरिकों के कर्तव्यों पर लेखन और कर्तव्यपरायण नागरिक बनने के लिए हर व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित किया जाए, इस पर विचार।

संतुलन लाभदायक है : अध्ययन के अलावा विद्यार्थियों की संतुलित गतिविधियों पर लेखन।

बढ़ते अपराधों पर महिलाओं और विद्यार्थियों का प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

महिलाओं के खिलाफ बलात्कार व हिंसा की दूसरी घटनाओं के मद्देनजर महिलाओं व विद्यार्थियों ने विजय चौक पर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पहुंचते ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनको हिरासत में लिया गया। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। मालीवाल ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार व हिंसा की लगातार बढ़ रही घटनाओं के खिलाफ कुछ विद्यार्थी अचानक विजय चौक पहुंच गए। वे हाथ में तिरंगा व पोस्टर लिए हुए थे। पोस्टर में लिखा था, अगर नारी सुरक्षित है तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है।

अब सार्वजनिक स्थान, निजी व सरकारी दफ्तरों में तंबाकू खाने पर लगेगा जुर्माना

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 5 दिसंबर।

गौतमबुद्ध नगर के सार्वजनिक स्थान, मॉल, निजी व सरकारी कार्यालयों में आठ दिसंबर से तंबाकू पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित हो जाएगा। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ इन क्षेत्रों को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित करने जा रहा है। उल्लंघन करने पर कोटपा एक्ट (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने पर 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना अदा न करने पर उसे पुलिस को सौंपा जाएगा। इसमें छह महीने तक की सजा का प्रावधान है। प्रतिबंधित ई-सिगरेट नियमों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना और एक साल की सजा हो सकती है।

जिला तंबाकू नियंत्रण विभाग के नोडल अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एसीएमओ) डॉ. सुनील दोहरे ने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत डीएम के आदेश पर आठ दिसंबर से जिले के सार्वजनिक स्थान, मॉल, औद्योगिक, निजी व सरकारी कार्यालयों को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। सभी को नोटिस देकर यह जानकारी दे दी गई है। आठ दिसंबर के बाद अगर कोई इन स्थानों पर नियमों का उल्लंघन करता मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की सलाहकार डॉ. श्वेता खुराना ने बताया कि यह आदेश जिले में स्थित बीएसएनएल, आयकर सहित सभी केंद्रीय विभागों के कार्यालयों में भी लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कोटपा 2003 के तहत कार्रवाई होगी, साथ ही विभागाध्यक्ष पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इससे पहले स्कूल-कॉलेजों को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

हवाई अड्डे पर 40 लाख रुपए के साथ चार कश्मीरी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (भाषा)।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने सेना की खुफिया इकाई और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) की सहायता से चार कश्मीरी व्यक्तियों को देश में गैरकानूनी रूप से चालीस लाख रुपए लाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस पैसे का उपयोग कश्मीर घाटी में किए जाने की संभावना थी। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा पहली बार जब्त की गई है। आरोपियों को मंगलवार को जेद्दा से लौटने के बाद हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार उनके पास से 39.14 लाख रुपए जब्त किए गए। इस ऑपरेशन को सेना के खुफिया विभाग और सीआइएसएफ की सहायता से अंजाम दिया गया। एक अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा पहली बार जब्त की गई है। आरोपी जम्मू जाने वाले थे लेकिन उन्हें विमान में बैठने से पहले ही पकड़ लिया गया।

पुलिस ने गुलशन के फ्लैट को कब्जे में लिया, आरोपी की मां फरार

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 5 दिसंबर।

इंदिरापुरम की कृष्णा सैफायर सोसायटी में मंगलवार की सुबह बेटे और बेटी की हत्या करने के बाद पत्नी, महिला सहयोगी संग आठवीं मंजिल से कूद कर जान देने वाले जींस कारोबारी के किराए के फ्लैट को पुलिस ने सील कर दिया है। सील से कोई छेड़छाड़ न करे, इसके लिए अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन (एओए) की तरफ से उस फ्लोर पर एक सुरक्षाकर्मी की तैनाती की गई है। मामले में आरोपी बनाए गए कारोबारी के साढू की मां फूला अभी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

एएसपी केशव कुमार ने बताया कि घटना के बाद पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने फ्लैट से साक्ष्य इक्टठा किए हैं। साक्ष्यों को जांच के लिए लैब भी भेज दिया गया है। आगे की जांच के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैट में अपना ताला लगा दिया है। जांच पूरी होने तक फ्लैट पुलिस के कब्जे में रहेगा।

बच्ची की मौत, पिता ने की बेटी की आंखें दान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

फतेहपुरी बेरी थाना क्षेत्र में बुधवार को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। छात्रा के माता-पिता ने गुरुवार को समाज की भलाई के लिए कोमल (8) के दोनों नेत्र एम्स में दान कर दिए हैं। पिता ने बताया कि भले ही उनकी बेटी अब उनके बीच नहीं हैं। पर उसकी आंखें दुनियां को देखेंगी। पिता रामदीन ने कहा कि गरीब लोगों के पास समाज को देने के लिए कुछ नहीं होता। पर उन्होंने कोमल के मौत के बाद यह निर्णय लिया कि उसकी दोनों नेत्र दान कर दिए जाएं, ताकि कोई जरूरतमंद उनकी बेटी की आंख से दुनिया को देख सके। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची के शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है।

www.readwhere.com

तटरक्षक बल को मिला तलाशी-जब्ती का अधिकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

तटरक्षक बलों को अब तटरक्षक कानून के तहत भारत के समुद्री क्षेत्र में अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और किसी भी पोत पर सवार होने और उसकी तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है। रक्षा सचिव अजय कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस एजंसी को पहले भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से गुजरने वाले किसी पोत पर सवार होने का अधिकार नहीं था। अजय कुमार ने ट्वीट किया, 'भारतीय तटरक्षक को सशक्त बनाने और तटीय सुरक्षा बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके तटरक्षक को ईईजेड और उसके 'महाद्वीपीय शेल्फ' में संदेहास्पद पोतों 'पर जाने, उन पर सवार होने, उनकी तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने' का अधिकार दिया है।' जारी अधिसूचना में कहा गया कि तटरक्षक कानून, 1978 के तहत केंद्र सरकार 'तटरक्षक बल के हर सदस्य' को 'किसी भी ऐसे पोत पर जाने, उस पर सवार होने, उसकी तलाशी लेने और उसे जब्त करने, या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, या किसी भी ऐसे कत्रिम द्वीप या तैरती वस्तु या जल के नीचे किसी भी चीज को जब्त करने' का अधिकार देती है जिसके किसी अपराध में शामिल होने का संदेह हो।

भाजपा ने 1984 के दंगों में राव का नाम उछालने के लिए मनमोहन की निंदा की

नई दिल्ली/चंडीगढ़, 5 दिसंबर (भाषा)।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर तत्कालीन गृह मंत्री पीवी नरसिंह राव सेना को बुलाने के सुझावों पर ध्यान देते तो 1984 के सिख विरोधी दंगों को टाला जा सकता था। भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दंगों के लिए गुरुवार को राजीव गांधी को जिम्मेदार बताया।

पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में सिंह ने बुधवार को कहा था कि गुजराल ने राव को सिख विरोधी हिंसा को रोकने के लिए सेना बुलाने का सुझाव दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद सिखों के खिलाफ हिंसा हुई थी। इंदिरा गांधी की 31 अक्तूबर, 1984 को हत्या कर दी गई थी। सिंह ने कहा, 'जब 1984 की दुखद घटना हुई थी, गुजराल जी उस दुखद शाम को तत्कालीन गृह मंत्री पीवी नरसिंह राव के पास गए थे और उनसे कहा था कि स्थिति गंभीर है और सरकार के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द सेना को बुलाए। अगर इस सलाह पर ध्यान दिया जाता तो शायद 1984 में हुए नरसंहार को टाला जा सकता था।' सिंह पर तंज कसते हुए भाजपा ने पूछा कि अगर राव इतने 'बुरे' थे तो वह 1991 में उनकी सरकार में उन्हें वित्त मंत्री क्यों बने थे।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दंगों के लिए राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसी रात को प्रधानमंत्री बने थे। जावडेकर ने नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री के पास ऐसी स्थिति में सेना को तैनात करने के लिए आदेश देने का अधिकार है। मंत्री ने पत्रकारों से कहा, 'राजीव गांधी ने बाद में यह कहकर दंगों का समर्थन किया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है।' गुजराल के बेटे व अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने सच बोलने के लिए सिंह की तारीफ की।

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने चंडीगढ़ में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान से उन्हें 'बड़ा दुख और निराशा' हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बजाय किसी और पर दोषारोपण स्तब्ध कर देने वाला प्रयास है। शिअद प्रमुख ने कहा, 'प्रासंगिक सरकारी रिकार्ड स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सेना की तैनाती के विरुद्ध निर्णय राजीव गांधी के निवास पर हुई बैठक में लिया गया था।'

उधर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सिख विरोधी दंगों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दोषी ठहराया। उन्होंने देवास में एक कार्यक्रम के बाद संवादाताओं से कहा, '1984 का सिख कत्लेआम भारत मां के दामन पर काला दाग हैं। इसके लिए गांधी परिवार को माफी मांगनी चाहिए।'

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED
Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: info@shivkamalimpex.com; siv_kamal@yahoo.com
CIN: L52110DL1985PLC019893,
Website: www.shivkamalimpex.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, December 12, 2019 at 11:00 a.m.** at the Registered Office of the Company at Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.), New Delhi- 110016 inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter & half year ended September 30, 2019.

Further, in terms of Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by designated persons under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window has been closed for all Designated persons and their immediate relatives from **October 01, 2019 to December 14, 2019** (both days inclusive).

This information may be accessed on the Company's website at **www.shivkamalimpex.com** and may also be accessed on the Stock Exchange's website at **www.bseindia.com.**

For **Shivkamal Impex Limited**
sd/-
Manu Jain
(Director)

Place: New Delhi
Date: 05.12.2019

ICICI Bank — आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003
पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर, निकट चकली सर्किल, ओल्ड पाद्रा रोड, वडोदरा, गुजरात, पिन-390 007
कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बान्द्रा (पू.), मुम्बई-400 051

शुद्धिपत्र

इस समाचार-पत्र में 09.11.2019 को प्रकाशित ''सार्वजनिक सूचना-प्रतिभूत आस्ति के विक्रय हेतु निविदा सह नीलामी'' (कर्जदार का नाम मैसर्स एनसीएमएल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड) तथा खसरा नं. 512, 513, 514 ग्राम छिजारसी कुलीचनगर, परगना डासना, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) पर स्थित रिफाइनरी यूनिट की ई-नीलामी के सम्बन्ध में 26.11.2019 को प्रकाशित शुद्धिपत्र अब निरस्त किया जाता है।

ह./-
दिनांक : 06 दिसम्बर, 2019 — **अधिकृत प्राधिकारी,**
स्थान : दिल्ली — **कृते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड**

अनुसूची -II
फॉर्म - बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
(दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12)
मैसर्स अर्जुन इस्पात इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	कॉरपोरेट ऋणी का नाम	मैसर्स अर्जुन इस्पात इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
2	कॉरपोरेट ऋणी के निगमन की तारीख	05.12.2005
3	वह प्राधिकरण जिसके तहत कॉरपोरेट ऋणी निगमित/पंजीकृत है	आर.ओ.सी.- दिल्ली
4	कॉरपोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता पहचान संख्या	U29105DL2005PTC143271
5	कॉरपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय (यदि कोई है तो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: वाई-59, लोहा मण्डी, नौरा, नई दिल्ली, डी.एल. 110028 इण्डिया
6	दिवालिया समाधान प्रक्रिया के बंद होने की तारीख	01.07.2019
7	कॉरपोरेट ऋणी की परिसमापन प्रारम्भ की तारीख	18.11.2019 (माननीय एनसीएलटी-नई दिल्ली बेंच-II के आदेश दिनांक 18.11.2019, दिनांक 04.12.2019 को एन.सी.एल.टी. की साइट पर अपलोड किया गया।)
8	दिवालियापन पेशेवर का परिसमापक के रूप में नाम एवं पंजीकरण संख्या	श्री रजनीश सिंघवी पंजी. नं. IBBI/IPA-001/IP-P00037/2017-2018/10098
9	परिसमापक का पता व ई-मेल, जो बोर्ड के साथ पंजीकृत है	36-ए, सूरज नगर (पूर्व), सिविल लाईन्स, जयपुर, राजस्थान-302006, ई-मेल: rajneesha1@gmail.com
10	परिसमापक के साथ उपयोग किये जाने वाला पत्राचार का पता एवं ई-मेल	36-ए, सूरज नगर (पूर्व), सिविल लाईन्स, जयपुर, राजस्थान-302006, ई-मेल: liquidatoraipl@gmail.com, rajneesha1@gmail.com
11	दावों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारीख	02.01.2020

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, (नई दिल्ली बेंच-II) दिनांक 18.11.2019 को मैसर्स अर्जुन इस्पात इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापन प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है। (आदेश एन.सी.एल.टी. की साईट पर दिनांक 04.12.2019 को अपलोड किया।)

मैसर्स अर्जुन इस्पात इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को मद संख्या 10 में उल्लिखित पते पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को या इससे पूर्व परिसमापक के समक्ष उनके दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है।

वित्तीय लेनदार अपने दावों के साक्ष्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ही जमा करवा सकेंगें। अन्य हितधारकों अपने दावों के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जमा करवा सकेंगें, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इण्डिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची-II में इसके संबंधित प्रपत्र उपलब्ध है। दावों के झूठे या भ्रामक प्रमाणों के प्रस्तुतीकरण होने पर जुर्माना देना पड़ेगा।

रजनीश सिंघवी
परिसमापक
(माननीय एनसीएलटी-नई दिल्ली बेंच-II के आदेशानुसार दिनांक 18.11.2019 को नियुक्त)
मैसर्स अर्जुन इस्पात इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
पंजी. नं.: IBBI/IPA-001/IP-P00037/2017-2018/10098
ई-मेल- liquidatoraipl@gmail.com (प्रक्रिया विशिष्ट)
ई-मेल- rajneesha1@gmail.com (आई.बी.बी.आई. के साथ पंजीकृत)
सम्पर्क नं.- +91-9314511003
आई.बी.बी.आई.के साथ पंजीकृत पता
36ए, सूरज नगर (पूर्व), सिविल लाईन्स, जयपुर, राजस्थान- 302006

दिनांक : 04.12.2019
स्थान : जयपुर

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली के समक्ष
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंकों तथा वित्तीय संस्थान के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम-1993 की धारा 19(4) के तहत सूचना।
ओ.ए. सं. 124/2019/डीआरटी-III
के मामले में
भारतीय स्टेट बैंक — **आवेदक**
बनाम
पारस वर्मा एवं अन्य — **प्रतिवादी**
सेवा में,
डी-2 मैसर्स आम्रपाली ड्रीम वैली प्रा.लि., 307, तीसरी मंजिल, निपुन टावर्स, प्लॉट सं. 15, कम्युनिटी सेंटर, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092. साथ ही : सी-56/40, सेक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। साथ ही : प्लॉट सं. जीएच-09, सेक्टर टेकजोन-IV, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

जबकि उपर्युक्त नाम के आवेदक ने आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है और जबकि यह अधिकरण की सन्तुष्टि तक प्रदर्शित है कि अपको सामान्य ढंग से यह सूचना देनी सम्भव नहीं है, अतः विज्ञापन द्वारा आपको इस अधिकरण में 10.02.2020 को 10.30 बजे प्रातः उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान दें कि इस अधिकरण के समक्ष उपर्युक्त तिथि पर आपके उपस्थित न होने की स्थिति में मामले की सुनवाई की जायेगी और आपकी अनुपस्थिति में फैसला लिया जायेगा।
03 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित।

अधिकरण के आदेशानुसार,
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, नई दिल्ली

संयोजन
कॉरपोरेट देनदार
वल्लभ स्टील वैस्ट प्राइवेट लिमिटेड
के मामले में **''ईओआई जमा करने का निमंत्रण''**
जो की फाईनेंशल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी) और रोजाना स्पोक्समैन (पंजाबी) संस्करणों में **16 सितम्बर, 2019** को प्रकाशित हुआ था,
ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि **20 दिसंबर, 2019** को **शाम 6 बजे** तक बढ़ाई जा रही है
तदनुसार, मूल प्रकाशन के विभिन्न क्रम संख्या में तारीखों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है

10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	20 दिसम्बर, 2019
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	22 दिसम्बर, 2019
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	27 दिसम्बर, 2019
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	29 दिसम्बर, 2019
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	27 दिसम्बर, 2019
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26 जनवरी, 2020

अन्य सभी नियम और शर्तें, पहले के निमंत्रण के समान रहेंगी

हस्ता/-
नरेन्द्र कुमार शर्मा
समाधान पेशेवर
112ए, फेस-V, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122016, हरियाणा
ईमेल: rp.vswpl@gmail.com
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00125/2017-18/10294

तिथि : 06/12/2019
स्थान: गुरुग्राम

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

समक्ष वसूली अधिकारी- द्वितीय, ऋण वसूली प्राधिकरण, देहरादून
माँग तथा उपस्थित होने की सूचना
(नोटिस अंतर्गत आयकर एक्ट 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 सपठित धारा 25-29, रिकवरी ऑफ डेप्ट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट, 1993)
टी.आर.सी. संख्या 550/2018 (डी.आर.टी. लखनऊ का पुराना डीआरसी संख्या 62/2017)
डायरी संख्या 504 — **दिनांक: 15.11.2019**
पंजाब नेशनल बैंक, — **बनाम** — **मैसर्स गणपति इंडस्ट्रीज एवं अन्य**
नारी शिल्प मन्दिर, देहरादून
सेवा में,
सीडी नं0 1: मैसर्स गणपति इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री रणजीत कुमार 1035-बी-2, हरिद्वार रोड, कुआंवाला, देहरादून
द्वितीय पता: C/H-235 हरिद्वार रोड, कुआंवाला, देहरादून।
तृतीय पता: 895 छिद्दरवाला, देहरादून।
चौथा पता: C/o श्री शिवराम अग्रवाल, 174/2, पुराना, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
सीडी नं0 2: श्री रणजीत कुमार, पुत्र श्री अशोक कुमार, प्रोपराइटर मैसर्स गणपति इंडस्ट्रीज, स्थित 895 छिद्दरवाला, देहरादून। — **सर्टिफिकेट डेबटर्स**

कृपया ध्यान दें कि पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा ओ.ए. सं0 **220/2015** में जारी वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार **रू0 77,94,670/-** (रुपये सततर लाख चौरानवे हजार छ सौ सत्तर मात्र) की राशि + वादकालीन खर्चे एवं भावी ब्याज @12% प्रतिवर्ष मूल आवेदन के दाखिल होने की तिथि 23.03.2015 से ऋण के पूर्णतः वसूली होने तथा होने वाले लागतों को एकपक्षीय रूप से प्रतिवादी सं. 1 से 2 के विरूद्ध संयुक्त एवं पृथक रूप से ओ.ए. के फाइल होने की तिथि से प्रतिवादियों से पूर्ण वसूली होने तक आज्ञप्ति पारित किया जाता है। उपरोक्त वसूली प्रमाण पत्र अब ऋण वसूली प्राधिकरण देहरादून को स्थानान्तरित हो गया है जिसका नया क्रमांक टी.आर.सी. न. **550/2018** है।
आपको यह निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर उक्त राशि का भुगतान कर दें जिसमें असफल होने पर नियमानुसार वसूली कार्यवाही की जायेगी। उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
(क) इस प्रमाण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि।
(ख) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।
आपको निर्देष दिया जाता है कि आप अधिकरण, देहरादून के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु दिनांक **18.12.2019** को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित हो, गैर उपस्थिति के मामले में कार्यवाही की सुनवाई एक पक्षीय की जायेगी।
15 नवम्बर 2019 को अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

वसूली अधिकारी- द्वितीय डीआरटी, देहरादून

अनुसूची II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक घोषणा
[दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]
सुमेरु प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	सुमेरु प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	13.05.1986
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U51909DL1986PTC024201
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	जी-2, जीवन अपार्टमेंट्स, 16 ए, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली -110025
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	11.10.2019
7.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	03.12.2019, (आदेश दिनांक 03.12.2019 का 04.12.2019 को प्राप्त हुआ)
8.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और पंजीकरण नंबर	**राजीव मलिक** बी-7/18, मियांवाली नगर, दिल्ली - 110087 **पंजीकृत सं.:** IBBI/IPA-002/IP-N00391/2018-2019/12115 **ईमेल** sumeruliquidation@gmail.com, ipmalik2009@gmail.com **मो.** : 9810234731
9.	दावे प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	**02.01.2020**

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने **03 दिसम्बर, 2019** को **सुमेरु प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड** के परिसमापन का आदेश दिया है (आदेश दिनांक 04 दिसम्बर 2019 को प्राप्त हुआ)
सुमेरु प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को इसके द्वारा **02 जनवरी 2020** को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे परिसमापक के पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसे की मद संख्या 8 के सम्मुख उल्लेख किया गया है।
वितीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।
असत्य या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

हस्ता/-
परिसमापक का नाम और हस्ताक्षर - **राजीव मलिक**
पंजीकृत सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00391/2018-2019/12115

दिनांक : 06.12.2019
स्थान : दिल्ली

भाजपा सांसद ने पूछा, ऑटो क्षेत्र में मंदी है तो एक-एक घर में कई गाड़ियां क्यों?

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने गुरुवार को आर्थिक मंदी को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए लोकसभा में कहा कि अगर आटो क्षेत्र में मंदी है तब एक एक घर में कई गाड़ियां और सड़क पर जाम क्यों है? सांसद ने आरोप लगाया कि देश को बदनाम करने के लिए ऑटो क्षेत्र में मंदी और बिक्री कम होने की बातें की जा रही हैं। भाजपा सांसद सिंह ने यह भी कहा कि प्याज महंगे होने की बात की जा रही है, लेकिन चलिए, मैं अपने संसदीय क्षेत्र (बलिया) के मोहमदाबाद में 25 रुपए किलो की दर एक ट्रक प्याज दिलवाता हूं। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक मंदी का माहौल खड़ा किया जा रहा है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत, चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.
अधिकृत प्राधिकारी - श्री रोहित दुडेजा । सम्पर्क नम्बर : 7838324723

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी सूचना।
एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर पूर्व की कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, नवल किशोर गुप्ता, श्वेता वार्ष्णेय से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) का 28 जनवरी, 2019 तक के बकाये की राशि रु. 35,48,690.19/- की वसूली के लिए 24.12.2019 को ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी।
आरक्षित मूल्य **रु. 42,00,000/-** तथा जमा धरोहर राशि **रु. 4,20,000/-** होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट सं. 17 खसरा नं. 2171/1044/822/1 मिन ग्राम चन्द्रावली उर्फ शाहदरा ब्लॉक सं. 28, विश्वास नगर, दिल्ली-110032 से निर्मित सम्पूर्ण भाग।
विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वेबसाइट में प्रावधानित लिंक www.idfcfirstbank.com देखें।
अस्वीकरण : कृपया ध्यान दें कि कथित सूचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों, यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

ह./-
अधिकृत प्राधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
दिनांक : 04.12.2019 — **(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड)**

आन्ध्रा बैंक — ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking)
गुड़गाँव शाखा, पुराना स्टेशन रोड, एससीओ-5, जेल लैण्ड सोहना चौक, गुड़गाँव - 122001, टेली. नं. 0124-2300494

बिक्री के विषय में ऋणधारक को जानकारी देने के लिए सूचना (30 दिनों की सूचना)
{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6 (2)/ 8 (6)} की ओर सेः

जे अस्वर्था नाइक, ओल्ड स्टेशन रोड गुड़गाँव शाखा, प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक अधिनियम 2002 की धारा 54 के अंतर्गत
सेवा में, ऋणधारकों: श्रीमती पुष्पा ,खन्ना, पत्नी हरबंस लाल खन्ना, एच. नं. 68/5 (पुराना), 591/7 (नया) कृष्णा मंदिर के निकट, जैकबपुरा, गुड़गाँव **सह-आवेदक** 1. श्री राजीव खन्ना, पुत्र हरबंश लाल खन्ना, एच. नं. 68/5 (पुराना), 591/7 (नया) कृष्णा मंदिर के निकट, जैकबपुरा, गुड़गाँव 2. श्री विनोद खन्ना, पुत्र हरबंश लाल खन्ना, एच. नं. 68/5 (पुराना),591/7 (नया) कृष्णा मंदिर के निकट, जैकबपुरा, गुड़गाँव

विषयः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए आपकी सम्पत्तियों की बिक्री

जैसा कि धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 01.06.2019 के माध्यम से मेरे/बैंक द्वारा की गई मांग के बावजूद आपने बैंक की बकाया राशि के भुगतान में चूक की है।
मैंने, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13.9.2019 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
संपत्तियों को कब्जे में लेने के बावजूद आपने आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, अतएव निविदा आमंत्रण /सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी निजी संधि (जो भी लागू तथा उपयुक्त हो) के द्वारा रु. 15600000/- (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख मात्र) की आरक्षित मूल्य से ऊपर इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के बाद नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री करना आवश्यक हो गया है।
नीलामी की तिथि एवं समय तथा सेवा प्रदाता के विवरणों के विषय में बिक्री सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा जो अलग से जारी की जाएगी तथा संपत्तियों की बिक्री उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को की जाएगी। चूंकि संपत्तियों की बिक्री निजी संधि द्वारा अथवा व्यक्तियों से कोटेशन प्राप्त कर भी की जाएगी जो बैंक तथा इच्छुक क्रेता को स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। यदि आपके पास निजी संधि द्वारा अथवा कोटेशन प्राप्त कर किसी व्यक्ति को सम्पत्ति की बिक्री करने का ऐसा कोई प्रस्ताव हो, आप इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुझे उसकी जानकारी दें जिसमें विफल होने पर यह माना जायेगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा मैं, तत्काल निविदा आमंत्रण /सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी निजी संधि द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की कार्रवाई करूंगा।
कृपया ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक नीलामी अथवा जनता से कोटेशन या निविदा आमंत्रित कर अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पट्टा, एसाइनमेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के लिये निजी संधि द्वारा बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक लागत, बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ उस पर परवर्ती ब्याज के साथ मांग सूचना तिथि 01.06.2019 में निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर देते हैं तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिये आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी

सम्पत्ति की अनुसूची
अचल सम्पत्ति

अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः
1. आवासीय (तीन मंजिला सम्पत्ति, मकान सं. 68/5 (पुराना)591/7(नया), कृष्णा मंदिर जैकबपुरा के निकट, गुड़गाँव, पिन-122001 में स्थित श्री विनोद खन्ना, श्री राजीव खन्ना तथा श्रीमती पुष्पा खन्ना (सम्पत्ति के स्वामी) के स्वामित्व का भूमि तथा भवन आवासीय तथा चौहद्दीः पूर्वः अन्य का मकाना, पश्चिमः रोड + पार्क, उत्तरः मकान सं. 69/5, दक्षिणः गली,
2. चल सम्पत्तिः एनए

(जे अस्वर्था नाइक)
सहा. महाप्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी,
आन्ध्रा बैंक

तिथि:06.12.2019
स्थानः गुड़गाँव

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड — Muthoot Finance
कॉर्पोरेट कार्यालय : 1201 एवं 1202, 12वीं मंजिल, 'ए' विंग, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ऑफ. वेस्टर्न एक्स प्रेस हाइवे, गोरेगाँव (ईस्ट), मुम्बई-400 063

माँग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत। अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड (एमएचआईएल) का अधिकृत प्राधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कर्जदार/रों (''कथित कर्जदार'') से उनके लिए निर्गत सम्बद्ध माँग सूचना/ओं, जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए माँग सूचनाएँ निर्गत की हैं।
उपर्युक्त के सम्बन्ध में एतद्वारा एक बार पुनः कथित कर्जदार को इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर कथित कर्जदारों द्वारा अन्य दस्तावेजों/प्रलेखनों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत नीचे उल्लिखित तिथियों से देय भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक कथित माँग सूचनाओं में वर्णित के अनुसार नीचे उल्लिखित राशियों तथा उस पर 2% प्रतिमाह की दर से भावी ब्याज का पुनर्भुगतान एमएचआईएल को अदा करने के लिए सूचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में कथित कर्जदारों द्वारा क्रमशः एमएचआईएल के पास बंधक आस्तियाँ निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	कर्जदार(रों)/सहकर्जदार(रों) के नाम/ऋण खाता सं./शाखा	कुल बकाया राशि (रु.)	माँग सूचना की तिथि	प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)
1	शैलेश सिंह/अर्चना सिंह 056-05600114/गाजियाबाद	रु. 14,29,942/- (रुपये चौदह लाख उनतीस हजार नौ सौ बयालीस मात्र)	10.09.2019	म.नं. 7, खसरा नं. 1381 पंचकुला कॉलोनी, तीसरा, ग्राम- छपरौला, तहसील- दादरी, गौ.बु. नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201009
2	मनोज कुमार/आरती 058-05800003/नोएडा	रु. 7,68,941/- (रुपये सात लाख अड़सठ हजार नौ सौ इकतालीस मात्र)	26.09.2019	खसरा नं. 69 एवं 510, सीमा गार्डन, 2, म.नं. 02, गली नं. 7, चोटपुर कॉलोनी, बहलोलपुर, सेक्टर-63, परगना एवं तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

यदि कथित कर्जदार उपर्युक्त के अनुसार एमएचआईएल को भुगतान करने में असफल रहते हैं तो एमएचआईएल लागतों तथा परिणामों के प्रति कथित कर्जदारों के सम्पूर्ण जोखिम पर कथित अधिनियम की धारा 13(4) तथा प्रयोज्य नियमों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा।
अधिनियम के तहत कथित कर्जदारों को एमएचआईएल की लिखित पूर्व अनुमति के बिना विक्रय, पट्टे या अन्य प्रारूप में उपर्युक्त आस्तियों को हस्तान्तरित करने से निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कथित नियमों के प्रावधानों या उसके तहत निर्मित नियमों का उल्लंघन करता है या प्रावधानों के उल्लंघन में सहायता करता है वह अधिनियम के तहत प्रावधानित के अनुसार जेल तथा/अथवा जुर्माने का उत्तरदायी होगा।

ह./-
स्थानः उत्तर प्रदेश — **अधिकृत प्राधिकारी**
दिनांकः 06.12.2019 — **कृते मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड**

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के मामले में एक राज्य से दूसरे राज्य में आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन के लिये
तथा
वाई एच इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 6/38, राजीव कॉलोनी, एनएच-8, गुड़गांव, गुड़गांव, एचआर 122001, आई एन में है, के मामले में
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''हरियाणा राज्य से'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 29 अक्टूबर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, कार्यालय के पतेः उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
यूनिट नं. 6/38, राजीव कॉलोनी, एनएच-8, गुड़गांव, हरि. 122001 आई एन
कृत्ते एवं के लिए आवेदक
वाई एच इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(हयुन जू किम)
तिथि: 6.12.2019 — **निदेशक**
स्थानः गुड़गांव — **DIN: 05303154**
पताः फ्लैट नं. कैस्टिल्ले अपार्टमेन्ट नं. 201, टावर 10, जय पी ग्रीन्स, गौतम बुध नगर, ग्रेटर नोएडा-201306, उ.प्र. आईएन

नियुक्तियां

INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY, SHIBPUR
भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर
ভারতীয় প্রকৌশল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, শিবপুর
(An Institute of National Importance under MHRD, Govt. of India)

नियुक्ति सूचना
संकाय पदों हेतु रोलिंग विज्ञापन
विज्ञा. सं.: डिई/आरओ/19/104 — **दिनांक: 05.12.2019**
संदर्भ विज्ञापन क्रमांकः जेयू/आरओ/19/57, दिनांक: 11.06.2019
उपरोक्त विज्ञापन के संदर्भ में संस्थान की वेबसाइट **www.iiests.ac.in** में एक परिशिष्ट प्रस्तुत किया गया है।
कुलसचिव

आन्ध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
436, एसएम आर्केड, सेक्टर- 12, वसुन्धरा, गाजियाबाद- 201012
टेली. नं.: 0120- 2883272

कब्जा सूचना
{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1)}
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित ऋणधारकों के लिये जारी कर उन्हें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथियों को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित्त प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहां नीचे वर्णित राशि के लिये आन्ध्रा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जा सूचना की तिथि	अचल संपत्तियों का विवरण
मै. अपराजिता एंजिकॉन प्रा.लि.	3.6.2019 रु. 64,69,758/- (रुपये चौंसठ लाख उन्हत्तर हजार सात सौ अन्ठावन मात्र)	2.12.2019	शहरी भूमि एवं भवन- प्लॉट नं. 110, सेक्टर-12, वसुन्धरा, गाजियाबाद में स्थित श्रीमती प्रणिता रावत के स्वामित्व में आवासीय सम्पत्ति, माप लगभग 1377.28 वर्ग फीट। चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 12/109, पश्चिमः रोड, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः प्लॉट नं. 12/111
श्रीमती मुक्ता गोयल तथा श्री नितिन गोयल	1.7.2019 रु. 1876230.20 (रुपये अठारह लाख छियत्तर हजार दो सौ तीस तथा पैसे बीस मात्र मात्र)	2.12.2019	अधोलिखित भूमि तथा भवन में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः श्री नितिन गोयल (सम्पत्ति के स्वामी) की आवासीय सम्पत्ति जो फ्लैट नं. डी-234, दूसरा तल, (छत के अधिकार के साथ) कवर्ड एरिया 74.273 वर्ग मी., गोविनदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः डी-233, पश्चिमः डी-235, उत्तरः 30 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः डी-210

स्थानः गाजियाबाद
तिथिः 2.12.2019
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
(आन्ध्रा बैंक)

होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड — HomeShree, Your Trust, Our Pride
पंजीकृत कार्यालय : 705, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-43586767, 8882233311, सीआईएन : U6519DL2010PLC206137
नीलामी सह विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सामान्य रूप से जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार को सूचित किया जाता है कि होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके पश्चात इसे **''ऋणदाता कम्पनी''** कहा जायेगा) के अधिकृत प्राधिकारी के पास बंधक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने 29.11.2019 को भौतिक कब्जा कर लिया है, श्री ब्रजेश कुमार (कर्जदार) तथा श्रीमती सोमा राज (सह-कर्जदार) से **रु. 25,69,725/- (रुपये पच्चीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ पच्चीस मात्र)** तथा 09.11.2018 से वसूली की तिथि तक प्रतिभूत लेनदार के अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित बकाया राशि की वसूली हेतु ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ''ऋणदाता कम्पनी के बिना किसी आश्रय के'' 10.01.2020 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 69,50,000/- (रुपये उनहत्तर लाख पचास हजार मात्र) होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 6,95,000/- (रुपये छः लाख पिचानबे हजार मात्र) होगी, जिसके विवरण निम्नलिखित हैं

कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/के नाम	सरफाएशी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना के अनुसार तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.)	प्रस्ताव/ज.ध.रा. जमा करने की अन्तिम तिथि
1. श्री ब्रजेश कुमार (कर्जदार) 2. श्रीमती सोमा राज (सह-कर्जदार), (ऋण खाता सं. : HL/DEL/05/2017/003)	**2 मार्च, 2019 रु. 25,69,725/-** (रुपये पच्चीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ पच्चीस मात्र) 09.11.2018 से प्रभावी प्रतिभूत लेनदार का बकाया अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य प्रभार।	निम्नलिखित से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग : प्लॉट सं. 1/4, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद-201014, उत्तर प्रदेश पर महागुन मैन्शन फेज-2 में 3 बीएचके आवासीय फ्लैट सं. 804, ब्लॉक-ओसिमो, 8वीं मंजिल, टाइप एचआईजी-1 का सम्पूर्ण भाग। सीमा : उत्तर : 100 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण : 80 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व : प्लॉट सं. 1/3 वैभव खण्ड, पश्चिम : प्लॉट सं. 1/5 वैभव खण्ड। आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल : सुपर एरिया 154.21 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 123.37 वर्ग मीटर।	रु. 69,50,000/- (रुपये उनहत्तर लाख पचास हजार मात्र)	रु. 6,95,000/- (रुपये छः लाख पिचानबे हजार मात्र)	08/01/2020 को 4.00 बजे अपराह्न तक नीलामी की तिथि/समयः 10.01.2020 1100 बजे-1400 बजे

बिक्री के महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें :
(1) विक्रय के सभी सामान्य नियम एवं शर्तों सहित संविदा दस्तावेज/प्रपत्र ऊपर उल्लिखित ऋणदाता कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधिकृत प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक संविदाकारों को अपनी मुहरबन्द संविदाएँ ऋणदाता कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजनी हैं। संविदा के साथ ''होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में आहरित दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ज.ध.रा. (जो संविदा राशि का 10% होगा) ऋणदाता कम्पनी के उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर जमा करनी है। जो संविदाएँ भरी नहीं गयी हैं अथवा अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होती हैं उन्हें अवैध संविदा माना जायेगा और तदनुसार उसे निरस्त कर दिया जायेगा। संविदाकार द्वारा एक बार संविदा जमा करने के उपरान्त इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।
(2) मुहरबन्द संविदाएँ **10.01.2020 को 11.00 बजे-14.00 बजे** तक ऋणदाता कम्पनी के उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर उस समय उपस्थित संविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी और ऋणदाता कम्पनी को पारस्परिक संविदा संचालित करने का अधिकार होगा। संविदाकारों/क्रेताओं के उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे। सफल संविदाकारों को विक्रय मूल्य का 25% (ज.ध.रा. शामिल) तुरन्त या अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस तक होमश्री हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में आहरित, दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा और सफल संविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की शेष राशि कम्पनी द्वारा विक्रय सुनिश्चित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक संविदाकारों द्वारा प्रदत्त ज.ध.रा. तथा विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल संविदाकार विक्रय की शर्तों का अनुपालन करने में असफल होता है या कोई चूक करता है तो ज.ध.रा. अथवा 25% की जमा, जैसा मामला हो, कम्पनी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
(3) अपने पूर्ण ज्ञान एवं सूचना से ऋणदाता कम्पनी को छोड़कर विक्रय की जा रही सम्पत्ति पर किसी प्रकार के ऋणभार की ऋणदाता कम्पनी को जानकारी नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी स्वयं की सन्तुष्टि के लिए सम्पत्ति का अपना निजी आकलन कर लेना चाहिए। ऋणदाता कम्पनी उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्तता/स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से कोई गारंटी नहीं लेती है या कोई प्रतिनिधान नहीं करती है। किसी अन्य सूचना के लिए अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, ग्रहणाधिकारी, ऋणभार, सम्पत्ति कर या सरकारी अथवा किसी अन्य निकाय के किसी अन्य बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। स्टाम्प शुल्क, विक्रय प्रमाणपत्र का पंजीकरण प्रभार, सोसाइटी प्रभार, परिवहन, जी.एस.टी., टीडीएस, आदि से सम्बन्धित सभी व्यय बोलीदाता/क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
(4) अधिकृत प्राधिकारी को कोई या सभी प्रस्ताव/संविदा स्वीकार करने या निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण बताए विक्रय को आस्थगित करने/निरस्त करने या बिना किसी पूर्व सूचना के विक्रय की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार एवं विशेषाधिकार है।
(5) ऋणदाता कम्पनी सम्पत्ति के किसी ऐसे दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं है जो ऋणदाता कम्पनी के संज्ञान में नहीं है।
(6) दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु तथा विक्रय के नियम एवं शर्तों हेतु इच्छुक संविदाकार/क्रेता अधिकृत प्राधिकारी से उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर पहले से समय लेकर किसी भी कार्यकारी दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

सरफाएशी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) तथा 9(1) के तहत 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

कर्जदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित ऊपर उल्लिखित राशि नीलामी से पूर्व अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत सहित वसूल किया जायेगा।
स्थान : नई दिल्ली — ह./-
दिनांक : 06.12.2019 — संदीप कुमार (अधिकृत प्राधिकारी)

www.readwhere.com

जनसत्ता

नागरिकता का सवाल

नागरिकता संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में रखेगी, ताकि यह कानून का रूप ले सके। लोकसभा में तो राजग को प्रचंड बहुमत है, इसलिए वहां से इसे मंजूरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजग से अलग कुछ दलों की इस पर चुप्पी को देखते हुए राज्यसभा में भी कोई बड़ी अड़चन नजर नहीं आती। राष्ट्रीयता कानून विधेयक का मकसद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के रूप में भारत आए गैर-मुसलिम लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। हालांकि इस विधेयक के सभी पहलुओं को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, पर इसे लेकर विपक्षी दल सरकार पर इसलिए हमलावर हैं कि वह इसके जरिए अल्पसंख्यक मुसलिमों पर शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है। मगर सरकार ने कहा है कि ये तीनों देश चूंकि मुसलिम बहुल हैं और वहां गैर-मुसलिम नागरिकों पर अत्याचार होते रहते हैं, इसलिए उनको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। वहां से आए मुसलिम शरणार्थियों को वापस भेजने में उनकी सुरक्षा आदि का कोई खतरा नहीं है। मगर विपक्ष के गले यह तर्क उतर नहीं रहा।

दरअसल, असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरह राष्ट्रीय नागरिकता पंजीयन यानी एनआरसी लागू करने का प्रयास हो रहा है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों पर भी भारत की नागरिकता खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है, जो कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। बस कुछ जरूरी कागजात न हो पाने की वजह से उनकी नागरिकता संदिग्ध मान ली गई है। फिर कुछ मौकों पर गृहमंत्री के दिए बयानों से लोगों में यह भ्रम पैदा हुआ है कि वे सिर्फ मुसलिम समुदाय के लोगों को देश से बाहर भेजने का रास्ता निकाल रहे हैं। इसलिए विपक्ष का विरोध अधिक है। जबकि सरकार ने एनआरसी लागू करने का कदम इसलिए उठाया था कि इन तीनों पड़ोसी देशों से शरणार्थी की तरह घुसपैठ करने वालों में कई आतंकवादी भी पहुंच जाते हैं। यों बांग्लादेशी शरणार्थियों की गतिविधियां अनेक मौकों पर संदिग्ध पाई गई हैं। चूंकि सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए हर तरह से चाकचौबंद होना चाहती है, इसलिए वह एनआरसी को लेकर गंभीर है।

पूरी दुनिया में जहां भी अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति अगर अन्याय होता है और वे वहां से पलायन करते हैं, तो दूसरे देश उन्हें शरणार्थी के तौर पर रहने का अवसर देते हैं। हर जगह इसके कायदे-कानून हैं। मगर शरणार्थियों को संबंधित देश की नागरिकता दी जाए या नहीं, इसके लिए भी कानून हैं। भारत में भी हैं। मगर खासकर बांग्लादेश से आकर वर्षों से यहां बसे बहुत सारे मुसलिम परिवारों ने राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे नागरिकता के लिए जरूरी कागजात भी हासिल कर लिए हैं। गैरकानूनी तरीके से ऐसे प्रमाणपत्र बनवाने वाले कुछ एजेंटों की मदद से कई पासपोर्ट आदि भी हासिल कर लेते हैं। ऐसे में उनकी पहचान कठिन हो जाती है। फिर हर देश की अपनी सीमा होती है। भारत में पहले ही जनसंख्या का भारी दबाव है, उस पर भारी संख्या में आ जुटे शरणार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना कठिन काम है। इसलिए भी सरकार की चिंता समझी जा सकती है। मगर बांग्लादेश बंटवारे के समय सीमा संबंधी कुछ उलझनें होने की वजह से वहां के बहुत सारे लोगों की नागरिकता को लेकर विवाद रहता है। ऐसे में इस कानून को अंतिम रूप देने से पहले इसके व्यावहारिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

हताशा और हथियार

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बुधवार को आइटीबीपी शिविर में एक जवान ने जिस तरह गोलीबारी कर चार जवानों की हत्या कर दी और फिर गोली मार कर खुदकुशी कर ली, उसने एक बार फिर इस गहराती समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। यह कोई नई घटना नहीं है। पहले भी कई मौकों पर देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी खबरें मिली हैं, जिनमें किसी जवान ने गुस्से में बेकाबू होकर अपने ही साथियों पर गोली चला दी या खुद को गोली मार ली। जिन सैनिकों को देश की रक्षा का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, उनके बीच इस तरह की घटनाओं पर तत्काल गौर करने और इन्हें रोकने के लिए हर स्तर पर जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। मुश्किल यह है कि आमतौर पर जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है, उसके बाद एक सामान्य औपचारिकता के तहत उस खास घटना की जांच होती है और फिर समस्या के समाधान के लिए ठोस उपाय करने के प्रयासों को ढीला छोड़ दिया जाता है।

नारायणपुर के शिविर में जिस जवान ने इस दुखद घटना को अंजाम दिया, उससे संबंधित खबरों में बताया गया है कि इस महीने के आखिर में उसे छुट्टी लेकर एक पारिवारिक समारोह में गांव जाना था। लेकिन उसकी छुट्टियां मंजूर नहीं हो पाई थीं, जिसे लेकर उसके साथी जवानों ने मजाक उड़ाया। इसके बाद गुस्से में आकर उसने गोलीबारी कर दी। इस घटना का कारण प्रथम दृष्टया बहुत मामूली लगता है, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी स्थिति पैदा होने पर उनसे सहज तरीके से पार पाने या निपटने को लेकर भी जवानों के बीच कोई कार्यक्रम चलाया जाता है या नहीं! आखिर किन वजहों से कोई जवान खुद पर नियंत्रण खो देता है और या तो अपने साथियों की जान ले लेता है या फिर खुद को भी मार डालता है? सुरक्षा बलों के बीच रोजमर्रा की जीवनशैली में अनुशासन एक सबसे अहम पहलू होता है। फिर वे कौन-से हालात होते हैं, जो उन्हें अनुशासन की सीमा को भी तोड़ देने पर मजबूर कर देते हैं? ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों के भीतर शीर्ष स्तर पर और सरकार की ओर से जैसी कोशिशें हो रही हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? ज्यादा जरूरी होने पर जवानों की छुट्टियों के आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने से लेकर जवानों के बीच व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण के मसले पर क्या कुछ और उपाय किए जाने की जरूरत है?

सरकार का कहना है कि सशस्त्र बलों के बीच कामकाज का स्वस्थ माहौल बनाने के लिए कपड़े, खाने-पीने, परिवार के साथ रहने, यात्रा सुविधा, स्कूल, मनोरंजन, योग के अलावा अवसाद दूर करने के उपायों जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसके अलावा, तनाव कम करने के लिए 'मिलाप' और 'सहयोग' जैसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और पेशेवर काउंसलरों की मदद ली जा रही है। सवाल है कि इसके बावजूद जवानों में खुदकुशी से लेकर साथियों पर जानलेवा हमला करने की घटनाएं क्यों नहीं रुक पा रही हैं। इसी साल फरवरी में संसद में यह जानकारी दी गई थी कि सन 2011 से 2018 के बीच भारतीय सशस्त्र बलों और सेना के तीनों अंगों को मिला कर आठ सौ बानबे कर्मियों ने आत्महत्या कर ली। सुरक्षा बलों की अहमियत, जीवनशैली और उनके कामकाज के ढांचे को देखते हुए यह संख्या काफी बड़ी है और निश्चित रूप से यह समूचे देश के लिए चिंता की बात है।

कल्पमेधा

हमारी शंकाएं विश्वासघाती हैं, वे हमें उन अच्छाइयों से वंचित रखती हैं जिन्हें हम प्रयत्न करके पाप्त करते हैं।
-शेक्सपियर

हरित क्रांति का नया कदम

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली

बीज बमबारी एक प्रकार की हरित कृषि पद्धति है। इसके लिए जमीन पर औजारों का उपयोग आवश्यक नहीं है। इस तकनीक को दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान में प्राकृतिक कृषि को प्रचारित और प्रसारित करने वाले मसानबु फ्यूकोंका ने पुनर्जीवन दिया, विशेषकर ज्वालामुखियों की मिट्टी वाले क्षेत्रों में।

जंगली जानवरों के बढ़ते आक्रमणों से आज उत्तराखंड के गांवों में रहना और खेती करना जोखिम भरा होता जा रहा है। अन्य पहाड़ी इलाकों में भी कमोबेश ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। उत्तराखंड में इसके समाधान का एक रास्ता जन सहयोग से जंगलों में खाद्य श्रृंखला को सशक्त करना माना जा रहा है। इसके लिए कुछ समाजसेवी घूम-घूम कर लोगों को नदी-नालों के किनारे गांव, शहर, बस्तियों की सीमाओं पर, नजदीकी जंगलों में बीज बमों से बीज बमबारी करने को प्रेरित कर रहे हैं। उनके अभियान का नाम बीज बम अभियान है, जिसे वे खेल-खेल में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम भी मानते हैं।

शुरुआत 2017 में खेतों और बस्तियों के समीपवर्ती जंगलों में फलों व सब्जियों के बीज बिखेरने से हुई थी, पर आशाजनक सफलता नहीं मिली थी। खुले बीजों को पक्षी, बंदर और कीड़े खाते या नष्ट कर देते थे। इससे सीख लेते हुए मिट्टी और गोबर को गूंथ कर बनाए गए गोलों में बीजों को रख कर तीन-चार दिन धूप में सुखाया गया। बाद में उन्हें जंगलों में रखा गया। नमी मिलते ही बीज अंकुरित होते दिखे। परिणाम संतोषप्रद लगे। यह तकनीक जन भागीदारी से ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसलिए उन्होंने बीज गोलों को ऐसा नाम देना चाहा, जिससे इनकी उपादेयता के प्रति उत्सुकता जागृत हो। इन्हें बीज बम कहा जाने लगा। बीज बमों के छिड़काव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने का औपचारिक बीज बम अभियान उत्तरकाशी में शुरू किया गया।

इस शुरुआत के बाद उत्तराखंड और अन्य राज्यों में पांच माह की बीज बम यात्राएं की गईं। वर्तमान में सहयोगी संस्थाओं के साथ उत्तराखंड और सात अन्य राज्यों में बीज बम अभियान सक्रिय हैं। साझा गतिविधि के तौर पर इस वर्ष जुलाई के आखिरी हफ्ते में उत्तराखंड और अन्य राज्यों में पांच सौ दो स्थानों पर बीज बम अभियान सप्ताह मानाया गया। इसमें लगभग नब्बे हजार छात्रों और ग्रामीणों ने भाग लिया। सप्ताह भर जंगलात विभाग, प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं, छात्र-छात्राओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निर्दिष्ट स्थलों पर बीज बमबारी में उत्साहजनक भागीदारी की। दो जिलों- उत्तरकाशी और देहरादून के जिलाधीशों ने स्वयं बच्चों के साथ बीज बम फेंकने में भागीदारी की। उल्लेखनीय है कि 2019 के पहले कुछ स्थानों पर बच्चों द्वारा स्कूलों के आसपास जो बीज बम डाले गए थे, उनसे उत्पादित सब्जी को मिड डे मिल में अतिरिक्त सब्जी के रूप में प्रयोग भी किया गया था।

इस अभियान को चलाने वाले द्वारिका प्रसाद सेमवाल के अनुभवों से सीख कर बीज बम अभियान में लोगों को यह नहीं पता था कि ऐसे प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही जापान में शुरू हो गए थे। अब यह अमेरिका, फ्रांस, इग्लैंड, केन्या और स्वयं भारत में धारवाड़ में भी हो रहे थे। इनमें हेलीकॉप्टरों और जहाजों का भी उपयोग हो रहा है। यही नहीं, व्यावसायिक कंपनियां अब पैकेटों में भी उनकी तरह के बीज बम, बीज गेंदों के नाम से बेच रही हैं। केन्या में तो व्यावसायिक कंपनियां सत्तर लाख तक बीज गेंद बेचने का दावा करती हैं।

जहां मिस्र में भी सैकड़ों वर्षों से ऐसी पद्धति अपनाई जा रही थी, वहीं इक्कीसवीं शताब्दी में अमेरिका की नासा जैसी संस्था भी इसको लोकप्रिय बनाने में लगी है। वास्तव में उत्तराखंड में प्रचारित ये बीज बम बीज गेंद ही हैं। दुनिया भी इन्हें बीज गेंद ही कहती है। बीज गेंदें फेंकने को बीज बमबारी का नाम वर्षों से पश्चिम में दिया जाता रहा है। 'सीड बांबिंग' वह प्रक्रिया है, जिससे बीज गेंद फेंक कर जमीन पर वनस्पति प्रवेश कराने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न नामों से चल रहे हरित अभियानों और वनीकरण में इस पद्धति का उपयोग होता रहा है। ऐसे ही एक अभियान का नाम रहा गुरिल्ला गार्डनिंगि। यह वनीकरण में बहुत उपयोगी साबित हुआ। केन्या में हवाई जहाज से भी सीड बांबिंग की गई।

बीज बमबारी एक प्रकार की हरित कृषि पद्धति है। इसके लिए जमीन पर औजारों का उपयोग आवश्यक नहीं है। इस तकनीक को दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान में प्राकृतिक कृषि को प्रचारित और प्रसारित करने वाले मसानबु फ्यूकोंका ने पुनर्जीवन दिया, विशेषकर ज्वालामुखियों की मिट्टी वाले क्षेत्रों में। ज्वालामुखीय मृदा उपजाऊ होती थी।

बीज बम अभियान उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। उत्तराखंड में जलागम

विकास में भी इसे अपनाया जा सकता है। निस्संदेह इसमें बीजों का नुकसान होने की आशंका ज्यादा रहती है। इसमें उतनी ही पैदावार सफलता के लिए पचीस से पचास प्रतिशत ज्यादा बीज की आवश्यकता होती है। पर जो इस प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाने की कोशिश में हैं, जैसे भारत में धारवाड़ में सैकड़ों किसान इस अभियान में भाग ले रहे हैं वे बीज गेंदों को कर्नाटक के जंगलों में फेंक रहे हैं। वे कहते हैं कि फेंके गए पचहत्तर प्रतिशत बीज गेंदों से पौधे निकल रहे हैं।

बीज बमबारी नदी किनारे के तटों में निर्मल गंगा अभियान के अंतर्गत भी की जा सकती है। बीज गेंदों के लिए अधिकांशतया स्थानीय परिवेश की मिट्टी का ही उपयोग होता है। मिट्टी तालाबों की सफाई या नहरों की सफाई से निकली भी हो सकती है। पर सूरज के ताप में सुखाने पर आवश्यक है कि बीज गेंदों की मिट्टी ठोस रहे, भरभुरी न हो जाए। मजबूती देने के लिए मिट्टी और ऊर्वरकों के साथ लिए कागज की लुगदी मिलाने का भी प्रयोग किया गया है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब बीज गेंदों को सख्त जमीन पर फेंका जाना हो। बीज गेंदों में अब ऐसा भी मिश्रण होता है, जिसकी निकलती गंध से बीजों के दुश्मन जीवजंतु भाग जाएं।

जंगलों में छिड़काव के लिए ऐसी बीज प्रजातियां चुनी जानी चाहिए, जिनमें पौध आदि की वहां जाकर देखभाल की जरूरत कम से कम पड़े। जिन प्रजातियों को हमने घरेलू बना दिया, खेतों में उगा रहे हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। जैसे जंगली आम, जंगली आंवला, जंगली फूलों को जंगलों में न के बराबर देखभाल मिलती है। जिन फलों-फूलों के बीज अब वनों में फेंक रहे हैं, वे अगर जंगली ही हों तो सफलता का प्रतिशत बढ़ सकता है। वहां उन प्रजातियों की जरूरत है, जिनमें उद्यानिकी जैसे कार्य न करने हों। क्योंकि जंगलों में उस तरह के कार्यों को करना ज्यादा संभव न होगा। विदेशों में भी बीज गेदों में, जिनसे बमबारी करनी है, जंगली फूलों के बीज ही होते हैं।

इससे गरम होती धरती को ठंडा करने में मदद मिलेगी। ग्रीन हाउस गैसें कम की जा सकेंगी। गरम होती धरा को बचाने की लड़ाई को जल्दी से जल्दी लड़े जाने की अपरिहार्यता के कारण बीज बर्बादी की आशंकाओं के बावजूद इस पद्धति को संज्ञान और वरीयता में रखा ही जाना चाहिए। उत्तराखंड में तो पिघलते हिमनदों, बढ़ते भूस्खलनों को कम करने में वानस्पतिक आवरण बढ़ाने के लिए बीज बम अभियान निश्चित रूप से एक सार्थक पहल है।

अंततः ऐसे अभियानों में जन सहयोग बहुत जरूरी है, आप कर्मचारी रख कर तो बीज बम नहीं फिंकवाएंगे। इसी तरह बीज बम भी विकेंद्रित स्तर पर ही तैयार करने होंगे। स्थानीय मौसम और परिवेश जान कर, जैसे बरसात कब होती है, कितनी होती है, पानी कितना टिकता है, तापमान कैसा और कितना रहता है, सूरज की रोशनी कितनी रहेगी, कब रहेगी, बीजों और बीज बमबारी का समय अगर तय किया जाएगा, तो सफलता की ज्यादा आशा है। क्योंकि बीजों की जड़ें कितनी तेजी से जमीन के भीतर घुस कर मौसम की विपरीत परिस्थितियों को झेल सकती हैं, इसका पूर्व आकलन भी अपेक्षित है।

प्रेम गली अति सांकरी

संजय दुबे

दुनिया मेरे आगे

गुनगुनी सर्दियां शुरू हो गई हैं। यही वह मौसम है जब इश्क अपने उरूज पर होता है। ऐसा क्यों होता है, यह खोज का विषय हो सकता है। मगर आजकल के इश्क में वह बात नहीं दिखती, जो दो दशक पहले होती थी। शायद तकनीक ने इसे जताने, बताने, महसूस करने के तरीके को भी बदल दिया है। जताना, बताना तो समझ में आता है, पर महसूस करने का फर्क समझ के परे है। जबकि कहते हैं, इश्क रूहानी अहसास है। इसे महसूस कर सकते हैं, बयां नहीं। हां, यह जरूर है कि आपके कहने का अंदाज ही सामने वाले को बताता है कि आप उसे चाहते हैं।

दरअसल, प्यार जिंदा इंसानों का काम है। चाहे वह कितना भी सख्तदिल क्यों न हो, उसे किसी न किसी के साथ की दरकार हमेशा रहती है। अगर ऐसा न हो तो शायद सृष्टि का विधान ही भंग हो जाएगा। कहते हैं, यह जिसे भी हुआ, वह बेकाम हो गया। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि जब भी आपको कोई आशिक मिलेगा तो वह कुछ बदहवास-सा ही दिखेगा। मगर पहले और आज के दौर में काफी फर्क आ चुका है। लिहाजा, इस अंदाज का भी ढंग बदल चुका है। एक दौर था जब आशिक अपनी माशूका के इंतजार में कॉलेज के मोड़ पर घंटों बिताते थे। वे क्लास शुरू होने के घंटे भर पहले घर से निकल कर वहां खड़े रहते थे, जहां से उनकी प्रेयसी दूर से आती दिखती थी। जैसे ही उसका दीदार होता, मोशाय सिर से पांव तक बाग-बाग हो जाते। उस समय इनके चेहरे की रौनक देखते ही बनती। शर्म और खुशी के चलते कानों के दोनों सिरे लाल हो उठते।

ऐसा सिर्फ प्रेमी के साथ नहीं होता। प्रेयसी को भी कॉलेज में ही रहने का मन करता, क्योंकि उस समय अमूमन घर पर इतना काम हो जाता कि जब तक रात न हो जाए, तब तक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। यही एक समय होता, जब वह आजाद होती। अपने हिसाब से हंस और खिलखिला सकती थी। इन दिनों न जाने क्यों, उसे वह सब अच्छा लगने लगता जो उसके लिए घंटों खड़े होकर इंतजार करने वाले को भाता। जब किसी खास रंग के कुर्ते का वह जिक्र कर देता तब वही-वही पहनती, जब तक लोग बाग टोक न देते। इस समय उसे किसी की बात न बुरी लगती, न भली। कभी-कभी तो रोटी बनाते हुए न जाने कहां गुम हो जाती कि तवे की रोटी जल उठती, जिसकी महक पूरे घर में फैल जाती। आंगन या दलान में बैठी मां वहीं से कहती- 'न जाने कब इस लड़की को शऊर आएगा! पक्का इसकी ससुराल से उलाहना आएगा।'

इस दौर में फिल्मी रूमानी गाने उनको बहुत भाते। इस दौर में आशिकों का सबसे बड़ा सहारा रेडियो हुआ करता। जहां से आशिकों को अपने प्रेम पत्रों को लिखने का ज्ञान मिलता। उस वक्त अखबारों, पत्रिकाओं का सुनहरा दौर था, जिनमें एक से बढ़ कर एक कविताएं, कहानियां, गजलें छपती थीं और जो उस दौर के प्रेम पत्रों को काफी हद तक अपनी शैली से प्रभावित करतीं। प्रेम पत्र को देख कर और पढ़ कर ही ये बता देना आसान हो जाता कि प्रेमी या प्रेमिका किस विचार से प्रभावित है। वे साहित्य में किसे पढ़ रहे हैं और किस कवि या शायर की शायरी और रूबाइयों में उसे आनंद आता है! उस समय दर्शन का भी सुनहरा दौर था। अक्सर काफी युवाओं का यह पसंदीदा विषय होता, जिसकी छाप उस समय उनके पढ़ने, लिखने, बोलने के अंदाज पर दिखती। कुछ तो इस कदर समाजवाद या मार्क्सवाद से प्रभावित रहते कि बालों में तेल तक नहीं लगाते। इस दौर की ही कुछ मशहूर प्रेम किस्से आज भारत के सफल और ख्यातिप्राप्त युगल के रूप में गिने जाते हैं। एकाध तो इस देश के सबसे सफल उद्यमी भी हैं।

आज के युवा का प्रेम करने का तरीका उस पीढ़ी से काफी इतर है, क्योंकि इसके पास तकनीक के रूप में ऐसे औजार हैं कि उसे जुदाई, विरह, वेदना का एहसास हो नहीं पाता। लिहाजा, इनका प्रेम की अभिव्यक्ति का तरीका भी अलग है। जैसे उस दौर का गाना 'मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी...' आज के समय में 'इश्क कमीना...' हो जाता है। उस दौर में प्रेयसी को गाली देने के बारे में प्रेमी सोचते तक नहीं थे, जबकि ये आज वाट्सऐप के समय आम बात है। यह सब आज के चलन के मुताबिक मॉल कल्चर में आसानी से उपलब्ध है। यहां ये तभी तक प्रासंगिक दिखते हैं, जब तक उनसे बेहतर बाजार में कोई मॉडल उपलब्ध नहीं हो जाता। जैसे ही उसका नया संस्करण बाजार में आता है, वैसे ही उसकी तरफ आकर्षण बढ़ जाता है।

ठीक यही स्थिति आज के नए प्रेमियों में देखने को मिल रही है। कुछ अपवादस्वरूप हैं, जो बिना किसी की परवाह किए इसके बुनियादी स्वरूप को बचाए हुए हैं, बिना खाप पंचायत के डर से। निस्संदेह वे इस दौर में बधाई के पात्र हैं।

स्त्री के विरुद्ध

देश के किसी भी कोने में महिलाओं का सार्वजनिक स्थलों पर बेखौफ घूमना तो दूर, कामकाज के लिए बाहर निकलना भी दुश्वार होता जा रहा है। वहशी दरिंदे जहां-तहां गिद्ध नजरें गड़ाए बैठे हैं। हैदराबाद में पशु चिकित्सक युवती को अपने जाल में फंसाने के लिए दरिंदों ने जिस तरह उसकी स्कूटी पंचर की, मदद के बहाने उसके साथ गैंगरेप, निर्मम हत्या और फिर शव को दरिंदगी से जलाया गया, उससे यही लगता है कि ये वहशी भेड़िए हैवानियत की किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी करतूत पुलिस, प्रशासन, कानून, व्यवस्था और सरकार पर तो प्रश्नचिह्न है ही, समाज के लिए भी चिंतन का विषय है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं!

शराब के नशे में धुत इन भेड़ियों ने एक सुशिक्षित युवती को ही अपना शिकार नहीं बनाया बल्कि हमारी संस्कृति-सभ्यता को भी तार-तार कर दिया। समाज को यह सोचना होगा कि जहां एक वर्ष में दो बार नौ-नौ दिनों का नवरात्र मना कर कन्या पूजन होता है, हमारे शास्त्र स्त्री शक्ति का महिमा गान करते हैं, वहां महिलाओं के साथ ऐसे हृदय विदारक अपराध क्यों हो रहे हैं? 2017 में भी सामूहिक बलात्कार की 28,947 घटनाएं सामने आईं जिनमें बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक को शिकार बनाया गया। कुछ मामलों में तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। लेकिन समाज के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है! इस महामारी की ढेरों सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वजहें गिनाई जा सकती हैं, लेकिन उससे क्या होगा? हालात हर हाल में बदलने होंगे।

सवाल यह भी है कि क्या महज कड़े कानून बना कर हम बलात्कार को रोक सकते हैं? बलात्कार की घटनाएं हमारी सामाजिक सोच और नैतिकता से जुड़ी हैं। घर में हम जिस ईमानदारी से रहते हैं, जब तक वह नैतिकता खुली सड़क पर नहीं अपनाएंगे तब तक बलात्कार की घटनाओं पर विराम लगना असंभव है। सिर्फ कड़ा कानून बनाना इसका समाधान नहीं हो सकता है। एक लड़की जब खुली सड़क से गुजरती है तो उस पर सैकड़ों आंखें टूट पड़ती हैं। लड़कियों को हमने संस्कार, मान व सम्मान की गठरी में बांध रखा है। हमने जो संस्कार बेटों को दिया अगर वही बेटियों को देते तो आज इस बेशर्मी से सिर झुकाने न पड़ते। हालात बेहद बुरे हो चुके हैं। समाज के दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार कर दी हैं। इन्हें सबक सिखाना अति आवश्यक हो गया है।

देश प्रगति कर रहा है, सड़कें बन रही हैं और उन पर विदेशी गाड़ियां दौड़ रही हैं। नित नए उद्योग लग रहे हैं। विश्व भर में हमारी धाक बढ़ रही है, लेकिन ऐसे विकास का क्या करेंगे जब महिलाओं को ही सुरक्षित नहीं रख पाएंगे? आधी आबादी का जीवन सहज और सुरक्षित बनाए बगैर हम विकसित तो क्या, सभ्य राष्ट्र भी नहीं बन पाएंगे।

● *रितेश कुमार उपाध्याय, संत कबीर नगर*

जात न पूछो

मध्यप्रदेश के आगर मालवा में एक दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका गया। क्या आज भी किसी की जाति देख कर तय होगा कि दूल्हा घोड़ी पर बैठेगा या नहीं? यह संविधान का उल्लंघन है और पुलिस को कठोर धाराओं से ऐसे असामाजिक तत्त्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। जातिवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी सामाजिक संगठन मिल कर ऐसी घटनाओं व लोगों का प्रतिकार करें तभी समाज को एकजुट रखने के हमारे प्रयास सफल होंगे।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, धार, मध्यप्रदेश*

महंगा प्याज

प्याज की बढ़ती महंगाई से आमजन परेशान हैं। प्याज की कीमत सौ रुपए पार कर जाना गंभीर चिंता का विषय है और उस पर सरकार से सवाल करना भी स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन विडंबना है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी देश की वित्तमंत्री ने मजाकिया लहजे में कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों से व्यक्तिगत तौर से उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका परिवार प्याज-लहसुन जैसी चीजों को खास पसंद नहीं करता है। वित्तमंत्री ने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा प्याज-लहसुन नहीं खाती...इसलिए चिंता न करें। मैं ऐसे परिवार से आती हूं, जिसे प्याज की कोई खास परवाह नहीं है।'

उनका यह जवाब महंगाई की मारी गरीब जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। यह देश की गरीब जनता का उपहास उड़ाता हुआ लग रहा है। यदि वित्तमंत्री को इस महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका यह अर्थ कतई नहीं कि आमजन को भी फर्क नहीं पड़ता।

● *मंजर आलम, रामपुर डेहरू, मधेपुरा, बिहार*

पोषण या जहर

इन दिनों मध्याह्न भोजन योजना अपनी उपलब्धियों को लेकर नहीं बल्कि दूषित खाना परोसने, भ्रष्टाचार व सामाजिक भेदभाव की वजह से भी चर्चा में रहती है। कभी खाने में छिपकली तो कभी चूहा पाया जाता है। कभी बासी खाना परोसा जाता है तो कभी सड़ा हुआ और कई बार दलित रसोइया होने पर विवाद होता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मुस्तफाबाद पचेंडा गांव में जनता इंटर कॉलेज के बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा गया जिसमें मरा हुआ चूहा मिला। यह खाना खाकर बच्चे बीमार हो गए। उत्तर प्रदेश में करीब 1,68,768 विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है जिसकी पौष्टिकता सर्वविदित है। आए दिन इसमें अनियमितताओं की खबरें राज्य के हर कोने से आती हैं।

यह स्थिति तब है जब सरकार हजारों करोड़ रुपए इस योजना पर न सिर्फ खर्च कर रही है बल्कि निगरानी और क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में एक प्राधिकरण है। इसके सोशल ऑडिटिंग की व्यवस्था भी लागू है। फिर भी यह योजना बिल्कुल भगवान भरोसे है। सरकारी स्कूलों में केवल गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं शायद इसलिए भी इसे कोई ज्यादा गंभीरता लेता नहीं है। बस नीचे से ऊपर तक कमीशन लेने की होड़ रहती है। इस योजना में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर निश्चित ही सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अधिकारी और कर्मचारी मध्याह्न भोजन को मुफ्त में दिया गया खाना न समझ कर इसे बच्चों का हक समझें।

● *सुनील कुमार सिंह, मेरठ, उत्तर प्रदेश*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

www.readwhere.com

जनसत्ता
सबरंग
6 दिसंबर, 2019 7

नई फिल्म
- पानीपत
- *पति पत्नी और वो*

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
कमांडो 3	26.5 करोड़
पागलपंती	31.25 करोड़
बाला	110.8 करोड़
फ्रोजन 2	33.4 करोड़

5 दिसंबर तक की कमाई

जन्मदिन

शेखर कपूर	6 दिसंबर
धर्मेंद्र	8 दिसंबर
दीया मिर्जा	*9 दिसंबर*
सिद्धार्थ शुक्ला	12 दिसंबर

आलोचना से एतराज नहीं : अर्जुन कपूर

आरती सक्सेना

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को लंबे समय से एक हिट का इंतजार है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। आज उनकी फिल्म 'पानीपत' रिलीज हो रही है, जिसमें अर्जुन कपूर मराठा योद्धा सदाशिव राव का किरदार निभाते नजर आएंगे।

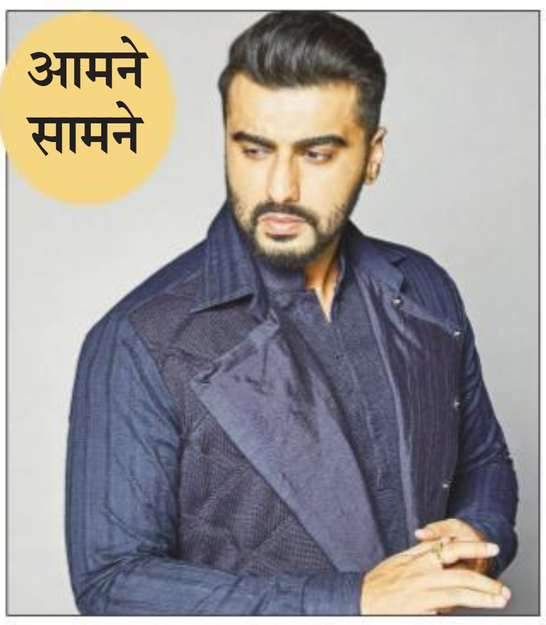

सवाल : पहली बार ऐतिहासिक फिल्म कर रहे हैं। फिल्म कैसे मिली और योद्धा सदाशिव राव बनकर कैसा लगा?

● मैं बहुत खुश हूं कि आशुतोष गोवारीकर ने मुझे इस लायक समझा और ऐतिहासिक किरदार निभाने का मौका दिया। वे यह किरदार किसी ऐसे अभिनेता को देना चाहते थे जिसका डीलडौल भारी भरकम हो। उन्होंने मेरी फिल्में देखीं। फिर निर्णय लिया।

सवाल : किरदार के लिए अपनी तैयारियों के बारे में बताएं...

● जब मैंने फिल्म साइन की उसी दिन से मेरी योद्धा सदाशिव राव के किरदार के प्रति जिम्मेदारी बढ़ गई। मेरे दिमाग में हमेशा यह किरदार ही घूमता रहता था। मैंने इसके लिए खास प्रशिक्षण भी लिया। घुड़सवारी, तलवारबाजी, मुक्केबाजी और लड़ने की कई कलाएं भी सीखीं। घुड़सवारी सीखना सबसे मुश्किल था लेकिन किसी तरह मैंने सीख ही ली। शूटिंग के दौरान घुड़सवारी के साथ तलवारबाजी करते समय इतनी बार गिरा हूं कि क्या बताऊं। मुझे अपनी सारी मेहनत मंजूर थी लेकिन मैं नहीं चाहता था कि किरदार में कोई कमी रह जाए।

सवाल : 'पानीपत' के लिए आपने गंजा होना मंजूर किया..

● क्योंकि जब हम ऐसा कोई ऐतिहासिक किरदार निभाते हैं, जिसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जान तक दे दी। तो हमें उसको सजीव बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करना जरूरी हो जाता है। ऐसे किरदार बार-बार नहीं मिलते। मुझे जब यह किरदार ऑफर किया गया, तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा। मेरे लिए योद्धा सदाशिव राव का किरदार निभाना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मुझे अगर बालों की कुर्बानी देनी भी पड़ी तो उसमे हर्ज ही क्या है। जब वो छोटी उम्र में देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं तो हम बालों की कुर्बानी तो दे ही सकते हैं। वैसे भी इसमें कुछ मुश्किल नहीं, ये तो अपनी ही खेती है फिर उग आएंगे।

सवाल : फिल्म में आपके अलावा एक अहम किरदार में संजय दत्त भी नजर आएंगे...उनके साथ काम करना कैसा रहा, इस बारे में बताएं?

● जब मुझे पता चला कि मुझे संजय दत्त के साथ स्क्रीन शेयर करना है तो मैं थोड़ा घबरा गया था। इसलिए फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले उनसे मिलने उनके घर चला गया था। उनसे मिलकर मैं चकित हो गया क्योंकि वे बहुत शांत किस्म के इंसान है। उनसे मिलने के बाद मेरा डर पूरी तरह खत्म हो गया और फिर मैंने उनके साथ एक दम बिंदास काम किया। संजय दत्त के साथ काम करने में बहुत मजा आया।

सवाल : सोशल मीडिया के दौर में अभिनेता-अभिनेत्री अपनी फिल्मों को लेकर ट्रोल होते रहते हैं। क्या आपको भी इस बात की चिंता रहती है?

● सोशल मीडिया में अर्जुन कपूर की आलोचना होती है और सच में उसमें कोई लॉजिक है तो मुझे ऐसी आलोचना से एतराज नहीं। आलोचनाओं से हमें पता चलता है कि हम कहां गलत हैं और कहां सही। लेकिन अगर कोई योद्धा सदाशिव राव का मजाक उड़ाता है या उनकी आलोचना करता है, तो मेरी नजर में वह बुरा इनसान है। अगर इस किरदार को निभाने वाले अर्जुन में आपको कोई कमी लगती है, तो मुझे उस आलोचना से कोई एतराज नहीं।

सवाल : आशुतोष गोवारिकर ऐतिहासिक फिल्में बनाने में माहिर हैं। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?

● बहुत ही अच्छा। जब हम किसी प्रतिभावान निर्देशक के साथ काम करते हैं तो हमे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर फिल्मकार जानता है कि ऐतिहासिक फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन आशुतोष जी तो इसमें माहिर हैं। मैंने उनसे निर्देशन की बारिकियां भी सीखी। मुझे खुशी है कि आशुतोष जी के निर्देशन में एक ऐतिहासिक फिल्म में महान ऐतिहासिक किरदार करने का मौका मिला।

सवाल : आपकी एक और फिल्म चर्चा में हैं। यशराज बैनर की फिल्म 'संदीप और पिंकी फरार'। यह फिल्म कब तक रिलीज होगी?

● फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। जल्द ही इसकी रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। मुझे लगता है कि शायद रानी मुखर्जी की फिल्म 'मदार्नी 2' के रिलीज के बाद मेरी फिल्म 'संदीप और पिंकी फरार' का नंबर आएगा।

पर्यावरण के लिए सचेत करता 'ग्रीन फिल्म' समारोह

उत्तराखंड के वृत्तचित्र 'कोटीबनाल' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार

दीपक रस्तोगी

पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण पर आधारित एशिया के सबसे बड़े फिल्म समारोह- 'ग्रीन फिल्म फेस्टिवल' में उत्तराखंड के वृत्तचित्र फिल्म 'कोटीबनाल' को 'सेलिब्रेटिंग हिमालयाज' श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह का आयोजन नई दिल्ली के आंबेडकर भवन में 27 से 30 नवंबर तक किया गया। इस 10वें सीएमएस वातावरण पर्यावरण एवं वन्यजीव फिल्म समारोह का आयोजन भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से किया गया। समारोह के लिए 1020 फिल्मों के आवेदन मंगाए गए थे, जिसमें से 77 चुनिंदा फिल्में दिखाई गईं।

पुरस्कृत फिल्म 'कोटीबनाल' के लिए श्रीनिवास ओली को प्रमाण-पत्र, ट्रॉफी के साथ एक लाख का नकद पुरस्कार दिया गया। यह फिल्म उत्तराखंड में पारंपरिक भूकम्परोधी भवनों पर केंद्रित है। फिल्म समारोह में कॉलेज छात्र और नवीन फिल्मकार, टून क्लब और अन्य वर्गों के लिए भी पुरस्कार दिए गए। इस आयोजन के लिए भाजपा नेता सुरेश प्रभु की अगुआई में 12 लोगों की कमेटी ने पुरस्कृत 22 फिल्मों का चयन किया। यहां 60 देशों से 1020 फिल्में आईं। इस आयोजन के समापन समारोह में राजेंद्र सिंह (वॉटरमैन ऑफ इंडिया), स्विटजरलैंड दूतावास की अधिकारी मैरीलौर क्रेट्टाज, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव मंजू पांडे और अतिरिक्त सचिव रवि अग्रवाल अतिथि थे। इस

भूकम्परोधी मकानों पर ध्यान खींचती 'कोटीबनाल'

साल का पर्यावरण संरक्षण का पृथ्वी भूषण पुरस्कार राजेंद्र सिंह को प्रदान किया गया। सीएमएस के महानिदेशक डॉ. पीएन वासंती ने कहा कि यह समारोह पर्यावरण और वन्य जीवों में रुचि रखने वाले मीडिया और फिल्म निर्माताओं के लिए महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच है। इस महोत्सव में प्रदूषण पर लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जहां चुनिंदा फिल्में प्रदर्शित की गईं। यह प्रतियोगिया पांच जून, 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुरू की थी।

फिल्म समारोह का सह आयोजक सीएमएस वातावरण भारत का प्रमुख पर्यावरण और वन्यजीव फिल्म महोत्सव मंच है। नई दिल्ली में फिल्म समारोह में पर्यावरण को लेकर काम कर रहे फिल्म निर्माताओं, नागरिक समाज समूहों, सरकारी संगठनों, पर्यावरणविदों, शोधकर्ताओं, संरक्षणवादियों, नीति निर्माताओं, स्वयंसेवी संगठनों और छात्रों का बड़ा वर्ग जुड़ा। 2002 में गठित सीएमएस ने अब तक 25 राज्यों के 41 शहरों में ऐसे आयोजन किए हैं।

भवं भवं भवानि, शिवं शिवं शिवानी...

शशिप्रभा तिवारी

वरिष्ठ कुचिपुड़ी नृत्यांगना वनश्री राव पौराणिक कथाओं को नृत्य शैलियों में पिरोकर पेश कर रही हैं। इस प्रस्तुति में भरतनाट्यम, छऊ और कुचिपुड़ी नृत्य शैलियों का संगम है। जबकि, पार्श्व संगीत कुचिपुड़ी नृत्य संगीत होता है।

इंडिया हैबिटेट सेंटर में नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें रस यूनाइटेड के कलाकारों ने नृत्य रचना त्र्यंबकम पेश की जिसकी परिकल्पना नृत्यांगना और कोरियोग्राफर वनश्री राव ने की थी। नृत्य में शिरकत करने वाले कलाकारों में भरतनाट्यम नर्तक एस वासुदेवन, छऊ के कलाकार कुलेश्वर ठाकुर, अर्जुन देव, प्रशांत कालिया और कुचिपुड़ी नृत्यांगना-वनश्री राव, मौतुश्री मजूमदार, आयना मुखर्जी व शेफाली भारती शामिल थे। संगीत को कर्नाटक के गायक के वेकेंटेश्वरन व एस वासुदेवन ने सुसज्जित किया।

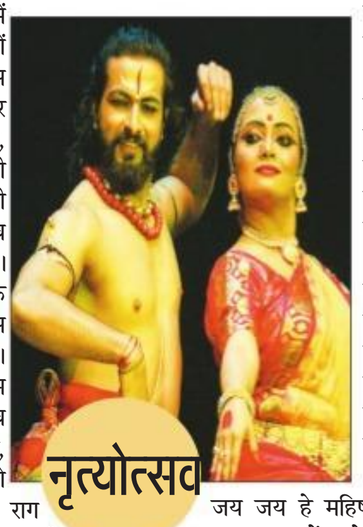
नृत्योत्सव

प्रस्तुति का आरंभ त्र्यंबकम से हुआ। इसमें शिव के अर्धनारीश्वर, कामेश्वर, पशुपति, आदिरूपों को निरूपित किया गया। यह राग भैरवी, अमृतवर्षिणी, पूर्वी कल्याणी में निबद्ध था। रचना 'नम नमस्तेषु वपुधराय' में शिव के रूप का चित्रण नर्तक वासुदेवन ने किया।

यहीं कलाकारों ने छंद 'भवं भवं भवानि, शिवं शिवं शिवानी' पर शिव व पार्वती के रूपों को दर्शाया। साथ ही, भगवान शंकर के डमरू वादन और नृत्य को मोहक अंदाज में पेश किया। सती दाह, महिषासुरमर्दिनी और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान के प्रसंग को भी निरूपित किया। इस नृत्यांश का समापन रचना 'शंकर शंभू दीन दयाला' पर प्रभावकारी सामूहिक नृत्य से हुआ।

दूसरे अंश में द्वादशज्योर्तिलिंग का प्रतीकात्मक चित्रण था। यह राग मालिका और ताल मालिका में निबद्ध था। शिव बारह ज्योर्तिलिंग में ज्योति रूप में विराजित हैं। हस्तकों, मुद्राओं और भंगिमाओं के जरिए बहुत संक्षिप्त अंदाज में बारह ज्योर्तिलिंग का निरूपण किया गया। वहीं महामृत्युंजय मंत्र और श्लोक 'महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय' में मारकंडेय प्रसंग के साथ शिव के अन्य रूपों को कलाकारों ने पेश किया। यह चुनौतीपूर्ण प्रस्तुति मर्मस्पर्शी थी।

अगली पेशकश देवी महिषासुरमर्दिनी की थी। शिव की शक्ति दुर्गा हैं। उन्होंने इसी के मद्देनजर इस प्रसंग को पेश किया। इसके लिए मारकंडेय पुराण के दुर्गासप्तशती के श्लोक, आदि शंकराचार्य की रचना जय जय हे महिषासुरमर्दिनी का चयन किया गया। शुरू में श्लोक 'कांचि कालि कुंभ लता' पर देवी दुर्गा के रूप को दिखाया गया। 'देवी सर्वभूतेषु' पर देवी की शक्ति को दर्शाया गया।

खबर कोना

भूमि पेडनेकर निभाएंगी 'दुर्गावती' में मुख्य भूमिका

सिल्वर स्क्रीन पर एक अलग पहचान बनाने वाली भूमि पेडनेकर जल्द ही एक थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगी। हाल ही में बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने फिल्म 'दुर्गावती' की घोषणा की। अक्षय ने ट्वीट किया, 'दुर्गावती' की मुख्य भूमिका में भूमि पेडनेकर की घोषणा कर बहुत उत्साहित हूं। इस थ्रिलर फिल्म की शूटिंग जनवरी के मध्य में शुरू हो रही है। आपके प्यार और भाग्य की जरूरत है।' अक्षय के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए भूमि ने ट्वीट किया, 'मैंने इसकी सूचना देने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। इसलिए मैं अपनी अगली फिल्म दुर्गावती की घोषणा कर काफी उत्साहित हूं। इस थ्रिलर फिल्म की शूटिंग जनवरी में शुरू हो रही है। मुझ पर लगातार विश्वास जताने के लिए अक्षय कुमार सर को धन्यवाद। मैं फिल्म में काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं।' फिलहाल भूमि अपनी आने वाली फिल्म 'पति पत्नी और वो' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी हैं।

मेरी फिल्म में कुछ भी विवादास्पद नहीं है : सलमान

सलमान खान इन दिनों अपनी अगामी फिल्म 'दबंग 3' को लेकर काफी व्यस्त हैं। यह फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है वही इस फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है। फिल्म के विवाद के सवाल पर सलमान खान ने कहा कि फिल्म उद्योग में यह चलन सा बन गया है कि जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो वह विवादों में घिर जाती है। 'दबंग 3' में फिल्म के टाइटल गीत 'हुड़ हुड़ दबंग' के एक दृश्य को लेकर कुछ हिन्दू संगठनों ने आपत्ति जताई है। गाने के एक दृश्य में भगवाधारी कुछ साधुओं को गिटार बजाते दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इससे नाराज दिखे और ट्विटर पर 'बायकॉट दबंग 3' ट्रेंड करने लगा। सलमान ने कहा, 'हर बार जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो हमेशा उसे लेकर कुछ न कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। कम से कम यह तो माना गया कि यह बड़ी फिल्म है, जिसके लिए मैं खुश हूं।'

बड़े निर्देशकों ने मुझे लायक नहीं समझा : अक्षय

फिल्म जगत के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार लगातार फिल्में कर रहे हैं। उनकी फिल्में एक के बाद एक हिट हो रही हैं। इस बीच अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा, 'बड़े निर्देशकों ने मुझे नहीं लिया इसलिए मुझे नए निर्देशकों के साथ काम करना पड़ा। यह सच है। जब बड़े लोग आपके साथ काम नहीं करते है तब आपको अपनी यात्रा खुद शुरू करनी पड़ती है।' उन्होंने कहा, 'राज मेरे 21वें नए निर्देशक हैं। मुझे लगता है कि नए निर्देशकों में अच्छा काम करने की लालसा पुराने निर्देशकों से अधिक होती है। उनके लिए यह करो या मारो वाली स्थिति होती है।' क्या बड़े निर्देशकों ने उनसे ज्यादा तरजीह 'खान' के साथ काम करने को दी, तो अक्षय ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अक्षय ने कहा, 'वे उनके पास गए जो इस लायक थे। मैं यही कहूंगा कि मैं उस लायक नहीं था इसलिए मुझे अपने हिसाब से चलना पड़ा।'

सीक्वल से हट कर है मेरी 'दोस्ताना 2': करण जौहर

फिल्म निर्माता करण जौहर ने कहा कि बॉलीवुड में सैक्सुएलिटी को दिखाने में परिपक्वता आई है और 'दोस्ताना2' में इस पहलू को बेहद संवेदनशीलता के साथ दिखाया जाएगा। निर्देशक ने कहा कि 'दोस्ताना' समलैंगिकता के पहलू को लेकर विमर्श की शुरुआत करने वाली फिल्म थी इसलिए उसमें सैक्सुएलिटी को 'मजाकिया लहजे' में दिखाया गया था। बात दें कि 'दोस्ताना 2' 2008 में आई फिल्म 'दोस्ताना' का सिक्वल है। इसमें दो ऐसे लोगों की कहानी थी जो एक लड़की के साथ अपार्टमेंट साझा करने के लिए खुद को समलैंगिक बता देते हैं। करण जौहर ने कहा कि 2008 में आई 'दोस्ताना' और 2020 में आने वाली 'दोस्ताना 2' में काफी अंतर होगा। 'दोस्ताना 2' में अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ जाह्नवी कपूर नजर आएंगी।

सुब्रत मित्र (12 अक्तूबर,1930- 7 दिसंबर, 2001)

तन गया बंद स्टूडियो में खुला आसमान

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

फिल्मों के कैमरामैनों के लिए रोशनी किसी अनियंत्रित हाथी की तरह होती है, जिसे काबू में करना जरूरी होता है। मुख्यधारा के हिंदी सिनेमा में जब यही रोशनी सिमट कर हीरो-हीरोइन के चेहरे रोशन कर रही थी, तब एक कैमरामैन ने उसे नियंत्रित कर प्राकृतिक रोशनी में तब्दील करना शुरू कर दिया था। यह कैमरामैन थे सुब्रत मित्र, जिन्होंने सत्यजीत राय की अपू त्रयी (पथेर पांचाली, अपराजितो, अपूर संसार) समेत अधिकांश फिल्मों का छायांकन किया और 'बाउंस लाइटिंग' के दम पर दृश्यों में वास्तविकता का आभास करवाया। कल, शनिवार, मित्रा की 18वीं पुण्यतिथि है।

कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। हॉलीवुड के मोह से मुख्यधारा का हिंदी सिनेमा हमेशा ही प्रभावित रहा। इसके कारण वह अपने यहां की बेहतरीन प्रतिभाओं को तब तक बेजोड़ नहीं मानता, जब तक कि पश्चिम उस पर श्रेष्ठता का ठप्पा नहीं लगा दे। सिनेमेटोग्राफर सुब्रत मित्र ऐसे ही प्रतिभाशाली छायाकार थे। भारतीय फिल्मों में 'बाउंस लाइटिंग' की शुरुआत करने का श्रेय मित्र को जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्म 'तीसरी कसम' का छायांकन भी किया था। मित्र ने सत्यजीत राय की फिल्म 'पथेर पांचाली' (1955) से बतौर कैमरामैन कैरियर की शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने कभी फिल्म का कैमरा नहीं पकड़ा था।

मूक फिल्में प्राकृतिक रोशनी में बनाई जाती थीं, फिर कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल शुरू हुआ। 1956 में बनी राय की 'अपराजितो' में पहली बार मित्र ने बाउंस लाइटिंग की शुरुआत की। यह ताकतवर रोशनी को दृश्यों की जरूरत के मुताबिक नियंत्रित करने का हुनर है। इसी कारण 'अपराजितो' (1957) आंख को भली लगती है। एक दशक बाद बाउंस लाइटिंग से प्रभावित होकर दुनिया भर के सिनेमा में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ माना जाता है।

बाउंस लाइटिंग के सिनेमा पर प्रभाव का उल्लेख निर्देशक गोविंद निहलानी अपने एक साक्षात्कार में करते हैं। निहलानी एटनबरो की 'गांधी' के एक कैमरामैन थे। 1980-81 में वह न्यूयार्क के म्यूजियम ऑफ माडर्न आर्ट में लगी भारतीय फिल्मों की प्रदर्शनी में गए थे। वहां उनकी मुलाकात 'डेज ऑफ हेवन', 'क्रेमर वर्सेस क्रेमर', 'ब्लू लगून' जैसी फिल्मों के कैमरामैन रहे नेस्टर अलमांड्रोज से हुई थी, जिन्होंने निहलानी को अपने काम के बारे में बताया।

स्पेन के बार्सिलोना में पैदा हुए नेस्टर 1960 के दशक में पेरिस के एक इंस्टीट्यूट में छायांकन सीख रहे थे। वहां 1964 में बनी भारतीय फिल्म 'चारुलता' (1964) दिखाई जा रही थी। फिल्म के दृश्यों की गुणवत्ता इतनी प्रभावशाली थी कि नेस्टर खुद को इसके प्रति मोहित होने से रोक नहीं पाए। उन्होंने तय किया कि वह अपनी फिल्म के दृश्यों की लाइटिंग ऐसे ही करेंगे। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए जब 'चारूलता' की तरह लाइटिंग करने की कोशिश की, तो उनके मित्रों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 'शूटिंग के लिए ऐसी लाइटिंग भी कहीं होती है?' नेस्टर ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी धुन में काम करते रहे। जब उनके मित्रों ने परदे पर नतीजे देखे तो भौंचक्के रह गए, क्योंकि वे बिलकुल अलग और प्रभावशाली थे। यह थी सुब्रत मित्र की तकनीक से ली गई प्रेरणा का कमाल। मित्र तो कृत्रिम रोशनी को प्राकृतिक रोशनी की तरह इस्तेमाल करने का काम 1957 की 'अपराजिता' से कर रहे थे। बाउंस लाइटिंग का शोध मजबूरी में हुआ था। 'अपराजिता' के लिए बनारस के एक घर का सेट खुले में लगना था। मगर बरसात की आशंका के कारण कला निर्देशक बंसी चंद्रगुप्त ने यह काम कोलकाता के एक स्टूडियो में किया। अब स्टूडियो में खुला आसमान कहां से लाया जाए। तब एक परदे पर नकली आसमान तान उसे रोशन कर दिन की वास्तविक का आभास कराया गया था।

जेल से बाहर आने के बाद पहली प्रेस कान्फ्रेंस में चिदंबरम ने कहा

अर्थव्यवस्था के मामले में सरकार अंधेरे में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने गुरुवार को देश की अर्थव्यवस्था की खराब हालत और जम्मू-कश्मीर की स्थिति को लेकर केंद्र की राजग सरकार की तीखी आलोचना की। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि कि सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में अंधेरे में है, उसे कोई जानकारी नहीं है। वह नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, कर आतंकवाद और संरक्षणवाद जैसी भयानक गलतियों का बचाव करने पर अड़ी हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा विकास दर के अनुमान में कमी किए जाने को लेकर चिदंबरम ने कहा कि यह अभूतपूर्व है।

आइएनएक्स मीडिया मामले में 106 दिनों तक तिहाड़ जेल में बिताने के बाद बाहर आने के बाद पहली बार संवाददाताओं से बातचीत में चिदंबरम ने कहा कि रिहाई के बाद उनके मन में जो पहला ख्याल आया, वह कश्मीरी लोगों को लेकर था। कश्मीर के लोगों को 4 अगस्त, 2019 से उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार मुझे अनुमति देती है तो मैं जम्मू-कश्मीर जाना चाहूंगा। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो बदले की

फोटो - अरुण चोपड़ा

राजनीति करते हैं, उनकी बात वे नहीं जानते लेकिन वह यह जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि कांग्रेस कभी बदले की राजनीति नहीं करेगी।

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के सात महीने बीतने के बावजूद सरकार यह मान रही है कि अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं हैं, वे चक्रीय परिस्थितियों की वजह से हैं। सरकार इस मोर्चे पर गलत साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के मामले में अंधेरे में है, उसे कोई जानकारी नहीं है। वह नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, कर आतंकवाद और संरक्षणवाद जैसी भयानक गलतियों का बचाव करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने 2004 से 2014 के बीच 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जबकि भाजपा नीत राजग ने 2016 से अब तक लाखों लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है।

चिदंबरम ने कहा किअर्थव्यवस्था को सुस्ती से बाहर निकाला जा सकता है लेकिन यह सरकार ऐसा करने में अक्षम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य दल अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने और आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं लेकिन हमें बेहतर समय का इंतजार करना होगा। उद्योगपति राहुल बजाज की टिप्पणी पर चिदंबरम ने कहा कि हर जगह डर का माहौल है। मीडिया भी भय की चपेट में है।

सवाल के जवाब में पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि यदि सरकार मानती है कि गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा की जरूरत नहीं है तो इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। चिदंबरम ने कहा कि इस सरकार ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था। मैं आपके सामने पिछली छह तिमाही के आंकड़े रखता हूं। 8 प्रतिशत से 7, 6.6, 5.5, 5 और अब 4.5 प्रतिशत। क्या यही सरकार के अच्छे दिन हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री के तौर पर मेरा रेकॉर्ड बिल्कुल साफ है। जिन अधिकारियों ने मेरे साथ काम किया है, जो बिजनसमैन मेरे संपर्क में आए हैं और जिन पत्रकारों ने मुझसे बात की है, वे इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं।

'पहले ही दिन चिदंबरम ने किया जमानत शर्तों का उल्लंघन'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

गुरुवार को सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने पहले ही दिन अदालत की जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम जमानत पर रिहा होने के अगले दिन ही अदालत के फैसले पर टिप्पणी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है और वे भ्रष्टाचार के आरोप में 105 दिन तक जेल में थे।

चिदंबरम की बयानबाजी के बाद जावडेकर ने किया पलटवार

संसद परिसर में जावडेकर ने कहा कि अदालत ने चिदंबरम को जमानत देते हुए कहा था कि विचाराधीन मामले के बारे में चिदंबरम कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, लेकिन गुरुवार को ही उन्होंने बयान दिया कि बतौर मंत्री उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ यही आरोप है कि उन्होंने मंत्री पद पर अपना कर्तव्य निभाते हुए भ्रष्टाचार किया। इसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने खुद ही स्वयं के निर्दोष होने का प्रमाणपत्र दिया है जो अदालत की शर्तों का उल्लंघन है।

जावडेकर ने कहा कि चिदंबरम ने आज सभी विषयों पर अपना गुस्सा दिखाया है। कश्मीर के मामले में चिदंबरम की प्रतिक्रिया पर जावडेकर ने कहा कि 1975 में आजादी नहीं थी, उस समय देश में प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था। हालांकि आज जम्मू-कश्मीर में समाचार पत्रों का प्रकाशन और समाचार चैनलों का प्रसारण नियमित प्रसारण हो रहा है। केंद्र सरकार ने चंद बंदियों को गिरफ्तार किया था, उनकी भी सूचना सरकार ने उपलब्ध कराई है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई सूचना ही नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि जब चिदंबरम गृह मंत्री थे, उस समय कश्मीर जल रहा था जबकि आज कश्मीर तरक्की के रास्ते पर चल रहा है।

जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे ऊंची महंगाई दर पर धीमी आर्थिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था थी।

लोकसभा में उठा प्याज का मुद्दा, कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 नवंबर।

देश भर में प्याज की कीमतों में भारी उछाल का मुद्दा गुरुवार को लोकसभा में उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह कालाबाजारियों पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को परामर्श जारी करे। दूसरी ओर कांग्रेस के सांसदों ने प्याज के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन किया।

शून्यकाल में मुद्दे को उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार पर प्याज की कीमतों पर लगाम कसने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्याज जैसी उपभोक्ता खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि गंभीर विषय है। अचानक से प्याज की कीमतों में इतनी वृद्धि दर्ज की गई है कि आम लोगों पर बोझ काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि नवंबर माह में प्याज की कीमतों में 61.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने दावा किया कि समय पर अगर कदम उठाए गए होते, तब ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती।

बंदोपाध्याय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने स्वयं बाजार का दौरा किया और वह इस पर नजर रख रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को परामर्श जारी करना चाहिए।

आरबीआइ का नए प्रीपेड कार्ड का प्रस्ताव

पेज 1 का बाकी

समीक्षा जारी करने बाद रिजर्व बैंक ने कहा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने में पूर्व भुगतान (प्रीपेड) प्रणालियों की अहम भूमिका है। नई सेवा इस प्रणाली के उपयोग की सुविधा को और बढ़ाएगी।

बयान के मुताबिक एक नई तरह की प्रीपेड भुगतान प्रणाली को पेश किया जाएगा।

इस तरह की प्रीपेड प्रणाली को शुरू करना और फिर से उसमें पैसे भरने का काम केवल बैंक खातों के माध्यम से ही किया जा सकेगा। इसका उपयोग बिलों के भुगतान या दुकानदारों को भुगतान करने में किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस संबंध में दिशानिर्देश 31 दिसंबर, 2019 को जारी करेगा।

'आतंकवादियों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को निजता का अधिकार नहीं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि डाटा सुरक्षा के नाम पर आतंकवादियों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को निजता का कोई अधिकार नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने राज्यसभा में एक पूरक सवाल के जवाब में कहा कि आधार और निजता से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

प्रसाद ने कहा कि हम भी निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं लेकिन एक आतंकवादी, भ्रष्टाचारी या अपराधी के लिए निजता का कोई अधिकार नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आधार मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार को निजी डाटा सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाना चाहिए। मंत्रिमंडल ने इससे जुड़े कानून के विधेयक को मंजूरी दे दी है, जल्द ही इसे सदन में पेश किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदीप भट्टाचार्य ने पूछा था कि निजी डाटा सुरक्षा के लिए जिस प्रकार सरकार मजबूत कानून बना रही है, क्या उसी तर्ज पर आधार कानून में भी बदलाव करने पर सरकार विचार करेगी।

जम्मू कश्मीर में डाक सेवाएं समान्य रूप से बहाल हैं : सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद राज्य में डाक सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा और वह सामान्य रूप से बहाल हैं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में 1694 डाकघर हैं। इनमें से 698 डाकघर कश्मीर में हैं और वर्तमान में ये सभी कार्यरत हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कश्मीर में गत पांच अगस्त के बाद डाक सेवाएं निलंबित नहीं की गई थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि डाक विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर को नियंत्रित करने के लिए स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक और पार्सलों की बुकिंग पांच से 18 अगस्त तक और कश्मीर के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर की बुकिंग 13 से 27 अगस्त तक अस्थायी रूप से निलंबित थी। प्रसाद ने बताया कि डाक विभाग ने 19 अगस्त से देश भर से कश्मीर में भेजी जाने वाली डाक सेवा 28 अगस्त से इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर सेवा फिर से शुरू कर दी है।

पॉक्सो मामलों के निस्तारण के लिए 1023 त्वरित अदालतें बनेंगी : केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि पॉक्सो के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए देश भर में 1023 त्वरित अदालतें स्थापित करने का राज्यों को प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें से 420 अदालतों को स्थापित करने की स्वीकृति भी मिल गई है। प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों का शीघ्र निस्तारण सरकार के लिए प्राथमिकता है।

खर्च पूरा करने के लिए जेएनयू में शुल्क बढ़ाया गया : केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को बताया कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शुल्क वृद्धि इसलिए की गई ताकि छात्रावासों के प्रबंधन के बढ़े हुए खर्च की पूर्ति की जा सके और उन्हें 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर संचालित किया जा सके। निशंक ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

भाजपा नेताओं की सात चीनी मिलों के कर्ज की गारंटी सरकार ने रद्द की

मुंबई, 5 दिसंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने पंकजा मुंडे समेत भाजपा नेताओं के स्वामित्व वाली सात चीनी मिलों द्वारा लिए गए 300 करोड़ रुपए के कर्ज पर गारंटी रद्द कर दी है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह फैसला बुधवार को उद्धव ठाकरे नीत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहकारी समितियों को कर्ज मुहैया कराता है और राज्य सरकार कुछ नियमों एवं शर्तों के आधार पर इस पर गारंटी देती है। अधिकारी ने कहा, 'इन सात सहकारी चीनी मिलों ने गारंटी के लिए रखी गई शर्तों को पूरा नहीं किया, ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल ने गारंटी रद्द करने का फैसला किया है।' उन्होंने बताया कि इन सहकारी चीनी मिलों ने सकारात्मक शुद्ध निवल संपत्ति होने और कोई गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) या कर्ज नहीं होने की शर्त पूरी नहीं की।

अधिकारी ने बताया कि मुंडे की चीनी मिल के बजाए भाजपा सहयोगी जनसुराज्य शक्ति पार्टी के नेता विनय कोरे की सहकारी मिल को भी गारंटी दी गई थी। इन सात चीनी मिलों को कर्ज गारंटी देने का निर्णय राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा नीत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस सप्ताह सितंबर में लिया था।

इससे पहले सूत्रों ने बताया कि पूर्व फडणवीस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में लिए गए 34 फैसलों पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई। राज्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार पूर्व भाजपा-शिवसेना सरकार द्वारा शुरू की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेगी।

वकील को अवमानना की धमकी मामले में न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने मांगी माफी

पेज 1 का बाकी

मुकाबले बार का ज्यादा सम्मान करते हैं और यदि कोई पीड़ित महसूस कर रहा है तो वे इसके लिए क्षमा चाहते हैं।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा-यदि किसी भी अवसर पर किसी को भी असुविधा महसूस हुई है तो मैं हाथ जोड़कर इसके लिए क्षमा मांगता हूं। सिब्बल ने न्यायमूर्ति मिश्रा से कहा कि बार और बेंच दोनों का ही यह कर्तव्य है कि वे अदालत की गरिमा बनाए रखें और दोनों को परस्पर एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि अदालत में परस्पर सद्भाव का माहौल बनाए रखना चाहिए और बार व बेंच को परस्पर सम्मान करना चाहिए।

न्यायमूर्ति शाह ने वकीलों से कहा कि सम्मान परस्पर होना चाहिए और जब मंगलवार को पीठ ने शंकर नारायणन को बहस जारी रखने के लिए कहा तो उन्होंने एकदम इनकार कर दिया। रोहतगी ने कहा कि युवा वकील इस अदालत में आने से भयभीत हो रहे हैं और यह बार के युवा सदस्यों को प्रभावित कर रहा है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा- मैं बार से अधिक जुड़ा हुआ हूं। मैं यही कहना चाहूंगा कि बार तो पीठ की जननी है। मैं किसी भी अन्य चीज की तरह ही बार का सम्मान करता हूं। मैं अपने दिल से यह कह रहा हूं और कृपया इस तरह की कोई धारणा अपने दिमाग में मत रखिए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के प्रति भी कोई शिकायत नहीं है और उन्होंने न्यायाधीश के रूप में अपने करीब 20 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी वकील के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही नहीं चलाई है।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि पूरे करिअर के दौरान उनकी आलोचना की गई और उन्होंने हमेशा बार का समर्थन किया। खन्ना ने पीठ से कहा कि न्यायपालिका और बार की स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है और इसलिए बार व बेंच के बीच सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है।

रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि अनुमान घटाया

पेज 1 का बाकी

रिवर्स रेपो दर को 4.90 फीसद पर बनाए रखने के पक्ष में सहमति दी। मौद्रिक समीक्षा के लिए एमपीसी की तीन दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी। मौद्रिक नीति समीक्षा में हालांकि कहा गया है- एमपीसी मानती है कि भविष्य की समीक्षाओं में नीतिगत बदलाव के लिए कदम उठाने की गुंजाइश बनी हुई है। बहरहाल, वृद्धि और मुद्रास्फीति की मौजूदा स्थिति को देखते हुए समिति समझती है कि इस समय रुकना ठीक रहेगा। दास ने कहा, ब्याज दरों में कटौती के मामले में यह अस्थायी विराम है। एमपीसी इस मामले में फरवरी में बेहतर ढंग से निर्णय ले सकेगी। उस समय तक और आंकड़े सामने होंगे और सरकार भी 2020-21 का बजट पेश कर चुकी होगी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि अक्तूबर में खुदरा मुद्रास्फीति का 4.6 फीसद का आंकड़ा उसकी उम्मीद से काफी ऊंचा रहा है।

उन्नाव कांड पर संसद में हंगामा

पेज 1 का बाकी

राज्यसभा को दो बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे की वजह से राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सदन का शून्यकाल स्थगित कर दिया। भोजनावकाश के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाने का प्रयास किया। लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इसकी अनुमति नहीं दी और उन्होंने माकपा सदस्य के के रागेश को कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को निरस्त करने के लिए सांविधिक संकल्प पेश करने को कहा। इसके बाद उपसभापति ने दो बजकर करीब पांच मिनट पर आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी।

आधे घंटे के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्नाव की घटना की निंदा करते हुए कुछ सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके बाद सदन में कामकाज सुचारू रूप से चलने लगा।

पीएनबी घोटाला : नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

पेज 1 का बाकी

प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया। नीरव मोदी ने उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज करने का अदालत से आग्रह किया था।

वह (नीरव) और उसका मामा मेहुल चौकसी पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी हैं। दोनों जनवरी, 2018 में इस धोखाधड़ी के सामने आने से पहले भारत से भाग गए थे। नीरव मोदी को इस साल मार्च में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अभी लंबित है। जुलाई, 2018 में केंद्रीय एजंसी ने नए एफईओ अधिनियम के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित कराने के लिए आवेदन दिया था। वह (नीरव) और उसका मामा मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने के मामले में मुख्य आरोपी हैं जो गारंटी पत्र जारी करने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है

12 विपक्षी दलों ने तय किया आठ सूत्रीय एजंडा

पेज 1 का बाकी

देश के दूसरे हिस्सों से बाहर करने के मकसद से ला रही है। इस बीच, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल में कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रणनीति तय करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श करेंगी और समान विचारधारा वाले दलों के साथ भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। हालांकि कई विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर भारत आए उन गैर मुसलिमों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

बलात्कार पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश

पेज 1 का बाकी

मदद से उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़िता का इल्जाम है कि आरोपी पक्ष मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा था और बात न मानने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लड़की ने उपजिलाधिकारी दयाशंकर पाठक को दिए गए बयान में शिवम और शुभम के साथियों रामकिशोर, हरिशंकर, और उमेश के नाम भी लिए हैं। इन सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिशंकर शुभम का पिता है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद उन्नाव के थाना बिहार में हुई घटना का संज्ञान लेते हुए पीड़िता को सरकारी खर्च पर हर संभव चिकित्सा सुविधा देने और आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक को तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट तलब की है।

उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक है कि राज्य सरकार इस प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट सौंपे। उधर, इस घटना के चश्मदीद रहे रवींद्र ने संवाददाताओं को बताया कि युवती अधजली हालत में कुछ दूर तक बदहवास दौड़कर आई और मदद की गुहार लगाई। वह गंभीर रूप से झुलसी थी। इस पर उन्होंने पुलिस को फोन किया। युवती ने अपने साथ हुई वारदात के बारे में पुलिस को खुद बताया।

पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) प्रवीण कुमार ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि इस मामले में बेहद तत्परता से कार्रवाई की जाएगी और प्रकरण का फास्ट ट्रैक अभियोजन करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस बीच, मामले की जांच के लिए फोरेंसिक टीम ने उन्नाव में घटनास्थल का दौरा करके साक्ष्य जुटाए। इस बीच, प्रदेश पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि पीड़िता ने शादी का झांसा देकर 19 जनवरी 2018 से 12 दिसंबर 2018 के बीच बलात्कार करने के संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत कराया था और इस मामले में जेल भेजे गए आरोपी शिवम की गत 25 नवंबर को जमानत हुई थी।

यूं लाया गया सफदरजंग

पेज 1 का बाकी

अस्पताल में भर्ती कराया करा गया। इससे पहले वह हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंची थी। इसके बाद ग्रीन कॉरीडोर बनाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हवाई अड्डे के टर्मिनल एक से सफदरजंग अस्पताल की 13 किलोमीटर दूरी को सिर्फ 18 मिनट में तय किया गया। पीड़िता की हालत बेहद नाजुक है।

पंजाब वीडियो : मंत्री कर रहे थे 'काली दवा' के फायदे की बात

पेज 1 का बाकी

खत्म कर देगी। पंजाब सूचना व जन संपर्क विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में जवाब-तलब किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि बिना ऑडियो म्यूट किए वीडियो साझा करने वाले पीआर विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। बैठक में शामिल होने वाले एक मंत्री ने दावा किया कि 'हल्की फुल्की' बातचीत मादक पदार्थ के बारे में नहीं थी बल्कि किसी बीमार व्यक्ति के लिए एक दवा के फायदे के बारे में थी। मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत थी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस पूरे मामले में शिरोमणी अकाली दल के नेता व पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने राज्य सरकार पर अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया।

'सुरक्षित हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख'

पेज 1 का बाकी

बातचीत के लिए विभिन्न वायुसेना बलों के प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए हवाई स्थित इस अमेरिकी अड्डे के दौरे पर हैं। वे हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र के वायुसेना प्रमुखों के लिए आयोजित कार्यक्रम-पैसिफिक एअर चीफ सिंपोजियम (पैक्स 2019) में हिस्सा लेने गए हैं। अमेरिका के अलावा 20 देशों के वायुसेना प्रमुख इस कांफ्रेंस में शामिल हो रहे हैं।

वायुसेना प्रवक्ता के मुताबिक, वायुसेना प्रमुख पर्ल हार्बर में अमेरिकी वायुसेना अड्डे पर ठहरे हुए हैं और गोलीबारी नौसैन्य अड्डे पर हुई। ये दोनों जगहें एक दूसरे के निकट नहीं हैं। प्राप्त खबरों के मुताबिक, हवाई स्थित अमेरिकी नौसेना के पर्ल हार्बर शिपयार्ड में बुधवार को एक अमेरिकी नाविक ने गोलीबारी कर दी, जिसके कारण दो लोग मारे गए। बाद में हमलावर ने आत्महत्या कर ली।

यह घटना 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान की ओर से की गई बमबारी की 78वीं बरसी से कुछ दिन पहले हुई है। बमबारी की घटना के बाद ही अमेरिका द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह गोलीबारी स्थानीय समयानुसार दोपहर ढाई बजे की गई, जिसके बाद अड्डे को कुछ घंटों तक बंद रखना पड़ा। नौसैन्य अड्डे ने ट्वीट कर बताया कि हमलावर की पहचान अमेरिकी नाविक के रूप में हुई है। अधिकारियों ने कहा कि नाविक ने खुद को गोली मारने से पहले रक्षा मंत्रालय के तीन नागरिक सुरक्षा कर्मियों को गोली मार दी थी।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि वह अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी उसने गोलियों की आवाज सुनी और देखा कि तीन लोग जमीन पर पड़े हैं। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि हमलावर ने नौसैनिक या नाविक जैसी पोशाक पहन रखी थी। उस व्यक्ति ने हमलावर को खुद के सिर में गोली मारते भी देखा।

अमेरिका के हवाई क्षेत्र के गवर्नर डेविड इगे ने इस घटना को लेकर कहा कि वाइट हाउस ने संघीय एजंसियों से सहायता की पेशकश की है और राज्य भी जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है। इगे ने एक बयान में कहा, 'मैं हवाई के लोगों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए प्रभावित लोगों के बारे में अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।'

नेवी रीजन हवाई के कमांडर, रियर एडमिरल रॉबर्ट चैडविक ने कहा कि अड्डे के भीतर नौसेना के शिपयार्ड पर बुधवार को हुई गोलीबारी के पीछे के मकसद की उन्हें फिलहाल जानकारी नहीं है। हमले में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चैडविक ने कहा कि फिलहाल यह पता नहीं चला है कि किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया है। अड्डे पर निजी हथियार लाने की अनुमति नहीं है।

मालदा में महिला का जला हुआ शव मिला

पेज 1 का बाकी

हुआ शव मिला। ऐसा संदेह है कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई है।

पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत देवनाथ ने बताया कि शव बुरी तरह जला हुआ है जिससे युवती की पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है।

पुलिस अधीक्षक आलोक राजौरिया के साथ घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि शव को स्थानीय किसानों ने इंग्लिश बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में आज सुबह देखा।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पहली बार देखने में ऐसा लग है कि महिला की उम्र लगभग 20-22 साल की होगी। उन्होंने बताया कि शव पर चोट के कई निशान हैं जिसे पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुलिस विभाग के सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच से ऐसा संकेत मिला है कि बलात्कार के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई और उसके बाद शव को जला दिया गया। शव के पास एक जोड़ी चप्पल और कई माचिस मिलीं।

यह घटना हैदराबाद में महिला चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या किए जाने और उसका जला हुआ शव मिलने की घटना के एक सप्ताह बाद हुई है। बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश के संभल में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

नई दिल्ली

www.readwhere.com

Indiabulls Ventures Limited

Registered Office: M - 62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi – 110 001
CIN: L74999DL1995PLC069631
Website: www.indiabullsventures.com, Email: helpdesk@indiabulls.com, Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240
Contact Person: Mr. Lalit Sharma, Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF INDIABULLS VENTURES LIMITED FOR THE BUY-BACK OF FULLY PAID UP EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

This Public Announcement (the **"Public Announcement"**) is being made pursuant to the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the **"Buy-back Regulations"**) for the time being in force including any statutory modifications and amendments from time to time and contains the disclosures as specified in Schedule II of the said Regulations.

OFFER FOR BUY-BACK OF UP TO 6,66,66,666 (SIX CRORES SIXTY SIX LACS SIXTY SIX THOUSAND SIX HUNDRED SIXTY SIX) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF THE FACE VALUE OF RS. 2/- (RUPEES TWO ONLY) EACH AT A PRICE OF RS. 150/- (RUPEES ONE HUNDRED FIFTY ONLY) PER FULLY PAID UP EQUITY SHARE, PAYABLE IN CASH, ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE "TENDER OFFER" ROUTE AS PRESCRIBED UNDER THE BUY-BACK REGULATIONS USING STOCK EXCHANGE MECHANISM.

1. DETAILS OF BUY-BACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1 The Board of Directors (the **"Board"** which shall be deemed to include Buy-back Committee, constituted by Board and authorized to exercise its powers) of Indiabulls Ventures Limited (the **"Company"**), at its meeting held on October 11, 2019 (the **"Board Meeting"**) has, subject to the approval of the shareholders of the Company by way of a special resolution through a postal ballot/ e-voting, pursuant to the provisions of Article 12 of the Articles of Association of the Company, Sections 68, 69 and 70 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended (the **"Companies Act"**), the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, to the extent applicable, and in compliance with the Buy-back Regulations and subject to such approvals of statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws including the requirements pursuant to and in terms of Section 68(2)(c) of the Companies Act, approved the Buy-back of up to 6,66,66,666 (Six Crores Sixty Six Lacs Sixty Six Thousand Six Hundred Sixty Six) fully paid up Equity Shares of the Company having face value of Rs. 2/- each (**"Equity Shares"**) (representing 12.61% of the total number of fully paid up Equity Shares, as on September 30, 2019) at a price of Rs. 150/- (Rupees One Hundred and Fifty only) per Equity Share (**"Maximum Buy-back Price"**) payable in cash for a total consideration not exceeding Rs. 1,000 Crores (Rupees One Thousand Crores only) excluding transaction costs viz. applicable taxes/duties and other incidental and related expenses (**"Transaction Costs"**) (hereinafter referred to as **Maximum Buy-back Size**), being 22.96% and 20.78% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the latest available audited financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2019, on standalone and consolidated basis, respectively, which is within the statutory limit of 25% of the total paid up equity share capital and free reserves as per standalone and consolidated audited accounts of the Company, through the Tender Offer route as prescribed under the Buy-back Regulations (the process being referred hereinafter as **Buy-back**), on a proportionate basis, from the equity shareholders / beneficial owners of the Equity Shares of the Company who hold Equity Shares as on December 19, 2019 (the **"Record Date"**).

1.2 The shareholders of the Company approved the Buy-back, by way of a special resolution, through postal ballot (including e-voting) pursuant to the postal ballot notice dated October 22, 2019 (the **"Postal Ballot Notice"**) on December 4, 2019 and the results of which were announced on December 5, 2019.

1.3 The Maximum Buy-back Size does not include any transaction costs viz. applicable taxes/duties and other incidental and related expenses incurred or to be incurred for the Buy-back like filing fees payable to Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), advisors/legal fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses, etc.

1.4 The Equity Shares are listed on the BSE Limited (the **"BSE"**) and the National Stock Exchange of India Limited (the **"NSE"**) (hereinafter together referred to as the "Stock Exchanges"). The Global Depository Receipts (**"GDRs"**) of the Company are listed on the Luxembourg Stock Exchange.

1.5 In addition to the regulations/statutes referred to in paragraph 1.1 above, the Buy-back is also in accordance with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, to the extent applicable and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The Buy-back shall be undertaken on a proportionate basis from the equity shareholders holding fully paid up equity shares of the Company as on the Record Date (**"Eligible Shareholders"**) through the tender offer process prescribed under Regulation 4(iv)(a) read with Chapter III of the Buy-back Regulations. Additionally, the Buy-back shall be subject to applicable laws, implemented by tendering of Equity Shares by Eligible Shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism as specified by SEBI in its circular bearing reference numberCIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the circular bearing reference number CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as amended from time to time (**"SEBI Circulars"**). In this regard, the Company will request BSE and NSE to provide the acquisition window for facilitating tendering of Equity Shares under the Buy-back. For the purposes of this Buy-back, BSE will be the designated stock exchange.

1.6 Participation in the Buy-back by Eligible Shareholders may trigger capital gains taxation in India and in their country of residence. The transaction of Buy-back would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, Eligible Shareholders will receive a letter of offer, which will contain detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, the Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors prior to participating in the Buy-back.

1.7 A copy of this Public Announcement is available on the website of the Company at www.indiabullsventures.com and is expected to be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in during the period of Buy-back and on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

2. NECESSITY FOR BUY-BACK

The Buy-back of Equity Shares, through Tender Offer route is being implemented in keeping with the Company's desire to enhance overall shareholders' value. The Buy-back would lead to reduction in outstanding number of Equity Shares and may consequently increase earnings per Equity Share over a period of time. This would in turn lead to improvement in return on net worth and other financial ratios and contribute to maximization of overall shareholders' value. With the above objective in mind, the Board of the Company at its meeting held on October 11, 2019, subject to consent of shareholders, has approved Buy-back of up to 6,66,66,666 Equity shares of face value of Rs. 2/- each (representing 12.61% of the total number of fully paid-up equity shares of the Company, as on September 30, 2019) at a price of Rs. 150/- per Equity Share payable in cash for a total consideration not exceeding Rs. 1,000 Crores, excluding Transaction Costs.

The Buy-back is a more efficient form of distributing surplus cash to the equity shareholders compared to other alternatives including interim dividend, inter-alia, for the following reasons:

i. The Buy-back gives an option to the equity shareholders to either participate in the Buy-back and receive cash in lieu of Equity Shares accepted under the Buy-back or not participate in the Buy-back and enjoy a resultant increase in their percentage of shareholding in the Company post the Buy-back;

ii. The Buy-back would help in improving certain key financial ratios of the Company;

iii. The Buy-back which is being implemented through the Tender Offer route as prescribed under the Buy-back Regulations, would involve a reservation for small shareholders as defined in this Regulations.

iv. As defined in the Buy-back Regulations, a small shareholder is a shareholder who holds Equity Shares having market value, on the basis of closing price on the recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such Equity Shares, as on the Record Date, of not more than Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only).

3. MAXIMUM NUMBER OF SECURITIES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUY-BACK

The Company proposes to Buy-back up to 6,66,66,666 (Six Crores Sixty Six Lacs Sixty Six Thousand Six Hundred and Sixty Six) fully paid up Equity Shares of the Company having face value of Rs. 2/- (Rupees Two only) each.

4. BUY-BACK PRICE AND BASIS OF DETERMINING THE BUY-BACK PRICE

The Equity Shares are proposed to be bought back at a price of Rs. 150/- per Equity Share. The Maximum Buy-back Price of Rs. 150/- per Equity Share represents (i) premium of around 22% on BSE and around 20% on NSE over the volume weighted average price of the equity shares on BSE and NSE respectively for 2 weeks preceding the date of the Board Meeting, in which the proposal of the Buy-back was considered and (ii) premium of around 51% over closing market price of equity shares of the company at NSE and BSE respectively preceding the date of Board Meeting in which the proposal of buy back was considered.

5. MAXIMUM AMOUNT REQUIRED UNDER THE BUY-BACK AND ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID UP CAPITAL AND FREE RESERVES

The maximum amount required under the Buy-back will not exceed Rs. 1,000 Crores (Rupees One Thousand Crores Only), excluding Transaction Costs, representing 22.96% and 20.78% of the total paid-up equity capital and free reserves (including securities premium account) as per the latest available audited financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2019, on standalone and consolidated basis, respectively.

6. DETAILS OF SHAREHOLDING OF PROMOTER AND PROMOTER GROUP AND TRANSACTIONS IN THE SHARES OF THE COMPANY

6.1 **Aggregate shareholding of the Promoters of the Company (Promoter and Promoter Group) as on the date of the Board meeting held on October 11, 2019 and Postal Ballot Notice, i.e., October 22, 2019, are as under:**

Name of Shareholders	Number of Fully Paid up Equity Shares Held	% of Fully paid up Equity Shares
Promoter and Promoter Group		
Mr. Sameer Gehlaut	4,14,89,078	7.85
Orthia Properties Private Limited	3,99,81,305	7.56
Orthia Constructions Private Limited	3,97,01,671	7.51
Zelkova Builders Private Limited	3,29,07,534	6.22
Inuus Properties Private Limited	1,70,00,000	3.21
Inuus Developers Private Limited	1,68,00,000	3.18
Total Shareholding of Promoters	**18,78,79,588**	**35.53**

6.2 **Aggregate shareholding of the Directors of Promoters and of persons who are in control of the Promoter company as on the date of the Board Meeting held on October 11, 2019 and Postal Ballot Notice, i.e., October 22, 2019 are as under:**

No Directors of Promoters and of persons who are in control of the Company holds any equity shares of the Company, except Mr. Sameer Gehlaut, who is director on the Board of Inuus Properties Private Limited and Inuus Developers Private Limited (Promoters of the Company), details of which is as under:

Name of Shareholder	Number of Fully Paid up Equity Shares Held	% of Fully paid up Equity Shares
Mr. Sameer Gehlaut	4,14,89,078	7.85

6.3 **Aggregate number of Equity Shares purchased or sold as well as minimum and maximum price at which such purchases and sales were made along with relevant dates by Promoter and Promoter Group and Directors of Promoters and of persons who are in control of the Promoter company for a period of six months preceding the date of the Board Meeting i.e. October 11, 2019 at which the Buy-back was approved till the date of Postal Ballot Notice dated October 22, 2019 are as under:**

No equity share was purchased or sold by Promoter and Promoter Group and Directors of Promoters and of persons who are in control of the Promoter company for a period of six months preceding the date of the Board Meeting i.e. October 11, 2019 at which the Buy-back was approved till the date of Postal Ballot Notice dated October 22, 2019.

7. INTENTION OF PROMOTER AND PROMOTER GROUP AND PERSONS IN CONTROL OF THE PROMOTER COMPANY TO PARTICIPATE IN BUY-BACK

In terms of the Buy-back Regulations, the Promoter and Promoter Group of the Company, have the option to participate in the Buy-back. The Promoters and Promoter Group of the Company have expressed their intention that they may participate in the Buy-back and in case of their participation, they may tender upto an aggregate of 18,78,79,588 Equity Shares.

Please see below the maximum number of Equity Shares proposed to be tendered by each of the Promoter and Promoter Group as well as persons in control of the Company:

Name of Promoter and Promoter Group	Maximum Number of Equity Shares intended to be tendered
Mr. Sameer Gehlaut	4,14,89,078
Orthia Properties Private Limited	3,99,81,305
Orthia Constructions Private Limited	3,97,01,671
Zelkova Builders Private Limited	3,29,07,534
Inuus Properties Private Limited	1,70,00,000
Inuus Developers Private Limited	1,68,00,000
Total	**18,78,79,588**

Details of the date and price of acquisition of the fully paid Equity Shares held by the Promoter and Promoter Group, who may participate in the Buy-back are given below:

Promoters

Name of Promoter Entity	Date of Allotment / Acquisition	Nature of Transaction	No. of fully paid up Equity Shares	Face Value (Rs.)	Issue / Acquisition Price (Rs.)	Total Consideration (Rs.)
Mr. Sameer Gehlaut	10.01.2008	Allotted on Demerger of the co. from Indiabulls Financial Services Ltd.	3,41,71,089	2/-	NA	NA
	07.04.2015	Allotted on conversion of Warrants	59,87,203	2/-	13.00	7,78,33,639
	17.10.2018	Market Purchase	7,63,244	2/-	459.23	35,05,04,021
	20.11.2018	Market Purchase	1,55,893	2/-	418.47	6,52,36,650
	22.11.2018	Market Purchase	50,000	2/-	420.39	2,10,19,547
	26.11.2018	Market Purchase	28,717	2/-	421.36	1,21,00,198
	27.11.2018	Market Purchase	1,32,932	2/-	423.96	5,63,57,316
	28.11.2018	Market Purchase	1,50,000	2/-	410.62	6,15,92,551
	29.11.2018	Market Purchase	50,000	2/-	410.18	2,05,09,239
TOTAL			**4,14,89,078**			**66,51,53,161**
Orthia Constructions Private Limited	07.04.2015	Allotted on conversion of Warrants	1,17,01,671	2/-	13.00	15,21,21,723
	07.03.2017	Allotted on conversion of Warrants	1,27,00,000	2/-	19.75	25,08,25,000
	10.04.2017	Allotted on conversion of Warrants	1,53,00,000	2/-	19.75	30,21,75,000
TOTAL			**3,97,01,671**			**70,51,21,723**
Orthia Properties Private Limited	11.11.2011	Market Purchase	91,536	2/-	7.49	6,85,705
	14.11.2011	Market Purchase	1,81,815	2/-	7.51	13,65,706
	15.11.2011	Market Purchase	6,00,000	2/-	7.51	45,06,596
	28.12.2011	Market Purchase	1,42,487	2/-	5.76	8,20,212
	29.12.2011	Market Purchase	77,471	2/-	5.76	4,46,160
	30.12.2011	Market Purchase	3,66,679	2/-	5.74	21,04,663
	02.01.2012	Market Purchase	4,441	2/-	5.76	25,576
	03.01.2012	Market Purchase	1,82,196	2/-	6.63	12,08,636
	04.01.2012	Market Purchase	9,11,097	2/-	7.43	67,66,370
	05.01.2012	Market Purchase	1,15,445	2/-	7.51	8,67,166
	06.01.2012	Market Purchase	68,015	2/-	7.51	5,10,897
	07.01.2012	Market Purchase	15,212	2/-	7.51	1,14,266
	09.01.2012	Market Purchase	1,25,808	2/-	7.51	9,44,974
	10.01.2012	Market Purchase	2,97,674	2/-	8.01	23,84,594
	11.01.2012	Market Purchase	1,72,886	2/-	8.01	13,85,195
	12.01.2012	Market Purchase	96,337	2/-	8.42	8,11,141
	13.01.2012	Market Purchase	18,12,112	2/-	8.88	1,60,83,305
	16.01.2012	Market Purchase	1,33,365	2/-	8.86	11,81,621
	17.01.2012	Market Purchase	2,67,342	2/-	9.28	24,81,139
	18.01.2012	Market Purchase	3,57,845	2/-	9.26	33,15,026
	19.01.2012	Market Purchase	13,11,387	2/-	9.91	1,29,96,093
	20.01.2012	Market Purchase	5,43,087	2/-	10.01	54,39,006
	15.03.2012	Market Purchase	1,03,555	2/-	9.86	10,20,953
	16.03.2012	Market Purchase	2,07,555	2/-	10.01	20,78,662
	19.03.2012	Market Purchase	3,30,036	2/-	10.01	33,05,305
	20.03.2012	Market Purchase	1,64,267	2/-	10.01	16,45,133
	21.03.2012	Market Purchase	7,619	2/-	10.02	76,304
	22.03.2012	Market Purchase	1,46,897	2/-	10.01	14,71,169
	23.03.2012	Market Purchase	7,93,584	2/-	10.02	79,48,654
	26.03.2012	Market Purchase	3,52,123	2/-	10.01	35,26,496
	08.08.2012	Market Purchase	10,00,000	2/-	7.56	75,58,679
	09.08.2012	Market Purchase	8,00,000	2/-	7.35	58,79,219
	13.08.2012	Market Purchase	4,00,000	2/-	6.98	27,92,512
	16.08.2012	Market Purchase	5,40,414	2/-	6.86	37,08,368
	17.08.2012	Market Purchase	13,365	2/-	7.01	93,676
	22.08.2012	Market Purchase	52,093	2/-	7.01	3,65,127
	23.08.2012	Market Purchase	1,10,438	2/-	7.01	7,74,072
	24.08.2012	Market Purchase	1,25,696	2/-	7.01	8,81,012
	27.08.2012	Market Purchase	31,101	2/-	7.01	2,17,991
	28.08.2012	Market Purchase	1,25,539	2/-	7.01	8,79,915
	29.08.2012	Market Purchase	10,000	2/-	7.01	70,092
	31.08.2012	Market Purchase	1,31,925	2/-	7.00	9,24,003
	03.09.2012	Market Purchase	1,36,125	2/-	7.01	9,54,114
	04.09.2012	Market Purchase	31,698	2/-	7.01	2,22,175
	05.09.2012	Market Purchase	2,59,799	2/-	7.39	19,21,079
	06.09.2012	Market Purchase	37,034	2/-	7.51	2,78,113
	07.09.2012	Market Purchase	43,424	2/-	7.51	3,26,099
	10.09.2012	Market Purchase	77,521	2/-	7.70	5,97,245
	11.09.2012	Market Purchase	2,39,435	2/-	7.97	19,07,394
	12.09.2012	Market Purchase	4,53,252	2/-	8.01	36,30,626
	25.09.2012	Market Purchase	10,00,000	2/-	8.41	84,10,628

www.readwhere.com

Name of Promoter Entity	Date of Allotment / Acquisition	Nature of Transaction	No. of fully paid up Equity Shares	Face Value (Rs.)	Issue / Acquisition Price (Rs.)	Total Consideration (Rs.)
	01.10.2012	Market Purchase	67,626	2/-	8.50	5,74,751
	05.10.2012	Market Purchase	6,57,886	2/-	9.93	65,32,332
	08.10.2012	Market Purchase	5,00,000	2/-	9.98	49,89,680
	10.10.2012	Market Purchase	5,00,000	2/-	9.22	46,12,108
	29.10.2012	Market Purchase	10,00,000	2/-	11.35	1,13,48,593
	30.10.2012	Market Purchase	15,04,667	2/-	11.29	1,69,89,485
	01.11.2012	Market Purchase	89,226	2/-	9.95	8,87,433
	06.11.2012	Market Purchase	1,00,366	2/-	9.51	9,54,294
	12.11.2012	Market Purchase	86,000	2/-	10.01	8,61,073
	15.11.2012	Market Purchase	50,060	2/-	10.01	5,01,225
	23.11.2012	Market Purchase	2,00,000	2/-	10.51	21,02,605
	26.11.2012	Market Purchase	5,39,923	2/-	10.88	58,75,184
	27.11.2012	Market Purchase	3,00,000	2/-	11.01	33,03,962
	29.11.2012	Market Purchase	27,543	2/-	11.51	3,17,134
	30.11.2012	Market Purchase	1,84,971	2/-	11.50	21,27,107
	01.04.2013	Market Purchase	3,41,347	2/-	8.99	30,70,265
	02.04.2013	Market Purchase	3,10,374	2/-	9.42	29,24,937
	03.04.2013	Market Purchase	4,32,659	2/-	9.51	41,15,429
	04.04.2013	Market Purchase	1,16,502	2/-	9.14	10,65,354
	05.04.2013	Market Purchase	4,02,019	2/-	9.63	38,71,603
	08.04.2013	Market Purchase	3,10,923	2/-	10.00	31,08,282
	09.04.2013	Market Purchase	79,176	2/-	10.01	7,92,748
	11.04.2014	Allotted on conversion of Warrants	1,41,44,904	2/- 2/-	13.00	18,38,83,752
	02.05.2014	Allotted on conversion of Warrants	15,14,058	2/-	13.00	1,96,82,754
	07.04.2015	Allotted on conversion of Warrants	9,22,343	2/-	13.00	1,19,90,459
TOTAL			**3,99,81,305**			**42,63,91,411**
Zelkova Builders Private Limited	09.04.2013	Market Purchase	2,90,615	2/-	10.01	29,09,758
	10.04.2013	Market Purchase	2,42,786	2/-	10.01	24,30,796
	11.04.2013	Market Purchase	72,572	2/-	10.01	7,26,626
	12.04.2013	Market Purchase	3,22,859	2/-	10.01	32,32,623
	15.04.2013	Market Purchase	1,01,327	2/-	10.01	10,14,533
	26.04.2013	Market Purchase	10,00,000	2/-	10.99	1,09,86,343
	29.04.2013	Market Purchase	7,75,657	2/-	11.71	90,79,555
	30.04.2013	Market Purchase	3,34,359	2/-	12.01	40,17,219
	02.05.2013	Market Purchase	6,74,679	2/-	12.00	80,95,417
	03.05.2013	Market Purchase	13,92,389	2/-	11.98	1,66,85,569
	06.05.2013	Market Purchase	6,46,066	2/-	10.85	70,11,882
	07.05.2013	Market Purchase	53,344	2/-	11.01	5,87,511
	08.05.2013	Market Purchase	3,25,636	2/-	11.01	35,86,414
	09.05.2013	Market Purchase	95,158	2/-	10.76	10,24,214
	10.05.2013	Market Purchase	2,80,087	2/-	10.94	30,64,147
	07.03.2017	Allotted on conversion of Warrants	1,19,50,000	2/-	19.75	23,60,12,500
	10.04.2017	Allotted on conversion of Warrants	1,43,50,000	2/-	19.75	28,34,12,500
TOTAL			**3,29,07,534**			**59,38,77,606**
Innus Properties Private Limited	11.06.2018	Allotted on conversion of Warrants	1,70,00,000	2/-	43.75	74,37,50,000
TOTAL			**1,70,00,000**			**74,37,50,000**
Innus Developers Private Limited	11.06.2018	Allotted on conversion of Warrants	1,68,00,000	2/-	43.75	73,50,00,000
TOTAL			**1,68,00,000**			**73,50,00,000**
GRAND TOTAL			**18,78,79,588**			**3,86,92,93,901**

The Buy-back will not result in any benefit to the Promoter and Promoter Group or any Directors of the Company except to the extent of cash consideration received by them from the Company pursuant to their respective participation in the Buy-back in their capacity of Equity Shareholders of the Company and the change in their shareholding as per the response received in the Buy-back, as a result of the extinguishment of Equity Shares which will lead to reduction in the Equity Share Capital of the Company post Buy-back.

8. CONFIRMATIONS FROM THE COMPANY AS PER THE PROVISIONS OF THE BUY-BACK REGULATIONS AND THE COMPANIES ACT:

8.1 The Company confirms that there are no defaults made or subsisting in the repayment of deposits or interest payment thereon, redemption of debentures or preference shares, payment of dividend to any shareholder or repayment of term loans/interest payable thereon to any financial institution or Banks.

8.2 The Board of Directors of the Company have made full enquiry into the affairs and prospects of the Company and have formed the opinion:

i. That immediately following the date of Board Meeting held on October 11, 2019 till the date on which the results of the Postal Ballot has been declared i.e. December 5, 2019, there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts;

ii. That as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of Board Meeting held on October 11, 2019 as well as the year immediately following the date on which the results of the Postal Ballot approving the Buy-back has been declared i.e. December 5, 2019, and having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of said Board Meeting or as the case may be, within a period of one year from the date on which the results of the Postal Ballot has been declared;

iii. In forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, 2013 or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (including prospective and contingent liabilities);

iv. That the debt equity ratio of the Company after the Buy-back will be within the limit of 2:1 as prescribed under the Companies Act.

8.3 OTHER CONFIRMATIONS

i. That all the Equity Shares which are proposed to be bought back by the Company are fully paid-up;

ii. That the Company has not undertaken a Buy-back of any of its securities preceding one year reckoned from the date of the Board Meeting approving the Buy-back;

iii. That the Company shall not issue any equity shares or other specified securities including by way of bonus till the expiry of Buy-back period;

iv. That the Company shall not raise further capital for a period of one year from the expiry of Buy-back period, except in discharge of subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes or conversion of preference shares or debentures into equity shares;

v. That the Company shall not Buy-back any locked-in Equity Shares and non-transferable Equity Shares, if any, till the pendency of the lock-in or till the Equity Shares become transferable;

vi. That the Company shall not Buy-back its Equity Shares from any person through negotiated deal whether on or off the Stock Exchange(s) or through spot transactions or through any private arrangement;

vii. That the Company shall not directly or indirectly purchase its own Equity Shares through any subsidiary company including its own subsidiary companies or through any investment company or group of investment companies;

viii. That the Company shall not make any offer of Buy-back within a period of one year reckoned from the date of expiry of Buy-back period;

ix. That the funds borrowed from banks and financial institutions will not be used for the Buy-back;

x. That the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owned by the Company immediately after the Buy-back shall not exceed the ratio (2:1) as prescribed under Section 68 of the Companies Act.

9. THE TEXT OF THE REPORT DATED OCTOBER 18, 2019 OF WALKER CHANDIOK & CO LLP, THE STATUTORY AUDITORS OF THE COMPANY PURSUANT TO THE REQUIREMENTS OF CLAUSE (XI) OF THE SCHEDULE I TO THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018 (AS AMENDED) ("BUY-BACK REGULATIONS"), ADDRESSED TO THE BOARD IS REPRODUCED BELOW:

The report dated October 18, 2019 received from **Walker Chandiok & Co LLP**, Chartered Accountants, the Statutory Auditors of the Company addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced as under:

To,
The Board of Directors
Indiabulls Ventures Limited
M-62 & 63, First Floor,
Connaught Place,
New Delhi - 110001.

1. This report is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated 9 October 2019 with Indiabulls Ventures Limited (the 'Company').

2. The management of the Company has prepared the accompanying Annexure A-Statement of permissible capital payment as on 31 March 2019 ('the Statement') pursuant to the proposed buy-back of equity shares approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 11 October 2019, in accordance with the provisions of sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ('the SEBI buy-back regulations). The Statement contains the computation of amount of permissible capital payment towards buy-back of equity shares in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act and based on the latest audited consolidated and standalone financial statements for the year ended 31 March 2019. We have initialed the Statement for the identification purposes only.

Management's Responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement in accordance with the requirements of the Act and ensuring compliance with the SEBI buy-back regulations, is the responsibility of the management of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

4. The Board of Directors is also responsible to make a full inquiry into the affairs and prospects of the Company and to form an opinion on reasonable grounds that the Company will be able to pay its debts from the date of Board meeting or date of declaration of results of the postal ballot for special resolution by the shareholders at which the proposal for buy-back was approved; and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board meeting at which the proposal for buy-back was approved by the Board of Directors of the Company or date of declaration of results of the postal ballot for special resolution by the shareholders, and in forming the opinion, it has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company were being wound up under the provisions of the Act or the Insolvency and Bankruptcy Code 2016.

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of the SEBI buy-back regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance on whether:

a) we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the audited standalone and consolidated financial statements for the year ended 31 March 2019;

b) the amount of permissible capital payment, as stated in the Statement, has been fairly determined considering the audited financial statements for the year ended in accordance with section 68(2)(c) of the Act;

c) whether the Board of Directors of the Company, in its meeting dated 11 October 2019, has formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buy-back Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the aforesaid date or date of declaration of results of postal ballot for special resolution by the shareholders.

6. The audited financial statements, referred to in paragraph 5 above, have been audited by us, on which we have issued unmodified audit opinion vide our report dated 25 April 2019. Our audit of these financial statements was conducted in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013 and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the 'ICAI'). Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. Such audit was not planned and performed in connection with any transactions to identify matters that maybe of potential interest to third parties.

7. The standalone and consolidated financial statements of the Company, for the years ended 31 March 2018 and 31 March 2019 have been audited by us. The standalone and consolidated financial statements of the Company from the date of incorporation till 31 March 2017 were audited by the predecessor auditors.

8. We conducted our examination of the Statement in accordance with the 'Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes' ('Guidance Note'), issued by the ICAI. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

9. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements, issued by the ICAI.

10. A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the matters mentioned in paragraph 5 above. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks associated with the matters mentioned in paragraph 5 above. We have performed the following procedures in relation to the matters mentioned in paragraph 5 above:

a) Inquired into the state of affairs of the Company in relation to the audited standalone and consolidated financial statements for the year ended 31 March 2019;

b) Examined authorisation for buy back from the Articles of Association of the Company;

c) Agreed the balance of the paid up Equity Share Capital, Balance in the Statement of Profit and Loss, Securities Premium Account and General Reserve as at 31 March 2019 as disclosed in the Statement with the audited financial statements;

d) Examined that the amount computed in the Statement of permissible capital payment for the buy-back is in accordance with Section 68(2)(c) of the Act;

e) Inquired if the Board of Directors of the Company, in its meeting held on 11 October 2019 has formed the opinion as specified in Clause (x) of Schedule I to the SEBI buy-back regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the aforesaid date of the board meeting or date of declaration of results of postal ballot for special resolution by the shareholders;

f) Examined minutes of the meetings of the Board of Directors;

g) Examined the Directors' declarations for the purpose of buy-back and solvency of the Company;

h) Verified the arithmetical accuracy of the Statement; and

i) Obtained appropriate representations from the management of the Company.

Opinion

11. Based on our examination as above and the information, explanations and representations provided to us by the management, in our opinion:

a) we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to audited standalone and consolidated financial statements for the year ended 31 March 2019;

b) the amount of the permissible capital payment towards the proposed buy-back of equity shares as computed in the accompanying Statement, has been fairly determined in accordance with the requirements of Section 68(2)(c) of the Act based on the audited financial statements for the year ended 31 March 2019; and

c) the Board of Directors of the Company, in its meeting held on 11 October 2019 has formed opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI buy-back regulations, on reasonable grounds and that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the aforesaid date or date of declaration of results of postal ballot for special resolution by the shareholders.

Restriction on distribution or use

12. Our work was performed solely to assist you in meeting your responsibilities in relation to your compliance with the provisions of section 68 and other applicable provisions of the Act and the SEBI buy-back regulations, pursuant to the proposed buy-back of equity shares. Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have had as auditors of the Company or otherwise. Nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Company.

13. This report is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company solely for the purpose of enabling it to comply with the aforesaid requirements and to include this report, pursuant to the requirements of the SEBI buy-back regulations, (a) in the Explanatory Statement to the notice for special resolution (b) in the public announcement to be made to the shareholders of the Company, (c) in the draft letter of offer and the letter of offer to be filed with the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, Stock Exchanges, as required by the SEBI buy-back regulations, the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (iii) for providing to the manager(s) to the buy-back, each for the purpose of extinguishment of equity shares. Accordingly, this report may not be suitable for any other purpose, and therefore, should not be used, referred to or distributed for any other purpose or to any other party without our prior written consent. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose for which or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For **Walker Chandiok & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 001076N/N500013
Sd/-
Nitin Kohli
Partner
Membership No.: 507771
UDIN: 19507771AAAAIA4412
Place: Noida
Date: 18 October 2019

Annexure A

Statement of Permissible Capital Payment as on 31 March 2019

(Amount in Rs. Lakh)

Computation of permissible limits	Standalone	Consolidated
Paid-up equity share capital	11,348.76	11,348.76
(-) Share forfeiture account	(0.19)	(0.19)
Net Paid up share capital (A)	**11,348.57**	**11,348.57**
Free reserves		
Balance in the Statement of Profit and Loss(i)	11,129.17	55,905.40
General Reserve	3,381.78	4,197.55
Total free reserves (B)	**14,510.95**	**60,102.95**
Securities Premium (C)	**410,449.16**	**410,449.18**
Total (D =A+B+C)	**436,308.68**	**481,900.70**
Maximum amount permissible for buy-back, i.e. 25% of (D) above	**109,077.17**	**120,475.18**

(i) The balance in the Statement of Profit and Loss is excluding of amounts representing unrealised gains and notional gains.

For Indiabulls Ventures Limited
Sd/- Sd/-
Whole-time Director & CEO Chief Financial Officer

Date: 18 October 2019
Place: Mumbai

10. RECORD DATE AND SHAREHOLDERS ENTITLEMENT

10.1. As required under the Buy-back Regulations, the Company has fixed December 19, 2019 as the record date for the purpose of determining the entitlement and the names of the equity shareholders who are eligible to participate in the Buy-back.

10.2. The Equity Shares to be bought back as part of the Buy-back are divided into two categories: i. Reserved category for small shareholders; and ii. General category for all other shareholders.

10.3. As defined in Regulation 2(i)(n) of the Buy-back Regulations, a **"small shareholder"** is a shareholder who holds equity shares having market value, on the basis of closing price on the stock exchange having highest trading volume as on Record Date, of not more than Rs. 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs only).

10.4. In accordance with Regulation 6 of the Buy-back Regulations, 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to Buy-back or such number of Equity Shares entitled as per the shareholding of small shareholders as on the Record Date, whichever is higher, shall be reserved for the small shareholders as part of this Buy-back.

10.5. On the basis of the shareholding on the Record Date, the Company will determine the entitlement of each Eligible Shareholder, including small shareholders, to tender their Equity Shares in the Buy-back. This entitlement for each Eligible Shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective shareholder on the Record Date and the ratio of the Buy-back applicable in the category to which such shareholder belongs. The final number of Equity Shares that the Company will purchase from each Eligible Shareholder will be based on the total number of Equity Shares tendered. Accordingly, the Company may not purchase all of the Equity Shares tendered by an Eligible Shareholder.

10.6. In accordance with Regulation 9(ix) of the Buy-back Regulations, in order to ensure that the same shareholders with multiple demat accounts/folios do not receive a higher entitlement under the small shareholder category, the Company will club together the equity shares held by such shareholders with a common Permanent Account Number (PAN) for determining the category (small shareholder or general) and entitlement under the Buy-back. In case of joint shareholding, the Company will club together the equity shares held in cases where the sequence of the PANs of the joint shareholders is identical. In case of physical shareholders, where the sequence of PANs is identical, the Company will club together the equity shares held in such cases. Similarly, in

www.readwhere.com

सरकारी बंगले पर ताला डालकर चार पूर्व सांसद नदारद

ताला तोड़ कर बंगला खाली कराएगी सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

विगत जून में लोकसभा चुनाव के बाद 230 पूर्व सांसदों से लुटियन दिल्ली में आबंटित सरकारी बंगले खाली कराने के लिए सरकार की सख्ती के बावजूद पांच पूर्व सांसदों ने अभी तक बंगला खाली नहीं किया है। इनमें से चार पूर्व सांसद बंगले में ताला लगाकर कई दिनों से नदारद हैं, ऐसे में संपदा निदेशालय ताला तोड़कर ये बंगले खाली कराएगा।

निदेशालय के सूत्रों के अनुसार पूर्व सांसद धनंजय महाडीक (राकांपा), डॉ गोपाल के.(अन्नाद्रमुक), एम मुरली मोहन (तेदेपा) और भाजपा के मनोहर ऊंटवाल के बंगलों पर कुछ समय से ताला लगा है। कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने भी निदेशालय से कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी आवास खाली नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक रंजीत रंजन ने बीआर मेहता लेन पर आबंटित अपना बंगला अगले सप्ताह सोमवार तक खाली करने का निदेशालय को लिखित आश्वासन दिया है।

निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया, 'चार पूर्व सांसदों के बंगले पुलिस की मदद से बलपूर्वक खाली कराने के लिए कई दिनों से निदेशालय की टीम भेजी जा रही है लेकिन आवास पर ताला लगा देख, उसे वापस लौटना पड़ता है। अब निदेशालय के पास ताला तोड़ना ही अंतिम कानूनी विकल्प बचा है। यह कार्रवाई किसी भी दिन की जा सकती है।'

महाडीक को साउथ एवेंन्यू स्थित 81 नंबर बंगला और गोपाल के को नॉर्थ एवेंन्यू स्थित 209 नंबर बंगला आबंटित था। वहीं, ऊंटवाल और मुरली मोहन को कावेरी अपार्टमेंट में आवास आबंटित था।

अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के छह महीने बीतने के दौरान बरती गई सख्ती के फलस्वरूप 230 पूर्व सांसदों से सरकारी बंगले खाली कराने की अब तक की कार्रवाई सफल रही। सिर्फ पांच पूर्व सांसदों ने आवास खाली नहीं किए हैं।इस बीच, 70 नवनिर्वाचित सांसदों को सरकारी आवास नहीं मिल पाने का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठने के बाद निदेशालय ने खाली नहीं हुए बंगलों को ताले तोड़कर खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी है।

उन्होंने बताया कि अगले एक दो दिनों में कब्जाधारी द्वारा बंगला खाली नहीं किये जाने पर निदेशालय के अधिकारियों की टीम दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में बंगले के ताले तोड़ कर सामान का पंचनामा कर इसे जब्त कर लेगी, जिसे कब्जाधारक के लौटने पर उसे सुपुर्द कर दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि सरकारी संपत्ति से अनधिकृत कब्जों को सख्ती से हटाने के लिये हाल ही में संसद द्वारा पारित कठोर प्रावधानों वाले 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम 2019' के मुताबिक पुलिस की मदद से बंगले को कब्जाधारी की मौजूदगी में ही बलपूर्वक खाली खाली कराया जा सकता है।

कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव में 66.49 फीसद मतदान

बंगलुरु, 5 दिसंबर (भाषा)।

कर्नाटक में गुरुवार को 15 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में लगभग 66.49 फीसद मतदाताओं ने वोट डाला और मतदान कमोबेश शांतिपूर्ण रहा। इस उपचुनाव को राज्य की बीएस येदियुरप्पा सरकार के स्थायित्व के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और पहले आधे दिन तक मतदान की गति धीमी रही और डेढ़ बजे तक सिर्फ 33 फीसद मतदाताओं ने मतदान किया। उसके बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी। हालांकि उपचुनाव का मतदान फीसद 2018 के विधानसभा चुनाव के मतदान फीसद से कम रहा। अधिकारियों ने बताया कि 15 निर्वाचन क्षेत्रों में शाम छह बजे तक 37.78 लाख पात्र मतदाताओं में से 66.49 फीसद मतदाताओं ने वोट डाला। मतदान का फीसद बढ़ने की संभावना है क्योंकि कुछ स्थानों पर लाइन में खड़े मतदाताओं को मतदान की इजाजत दी गई। मतदान के आंकड़ों के अनुसार होसकोट में सबसे अधिक 90.44 फीसद जबकि केआर पुरा में सबसे कम 43.25 फीसद मतदान दर्ज किया गया।

इसके अलावा महालक्ष्मी लेआउट में 50.92 फीसद, शिवाजीनगर में 44.60, यशवंतपुरा में 54.13, अथानी में 74.23, कागवाड में 76.27, गोकक में 73.08, येल्लापुर में 77.52, हिरेकरू में 78.63, रानीबेन्नूर में 73.53, विजयनगर में 64.95, चिक्कबल्लापुर में 86.40, के आर पेटे में 80 और हुनसुर में 80.71 फीसद मतदान हो चुका है। ये उपचुनाव 17 विधायकों को अयोग्य करार देने से रिक्त सीटों को भरने के लिये हो रहे हैं। इन विधायकों में कांग्रेस और जद(एस) के बागी नेता शामिल थे।

केनरा बैंक भारत सरकार का उपक्रम — **Canara Bank** A Government of India Undertaking

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस

क्र. सं.	ऋणी / गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	रजीस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस भेजने की तारीख: 26.11.2019
1.	**शाखाः राजेन्द्र नगर, बरेली** 1.मैसर्स सुपर भोग फ्रेश आटा प्रोपराइटर–**श्री मो. सलीम** औद्योगिक क्षेत्र परसा खेड़ा गाँव बांदिया बरेली –243502 उत्तर प्रदेश 2. **श्री मो. सलीम पुत्र श्री सिकंदर** मकान नं. 144, मोहनपुर बिथरी चेनपूर बरेली–243006 उत्तर प्रदेश	संपत्ति [टिन शेडेड मिनी आटा प्लांट भवन, (प्लॉट नंबर 192 और प्लॉट नंबर 193 का ½ हिस्सा, खसरा नंबर 869, 870 और 871 का हिस्सा)] स्थित बांदिया परगना, तहसील और जिला–बरेली (यू.पी.) **संपत्ति मोहम्मद सलीम पुत्र श्री सिकंदर** के नाम **क्षेत्रफल 250.83 वर्ग मीटर सीमायें:– उत्तर:** विक्रेता के प्लॉट नंबर 193 का शेष ½ भाग **दक्षिण:** सचिन साहू का प्लॉट नंबर 191 **पूर्व:** अंतराम का प्लॉट नंबर 185 और 184 **पश्चिम:** रास्ता 6.0 मीटर चौड़ा उसके बाद प्लाट नंबर 199 और 198	डिमांड नोटिस की तारीख: 25.11.2019 **नोटिस के अनुसार देय राशि** रु० 3005553.00 25.11.2019 को+ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 04.11.2019 से

सिक्योरिटाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एवं एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के नियम 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था, जो बैंक की शाखा में डाक विभाग/कोरियर द्वारा बिना वितरण के **(Undelivered)** वापस आ गया/ लेने से इन्कार किया। आपको सूचित किया जाता है कि आप वापस आये नोटिस को मूल रूप मे अधोहस्ताक्षर से प्राप्त कर सकते है

आप अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक **(secured creditor)** वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा।

दिनांक 05.12.2019 स्थानः बरेली प्राधिकृत अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक **Indian Overseas Bank** शाखाः कोशीपुर (2217)

क्षेत्रीय कार्यालय, 595 मलिक चौक, इंद्रा नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8(1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अनुच्छेद–13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस प्राप्ति की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। ऋणी/ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन **इण्डियन ओवरसीज बैंक, काशीपुर शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। "उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि
1.	**ऋणी:** मैसर्स श्री साई कॉस्मेटिक शोरूम, ऑफिस पताः मेन रोड, न्यू आवास विकास, काशीपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड- 244713, प्रोपराइटर श्रीमती रामवती पत्नी गीरधारी लाल निवासीः सी-432 वार्ड नं0 3 आवास विकास, काशीपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड-244713	बंधक सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति मकान नं0 675 सी 432 स्थित आवास विकास काशीपुर, सब- रजिस्ट्रार ऑफिस काशीपुर, बुक नं0 1 जिल्द नं0 4841 पेज नं0 311 से 324 पर क्र0सं0 7200 दिनांक 17.08.2016 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती रामवती पत्नी गीरधारी लाल। सीमायें:- पूर्व: शर्मा जी का मकान, पश्चिमः त्यागी जी का मकान, उत्तरः गुर्वत जी का मकान, दक्षिणः 5.50 मीटर चौडा रास्ता।	20.06.2019	**29.11.2019**	रु0 **14,83,038/-** + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे
2.	**ऋणी:** मैसर्स अनंत इंडस्ट्रीज प्रोपराइटर श्री गुरदयाल सिंह पुत्र करनैल सिंह गौतमी हाइट होटल के पिछे, केशवपुरम कॉलोनी बाजपुर रोड, काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड- 244713	बंधक आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 274/1 ग्राम- खरकपुर, देवीपुरा, काशीपुर, जिला- उधम सिंह नगर कुल भूमि का क्षेत्रफल 96.18 वर्गमीटर, बुक नं0 1, जिल्द नं0 1638 पेज नं0 161-164 क्र0सं0 7215 दिनांक 04.11.2008 पर पंजीकृत है। सम्पत्ति स्वामी श्री करनैल सिंह पुत्र श्री लठा सिंह। सीमायें:- शारदा देवी की सम्पत्ति, पश्चिमः विक्रेता की सम्पत्ति, उत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः 16 फीट चौडा कच्चा रास्ता।	20.06.2019	**29.11.2019**	रु0 **7,93,748/-** + आगे के ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांक: 05.12.2019 स्थान–देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

case of physical shareholders where PAN is not available, the Company will check the sequence of names of the joint holders and club together the equity shares held in such cases where the sequence of name of joint shareholders is identical. The shareholding of institutional investors like mutual funds, pension funds/trusts, insurance companies etc., with common PAN will not be clubbed together for determining the category and will be considered separately, where these Equity Shares are held for different schemes and have a different demat account nomenclature based on information prepared by the registrar and transfer agent (the **"Registrar"**) as per the shareholder records received from the depositories.

10.7. After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the offer by Eligible Shareholders in that category, and thereafter from Eligible Shareholders who have tendered over and above their entitlement in other category.

10.8. The participation of Eligible Shareholders in the Buy-back is voluntary. Eligible Shareholders can choose to participate and get cash in lieu of shares to be accepted under the Buy-back or they may choose not to participate. Eligible Shareholders may also tender a part of their entitlement. Eligible Shareholders also have the option of tendering additional shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation of some other Eligible Shareholders, if any. If the Buy-back entitlement for any shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of entitlement to tender Equity Shares in the Buy-back.

10.9. The maximum Equity Shares tender under the Buy-back by any Eligible Shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the Eligible Shareholder as on the Record Date. In case the Eligible Shareholder holds Equity Shares through multiple demat accounts, the tender through a demat account cannot exceed the number of Equity Shares held in that demat account.

10.10. The Equity Shares tendered as per the entitlement by the Eligible Shareholder as well as additional Equity Shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in the Buy-back Regulations. The settlement of the tenders under the Buy-back will be done using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified vide the SEBI Circulars, as may be amended from time to time and other relevant rules and regulations. Eligible Shareholders will receive a Letter of Offer along with a Tender/Offer Form indicating their respective entitlement for participating in the Buy-back.

10.11. Participation in the Buy-back by shareholders may trigger capital gains taxation in India and in their country of residence. The Buy-back transaction would also be subject to securities transaction tax in India. The shareholders are advised to consult their own legal, financial and tax advisors prior to participating in the Buy-back.

10.12. Detailed instructions for participation in the Buy-back (tender of Equity Shares in the Buy-back) as well as the relevant time table will be included in the Letter of Offer which will be sent in due course to all Eligible Shareholders who holds shares as on the Record Date.

10.13. The Buy-back from non-resident members, Overseas Corporate Bodies (OCBs) and Foreign Portfolio Investors (FPIs), and members of foreign nationality, if any, etc. shall be subject to such approvals as are required including approvals from the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules, regulations framed thereunder, if any. All such applicable approvals shall be taken by such non-residents, OCBs, FPIs and foreign shareholders.

10.14. Holders of GDRs will not be eligible to tender GDRs in the Buy-back. For such GDRs holders to participate in the Buy-back, they must become holders of Equity Shares as of the record date, so that these Equity Shares are tendered into the Buy-back, when the offering period for the Buy-back commences.

10.15. Equity Shares that are not accepted in the Buy-back will remain outstanding, and the rights and obligations of any holder of such Equity Shares will not be affected.

11. PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUY-BACK

11.1. The Buy-back is open to all Eligible Shareholders (including holders of GDRs who submit the desired number of GDRs to the Depositary for cancellation and withdraw the underlying Equity Shares from the GDR) and beneficial owners of the Company, holding Equity Shares in dematerialized form as on the Record Date.

11.2. The Buy-back shall be implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified vide the SEBI Circulars and following the procedure prescribed in the Companies Act and the Buy-back Regulations, and as may be determined by the Board and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

11.3. For Implementation of the Buy-back offer, the Company has appointed **M/s Master Capital Services Limited** as the registered broker **("Company Broker")** through whom the purchases and settlements on account of Buy-back offer would be made by the Company.

The Contact details of Company's Broker are as follows:
Name: **Master Capital Services Limited**
Address: SCO 22-23, Sector 9D, Madhya Marg, Chandigarh -160 009
Contact Person: Mr. Ajay Sharma
Tel No.: +91 172 4848000
Email Id: ajaysharma@mastertrust.co.in; Website: www.mastertrust.co.in
SEBI Registration No.: INZ000210539
CIN: U67190HR1994PLC076366

11.4. The Company will request both Stock Exchanges to provide a separate acquisition window **("Acquisition Window")** to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buy-back. BSE will be the designated stock exchange for the purpose of this Buy-back. The details of the Acquisition Window will be specified by the Stock Exchanges from time to time.

11.5. During the tendering period, the order for selling the Equity Shares will be placed in the Acquisition Window by Eligible Shareholders through their respective stock brokers **("Stock Brokers")** during normal trading hours of the secondary market.

11.6 **Procedure to be followed by eligible shareholders holding Equity Shares in dematerialized form :**

i. Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares in electronic form under the Buy-back would have to do so through their respective Stock Broker by indicating the details of Equity Shares they intend to tender under the Buy-back, to their Stock Broker.

ii. The Stock Broker would be required to place an order/bid on behalf of the eligible shareholders who wish to tender Equity Shares in the Buy-back using the Acquisition Window of the Stock Exchanges. Before placing the bid, the Eligible Shareholder would be required to transfer the tendered Equity Shares to the special account of the Indian Clearing Corporation Limited or the National Securities Clearing Corporation (the **"Clearing Corporation"**), by using the early pay in mechanism as prescribed by the Stock Exchanges or the Clearing Corporation prior to placing the bid by the Stock Broker.

iii. The details of the special account of the Clearing Corporation shall be informed in the issue opening circular that will be issued by the Stock Exchanges/Clearing Corporation.

iv. For custodian participant orders for demat Equity Shares, early pay-in is mandatory prior to confirmation of order/bid by custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours of the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

v. Upon placing the bid, the Stock Broker shall provide a Transaction Registration Slip **("TRS")** generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholders. The TRS will contain the details of the order submitted like bid ID number, application number, DP ID, client ID, number of Equity Shares tendered, etc.

11.7 **Procedure to be followed by equity shareholders holding Equity Shares in physical form :**

i. In accordance with the proviso to regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfers of securities of the Company shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. Accordingly, the Company will not be able to accept Equity Shares tendered in physical form in the Buy-back. Shareholders are advised to approach the concerned depository participant to convert their Equity Shares in demat form before tendering their Equity Shares in the Buy-back.

ii. Modification/cancellation of orders will be allowed during the tendering period of the Buy-back.

iii. The cumulative quantity of Equity Shares tendered under the Buy-back shall be made available on the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

12. METHOD OF SETTLEMENT

12.1 Upon finalization of the basis of acceptance as per Buy-back Regulations:

i. The settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market and as intimated by the Clearing Corporation from time to time.

ii. The Company will pay the consideration to the Company's Broker who will transfer the funds pertaining to the Buy-back to the Clearing Corporation's bank accounts as per the prescribed schedule. For Equity Shares accepted under the Buy-back, the Clearing Corporation will make direct funds payout to respective Eligible Shareholders. If Eligible Shareholders' bank account details are not available or if the funds transfer instruction is rejected by the Reserve Bank of India/Eligible Shareholders' Bank, due to any reason, then such funds will be transferred to the concerned Stock Broker's settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders.

iii. The Equity Shares bought back in demat form would be transferred directly to the demat account of the Company opened for the Buy-back **("Company Demat Account")** provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Company Demat Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of the Stock Exchanges.

iv. The Eligible Shareholders will have to ensure that they keep the depository participant **("DP")** account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares, due to rejection or due to non–acceptance of Equity Shares under the Buy-back.

v. Excess demat Equity Shares or unaccepted demat Equity Shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders will be returned to them by the Clearing Corporation.

vi. The Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buy-back.

vii. Eligible Shareholders who intend to participate in the Buy-back should consult their respective Stock Broker for any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) etc., that may be levied by the Stock Broker upon the selling shareholders for tendering Equity Shares in the Buy-back (secondary market transaction). The Buy-back consideration received by the Eligible Shareholders in respect of accepted Equity Shares could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) and the Company accepts no responsibility to bear or pay such additional cost, charges and expenses (including brokerage) incurred solely by the Eligible Shareholders.

12.2 The Equity Shares lying to the credit of the Company Demat Account will be extinguished in the manner and following the procedure prescribed in the Buy-back Regulations.

13. COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Company Secretary of the Company for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours i.e., from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Name: Mr. Lalit Sharma
Designation: Company Secretary
Indiabulls Ventures Limited
Indiabulls House, 448-451, Udyog Vihar, Phase V, Gurugram – 122016
Telephone : 0124- 6681199, 6681541,
Email: helpdesk@indiabulls.com, lalit.s6@indiabulls.com

14. INVESTOR SERVICE CENTRE & REGISTRAR TO THE BUY-BACK

In case of any queries, shareholders may also contact the Registrar to the Buy-back or the Investor Relations team of the Company, during office hours i.e., from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Registrar to the Buy-back:
Karvy Fintech Private Limited
Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032, India.
Tel: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551
Contact person: Mr. M. Murali Krishna
Email: ivl.buyback@karvy.com
Website: www.karisma.karvy.com
SEBI Registration Number: INR000000221

15. MANAGER TO THE BUY-BACK

D AND A FINANCIAL SERVICES (P) LIMITED
13, Community Centre, East of Kailash,
New Delhi – 110065.
Tel nos.: 011-26419079/ 26218274;
Fax no.: 011 - 26219491;
Email: investors@dnafinserv.com
Contact Person: Mr. Priyaranjan
SEBI Registration No. INM000011484
CIN: U74899DL1981PTC012709

16. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Indiabulls Ventures Limited.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Lalit Sharma	**Divyesh B. Shah**	**Pinank Jayant Shah**
(Company Secretary)	**(Whole-time Director & CEO)**	**(Executive Director)**
ACS: 24111	DIN: 00010933	DIN: 07859798

Place: Mumbai
Date: December 5, 2019

www.readwhere.com

कृषि संकट के लिए विपक्ष ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने देश के मौजूदा कृषि संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर किसानों की समस्याओं को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया। हालांकि, सत्तारूढ़ भाजपा के सांसदों ने कहा कि राजग सरकार ने सभी किसानों को उनके खाते में सीधे पैसे भेजकर और अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की ठोस पहल की है।

लोकसभा में 'विभिन्न कारणों से फसल को हुई क्षति और इसका किसानों पर प्रभाव' के बारे में नियम 193 के तहत चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद कोडिकुन्निल सुरेश ने आरोप लगाया कि कृषि संकट, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी इस सरकार का देश को तोहफा है। राजग सरकार पर किसानों की समस्याएं दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सदस्य ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर सवालों का सामना करने से डर रही है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2016 में 11,379 किसानों ने खुदकुशी की। सुरेश ने दावा किया कि इस सरकार ने संस्थाओं को नष्ट करने का प्रयास किया है।

भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि लोग जीडीपी की बातें करते हैं, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस पैमाने से तय नहीं हो सकती। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत है, क्योंकि यह श्रम आधारित है और यहां बचत की परंपरा है। उन्होंने दावा किया कि आज गांवों और कस्बों में जाकर देखा जा सकता है कि लोग बड़े पैमाने पर पैसे जमा करा रहे हैं।

उन्होंने मांग की कि किसान के 60 साल की उम्र पूरी करने पर उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि नुकसानदेह रसायनों के उपयोग पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल को मदद में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। बीजद के भतृहरि महताब ने सवाल किया कि क्या किसानों को राहत प्रदान करने में सिर्फ ऐसे ही किसानों को लिया जाना चाहिए जो खेत के मालिक हों?

नीतिगत दरों में हर बार नहीं की जा सकती कटौती : दास

मुंबई, 5 दिसंबर (भाषा)।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखे जाने के बाद गुरुवार को कहा कि इसमें हर बार मशीनी तौर पर कटौती नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नीतिगत दरों के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के समग्र प्रभाव को देखने की जरूरत है। उन्होंने मौद्रिक नीति समिति के उस विश्लेषण की ओर इशारा किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अभी नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश बनी हुई है।

दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में बेहतरी दिखी है, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी यह कितनी देर तक मौजूद रहने वाली है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए हालिया उपायों से धारणा को सुधारने में मदद मिलेगी और घरेलू मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि की चुनौतियों को दूर करने में राजकोषीय और मौद्रिक नीति में अब तक अच्छा तालमेल रहा है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे के तय लक्ष्य से आगे निकलने को लेकर केंद्रीय बैंक चिंतित नहीं है।

रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा चक्रीय सुस्ती का मुकाबला करने के लिए किए जा रहे उपायों के प्रभाव में अधिक स्पष्टता से देखना चाहेगा। उन्होंने कहा कि दूसरी और तीसरी तिमाही में आम तौर पर राजकोषीय घाटा ऊपर चढ़ता है लेकिन चौथी तिमाही में राजस्व का संग्रह बढ़ने से यह नीचे आ जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अंतिम आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अक्तूबर माह में ही राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 102 फीसद तक पहुंच गया है। दास ने कहा कि अल्पावधि में खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी देखी गई है, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही तक इसके चार फीसद के लक्ष्य के दायरे में आ जाने का अनुमान है। हालांकि, उन्होंने दूरसंचार कंपनियों द्वारा 50 फीसद तक शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि इसका खुदरा मुद्रास्फीति पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।

सूचकांक टूटा

मुंबई, 5 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पूंजी बाजार की उम्मीदों को झटका देते हुए मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक के इस कदम के बाद गुरुवार को शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बाद गिरावट रही।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 70.70 अंक या 0.17 फीसद के नुकसान से 40,779.59 अंक पर बंद हुआ। केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रखने से कारोबार के दौरान सूचकांक ऊपर-नीचे होता रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी इस दौरान 24.80 अंक या 0.21 फीसद के नुकसान से 12,018.40 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में भारती एयरटेल, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स के शेयरों में 2.96 फीसद तक का नुकसान रहा।

ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील वाहन, बैंक और रीयल एस्टेट कंपनियों के शेयर स्थिर से लेकर नकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। मूल्य के हिसाब से सूचकांक के नुकसान में सबसे अधिक हिस्सा बैंकिंग शेयरों का रहा। वहीं, दूसरी ओर टीसीएस, आईटीसी, एलएंडटी, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी के शेयर 2.04 फीसद तक के लाभ में रहे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की अर्थशास्त्री दीप्ति मेरी मैथ्यू ने कहा कि रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.15 फीसद पर कायम रखकर एक अप्रत्याशित रुख अपनाया। बाजार रेपो दर में चौथाई फीसद की कटौती की उम्मीद कर रहा था। रिजर्व बैंक का लक्ष्य मुद्रास्फीति को लक्षित दायरे में रखने का है। उन्होंने कहा कि बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के समक्ष दरों में कटौती को लेकर चुनौती है।

रेपो दर नहीं घटने पर उद्योग जगत निराश

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (भाषा)।

उद्योग जगत, निर्यातकों और बैंकिंग क्षेत्र ने नीतिगत दर में जारी कटौती का सिलसिला रुकने पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह उम्मीदों के प्रतिकूल है।

उद्योग संगठन फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने गुरुवार की घोषणा में रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। यह अर्थव्यवस्था में सुस्ती को देखते हुए फिक्की के अनुमान के प्रतिकूल है। हमें इस बात की चिंता है कि इससे पहले नीतिगत दर में हुई कटौतियों का पर्याप्त लाभ लोगों को नहीं दिया गया। हम इस बार रेपो दर में कटौती नहीं किए जाने से निराश हैं। एसोचैम के अध्यक्ष बीके गोयनका ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा कटौती को फिलहाल रोकने और रुख उदार बनाए रखने के निर्णय को समझा जा सकता है।

एमटेक ऑटो लिमिटेड

सीआईएन : L27230HR1988PLC030333
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 16, इण्डस्ट्रियल एरिया, रोजका एमईओ, पो.ऑ. सोहना, गुरुग्राम-122003, हरियाणा
ई-मेल: amtekautolimited@gmail.com, वेबसाइट: www.amtek.com; दूरभाष : +91-1142344444, +91-124-2362456

शुद्धिपत्र
कम्पनी के इक्विटी शेयरों के निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अन्तर हेतु शेयरधारकों को सूचना

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) तथा उसके तहत निर्मित नियमों की धारा के अनुसार एमटेक ऑटो लिमिटेड हेतु फाइनेंशियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता, नई दिल्ली संस्करण में 04.12.2019 को प्रकाशित घोषणा के सन्दर्भ में निम्नलिखित शुद्धिपत्र निर्गत किया जा रहा है :
सूचना की पंक्ति संख्या 9 जिसमें कहा गया है कि सम्बद्ध शेयरधारकों से सम्पर्क करने की अन्तिम तिथि, उसे "30.06.2019" के स्थान पर "06.03.2020" पढ़ा जाए।

कृते एमटेक ऑटो लिमिटेड
(कॉर्पोरेट ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के तहत एक कम्पनी)
राजीव राज कुमार
(कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी)
श्री दिनकर टी. वेंकटसुब्रह्मण्यम के अनुमोदन से निर्गत
(समाधान प्रोफेशनल)
आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011
ई-मेल: Rajeev.raj@amtekauto.com

A t k 12X1 RKD (10)

कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(पूर्व की एमटेक इण्डिया लिमिटेड)
सीआईएन : L65921HR1983PLC033789
पंजीकृत कार्यालय : ग्राम नरसिंहपुर, मोहम्मदपुर, ओल्ड मानेसर रोड गुरुग्राम, हरियाणा-123106
दूरभाष: +91-11-42344444, +91-11-42344400 ई-मेल : info@amtek.com, वेबसाइट : www.amtek.com

शुद्धिपत्र
कम्पनी के इक्विटी शेयरों के निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अन्तर हेतु शेयरधारकों को सूचना

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) तथा उसके तहत निर्मित नियमों की धारा के अनुसार एमटेक ऑटो लिमिटेड हेतु फाइनेंशियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता, नई दिल्ली संस्करण में 04.12.2019 को प्रकाशित घोषणा के सन्दर्भ में निम्नलिखित शुद्धिपत्र निर्गत किया जा रहा है :
सूचना की पंक्ति संख्या 9 जिसमें कहा गया है कि सम्बद्ध शेयरधारकों से सम्पर्क करने की अन्तिम तिथि, उसे "30.06.2019" के स्थान पर "06.03.2020" पढ़ा जाए।

कृते कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(कॉर्पोरेट ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के तहत एक कम्पनी)
ज्योति शर्मा
कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी
श्री दिनकर टी. वेंकटसुब्रह्मण्यम के अनुमोदन से निर्गत
(समाधान प्रोफेशनल)
आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011
ई-मेल: jyoti.sharma@castextechnologies.com

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Devnoor Singh Jmic Ludhiana
CNR NO. PBLD03-067575-2018
PESHI:07-01-2020
Publication Notice For Proclamation Under Section 82 Cr.pc
DALJEET KAUR
V/S
M/S ANANT NIDHI CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

Notice to: 1. M/s anant nidhi credit co-operative society ltd. Through its director chief promoter nitish srivastava first floor pushpa bajaj building, opposite alambagh bus stand, alambagh, luckhnow, u.p
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 07-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be herd and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 16-11-2019 . For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Devnoor Singh Jmic Ludhiana
Publication Notice For Proclamation Under Section 82 CR.PC
CNR NO: PBLD03-078839-2018
PESHI: 07-01-2020
PAWAN KUMAR
V/S
KAUSHAL BAJAJ
Complaint R/w sec-138 of N.I ACT

NOTICE TO: Kaushal Bajaj, Partner/ Prop Concernd Person, Of M/s Kaushal Hardware. 2m/s Kaushal Hardware Througt Its Partner / Prop. Concerned Person Sh. Kayshal Bajaj Both C/o Netaji Subhash Road, Ground Floor, Kolkatta.
Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before the court on 07-01-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be herd and determined as per law, in your absence.
Given under my hand and the seal of the court, this 16-11-2019 . For details login to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana
JMIC LUDHIANA

प्रतिशत दर ई-निविदा आमंत्रण
प्रेस सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालक अभियंता (सी), डाक सिविल प्रभाग, दिल्ली द्वारा निम्न कार्यों के लिये ऑन लाइन प्रतिशत दर (सीपीडब्ल्यूडी-7) मिश्रित ई-निविदाएं आमंत्रित हैं:
1- **एन.आई.टी. सं.:** एनआईटी/ईईपीसीएनडी/2019-20/98
कार्य का नाम : कृष्णा नगर प्रधान डाकघर भवन का मरम्मत तथा रखरखाव।
अनुमानित लागत : रु. 25,74,712/-
धरोहर राशि : 51,494/-
पूर्णता अवधि : 3 (तीन) माह
बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 16.12.2019 के 15.00 बजे तक
बोली प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाइट **www.dopcivil.euniwizarde.com** से प्राप्त की जा सकती है।

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
कॉनकोर्ड एग्रो स्प्रेर्स प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : सी 4/1 वसंत विहार नई दिल्ली -110057, में स्थित है के मामले में
......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से पंजाब राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 08 जुलाई, 2019 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) मे शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।
सी 4/1 वसंत विहार नई दिल्ली -110057,

के लिए और उनकी ओर से
कॉनकोर्ड एग्रो स्प्रेर्स प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
पवनजीत सिंह
निदेशक
तिथि : 05.12.2019
स्थान : नई दिल्ली
डीआईएन : 01099215

प्रपत्र सं. आइएनसी-26

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में,
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली इंडिया
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
लाइन एंड डोट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : सी-58, दूसरा फ्लोर मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली डीएल 110015 इन में स्थित है
.......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 24 अक्तूबर, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दुवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
लाइन एंड डोट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
प्रभात महेश्वरी
(निदेशक)
डीआईएन : 00338036
तिथि : 05/12/2019
स्थान : दिल्ली
पता : एच, एन-ए-49-वाई, अशोक नगर, नियर सिटी नर्सिंग होम, गाजियाबाद-201001

U.P. STATE BRIDGE CORPORATION LTD.

Office of the Manager(Equipment), Mechanical Unit-I,
Aishbagh, Lucknow - 226 004, email : mu1lucknow@gmail.com
No. 710/11M/MU-1/19-20 Dt. 29.11.2019

Short Term Tender Notice

Sealed Tenders are hereby invited from the firm registered with GST, and having experience in the Supply of Structural Steel of Different sections so as to reach this office Latest by 1.00 P.m. on 13.12.2019 for the Supply of Structural Steel of Different Sections. the tenders shall be opened on the 13.12.2019 At 3.00 P.M. in Presence of tenderer's present at time of opening.
Ashok Tewari, Manager (Equipment)

फॉर्म-ए
सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 6 के अधीन)
मै. एडी विक्टोरियम वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारो के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	मै. एडी विक्टोरियम वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	29.05.2012
3.	प्राधिकारी जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज- नई दिल्ली कंपनीज एक्ट, 1956 के अधीन
4.	कॉर्पोरेट ऋणी का कॉर्पोरेट पहचान नंबर/सीमित दायित्व पहचान	CIN: U74900DL2012PTC236633
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालयः एसोसिएशन, 39, नेहरू प्लेस, दिल्ली-110019 (भारत)।
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिशोधन की शुरुआती तिथि	21 नवंबर, 2019 (अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा प्राप्ति की तिथि 05.12.2019)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	19.05.2020 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवाला पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	श्री अनिल तायल, रजि. नं. IBBI/IPA-001/IP-P01118/2018-19/11818
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	पता: 201, सागर प्लाजा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 इमेल: caaniltayal@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता, यदि क्रम सं. 9 से अलग है	पता: 201, सागर प्लाजा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली -110092 इमेल: cirp.advictoriam@gmail.com
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	19 दिसंबर, 2019
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन ऋणी की श्रेणी, यदि कोई है	लागू नहीं
13.	श्रेणी में ऋणी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में चिह्नित दिवाला पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित फार्म और	weblink: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads
	(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण पर उपलब्ध है:	लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली ने दिनांक 21 नवंबर, 2019 को **मै. एडी विक्टोरियम वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड** की कारपोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।
मै. एडी विक्टोरियम वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदार को केवल प्रविष्टि नंबर 10 के अंतर्गत वर्णित पत्राचार पते पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 19 दिसंबर, 2019 को या उस से पूर्व अपने दावों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।
वित्तीय लेनदारों को केवल इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदारों को अपने दावे व्यक्ति, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्रविष्टि नंबर 12 के अंतर्गत सूचीबद्ध अनुसार श्रेणी से संबंधित वित्तीय ऋणधारकों को फार्म सीए में श्रेणी घरेलू खरीददार (रियल एस्टेट इंवेस्टर्स) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 के अंतर्गत सूचीबद्ध 3 दिवालियापन पेशेवरों से प्राधिकृत प्रतिनिधि की वरीयता को दर्शाना होगा।
गलत या भ्रामक प्रमाणों को प्रस्तुत करना जुर्माने का हकदार होगा।

ह./-
अनिल तायल,
IBBI/IPA-001/IP-P01118/2018-2019/11818
अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर
मै. एडी विक्टोरियम वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे
दिनांक: 06.12.2019
स्थान: नई दिल्ली

CFM — सीएफएम एसेट रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.

पंजी. कार्या.: ए/3, 5वां तल, सफल प्रॉफिटॉयर प्रहलाद नगर गार्डन के निकट, अहमदाबाद-363610

नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारकों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी, उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली (उक्त नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत तथा इस संदर्भ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री द्वारा 4.12.217 को रु. 36,81,035.00 (रुपये छत्तीस लाख इक्यासी हजार पैंतीस मात्र) तथा 5.12.2017 से 12.25% प्रति वर्ष की दर से आगे के ब्याज की प्रतिभूति क्रेडीटर की बकाया राशि की वसूली का प्रस्ताव करते हैं। यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की खरीद के लिये जनता से मुहरबंद निविदा आमंत्रित हैः
ईएमडी तथा बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 16 जन. 2020 के 11.00 बजे पूर्वा. तक।
सार्वजनिक नीलामी की तिथिः समय एवं स्थानः 16 जनवरी, 2020 को 11.30 बजे पूर्वा.में सीएफएम एसेट रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., 101-104, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066 में।

ऋणधारकों का विवरण	1. सीबीटी इंडिया एलएलपी 2. श्री अरूण पारीक 3. सुश्री रजनी पारीक	
प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	श्री अरूण पारीक के स्वामित्व में व्यावसायिक सम्पत्ति कार्यालय नं. 3, दूसरा तल, शालीमार कॉम्प्लैक्स, चर्च रोड, एमआई रोड, जयपुर 302001 (राजस्थान) माप क्षेत्रफल 461.9 वर्ग फीट	
आरक्षित मूल्य	रु. 46,60,000.00/- (रुपये छियालिस लाख साठ हजार मात्र)	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी): रु. 4,66,000.00 (रुपये चार लाख छियासठ हजार मात्र)

नियम एवं शर्तें:
1. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा बोली प्रपत्र से शामिल निविदा दस्तावेज इच्छुक बोलीदाता सीएफएम एसेट रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., 101-104, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं। आगे पूछताछ के लिये इच्छुक बोलीदाता 14 दिसम्बर, 2019 को या उससे पूर्व 98182-03169 पर अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
2. धरोहर राशि भुगतान आरक्षित मूल्य का 10% (दस प्रतिशत) होगा तथा उसका भुगतान इच्छुक बोलीदाता द्वारा सीएफएम एआरसी ट्रस्ट-III, इंडसइंड बैंक, खाता नं. 201002542424, आईएफएससी कोड INBB0000001, शाखा पताः इंडसइंड बैंक, ओपरा हाउस, मुम्बई में क्रेडिट के लिये डीडी/ आरटीजीएस/ एनईएफटी द्वारा निविदा दस्तावेज में यथा वांछित तथा दर्शाई गई विधिवत समर्थित दस्तावेजों के साथ किया जायेगा।
3. आरक्षित मूल्य से नीचे/ बिना ईएमडी/ क्वालिफायड तथा शर्तपूर्ण प्रस्ताव अयोग्य होगा।
4. इच्छुक पार्टी प्राधिकृत अधिकारी श्री सुभाष सखूजा से 9818203169 पर सम्पर्क कर 9 जनवरी, 2020 को 10.00 पूर्वा. से 2.00 बजे अप. तक सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
5. प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी के पास प्रतिभूत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा है तथा उन्हें/ प्रतिभूत क्रेडीटर को किसी अधिभारों की जानकारी नहीं है। लेकिन, इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, प्रतिभूत परिसम्पत्ति के टाइटल तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को प्रभावित करने वाले दावे/ अधिकारों/ देयताओं के विषय में अपनी स्वतंत्र गणना कर लें। यह सार्वजनिक नीलामी विज्ञापन प्रतिभूत क्रेडीटर की किसी प्रतिबद्धता अथवा प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है। प्राधिकृत अधिकारी एवं/ अथवा प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी रूप में किसी भी अधिभारों, चार्ज, सरकारी बकाये, उक्त प्रतिभूति परिसम्पत्ति पर यदि कोई हो, थर्ड पार्टी के दावे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे तथा वह संबंधित क्रेता का एकाकी उत्तरदायित्व होगा।
6. प्राप्त किये गये प्रस्तावों को सीएफएफ एसेट रिकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. के कार्यालय 101-104, मोहता बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में 16 जनवरी, 2020 को 11.30 पूर्वा. में अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोलकर विचार किया जायेगा जहां प्रस्तावक उपस्थित हो सकते हैं तथा यदि वे ऐसा चाहे एक से अधिक प्रस्तावक होने की उपस्थिति में आपस में इंटर सेविडिंग कर सकते हैं।
7. जमा की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा बोलीदाता रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के गुणकों में अपने प्रस्तावों में सुधार कर सकते हैं।
8. सफल बोलीदाता को क्लॉज (2) में वर्णित भुगतान की पद्धति में नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद 25% क्रय मूल्य (पूर्व प्रदत्त ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा। शेष क्रय मूल्य का भुगतान बिक्री की स्वीकृति/ पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में स्वीकृत विस्तारित अवधि में किया जायेगा।
9. उक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री स्वतः रद्द हो जायेगी तथा धरोहर राशि के साथ सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी। बोलीदाता का उक्त सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं होगा तथा सीएफएम एसेट रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. आगे को ई सूचना के बिना सम्पत्ति की फिर से बिक्री करेगा।
10. असफल बोलीदाता की ईएमडी नीलामी बिक्री कार्रवाई की समाप्ति पर वापस लौटा दी जायेगी। सफल/ उच्चतम बोलीदाता की ईएमडी राशि उनकी बोली मूल्य में समायोजित की जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
11. प्राधिकृत अधिकारी को ऊपर निर्दिष्ट बिक्री के संदर्भ में सभी अधिकारी प्राप्त है तथा प्रतिभूत क्रेडीटर की सलाह ली गई उनका निर्णय हर समय बाध्यकारी होगी। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हैं। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा सार्वजनिक नीलामी/ बिक्री को स्थगित/ निलंबित/ रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। नीलामी बिक्री सफल होने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी को उसके बाद किसी भी समय निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री करने का अधिकार है।
12. इस सूचना तथा निविदा दस्तावेज के बीच किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में निविदा दस्तावेज में वर्णित नियम एवं शर्तें लागू रहेंगे।

सरफैसी अधिनियम के प्रावधानों/ नियमों के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक सूचना

ऋणधारक/ मार्टगैजर/ गारन्टर इसे 30 दिनों की बिक्री सूचना मानें/ एतद्द्वारा ऋणधारक/ मार्टगैजर/ गारन्टरों को इस बिक्री सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर देयताओं को निष्पादित करने का अंतिम एवं निर्णायक अवसर दिया जाता है जिसमें विफल रहने पर उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री कर दी जायेगी।

प्राधिकृत अधिकारी
सीएफएम एसेट्स रीकन्स्ट्रकेशन प्रा.लि.
(सीएफएम ट्रस्ट-III, इंडसइंड बैंक की ओर से ट्रस्टी के रूप में)
तिथि: 4.12.2019
स्थान: जयपुर

इंडियन बैंक — Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

सवा शाखा, 3रा तल, जी-41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, फोन: 011-23324230, 23324231

अभिप्रेत बिक्री की सूचना

की ओर सं.: श्री साकेत खंडेलवाल, मुख्य प्रबंधक/ प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक, सेवा शाखा जी-41, कनॉट सर्कस, 3रा तल, मद्रास होटल के सामने, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

सेवा में, 1) मै. स्टारटेक पॉलीमर इंडस्ट्रीज, प्रॉप्राईटर श्री जगवीर चौधरी, 1/13/6, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, फरीदाबाद-121004,
2) श्री जगवीर चौधरी, मै. स्टारटेक पॉलीमार इंडस्ट्रीज के प्रॉप्राईटर, फ्लैट नं.- एसजी 204, कपिल विहार, सेक्टर 21 सी, फरीदाबाद
3) मार्टगैजर का पता: श्रीमती शीतल चौधरी, फ्लैट नं.- एसजी 204, कपिल विहार, सेक्टर 21 सी, फरीदाबाद

महोदय/महोदया,
विषयः इंडिया बैंक, एसएमई शाखा में 40,00,000/- की लिमिट के साथ आपकी ओसीसी खाता सं. 6348918772 श्री जगवीर चौधरी, प्रॉप्राईटर, मै. स्टारटेक पॉलीमर इंडस्ट्रीज ने इंडियन बैंक, एसएमई शाखा से ऋण सुविधाएं प्राप्त की है जिसका पुनर्भुगतान अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति यहां के बाद "सम्पत्ति" के रूप में वर्णित सहित अन्य सम्पत्ति की गिरवी/हाइपोथेकेशन द्वारा प्रतिभूत है।
श्री जगबीर चौधरी बैंक के बकाए का भुगतान करने में विफल रहे, अतएव प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (संक्षेप में "अधिनियम" के रूप में विदित) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 13.2.2019 जारी कर श्री जगवीर चौधरी, मै. स्टारटेक पॉलीमर के प्रॉप्राईटर तथा बैंक को भुगतान के लिए उत्तरदायी अन्यों को उस पर आगे के ब्याज, लागतों तथा अन्य चार्जेज एवं खर्चे के साथ 13.2.2019 को रु. 42,40,133/- (रुपए बयालिस लाख चालिस हजार एक सौ तैंतीस मात्र) की बकाया राशि वापस लौटाने का निर्देश दियाथा। सूचना तिथि 13.2.2019 के बावजूद श्री जगवीर चौधरी, मै. स्टारटेक पॉलीमर इंडस्ट्रीज के प्रॉप्राईटर भुगतान करने में विफल रहे।
चूंकि श्री जगवीर चौधरी, मै. स्टारटके पॉलीमर के प्राप्राइटर तथा गारन्टर्स मांग सूचना के बावजूद भुगतान करने में विफल रहे, अतः सभी सांविधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी ने 31.5.2019 को अधिनियम के अंतर्गत वर्णित अनुसूची की सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
अधिनियम की धारा (4) के अनुसार प्रतिभूत क्रेडिटर कब्जे में ली गई परिसम्पत्तियों की बिक्री करने तथ शेष बकाया राशि की वसूली करने के लिए अधिकृत है। उसके अनुसार अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत अधिकारी अधोलिखित पद्धति में अनुसूची कमें वर्णित प्रतिभूतियों की बिक्री करने के इच्छुक हैं। यह बिक्री ई-नीलामी पद्धति अपनाकर सार्वजनिक निविदा/नीलामी द्वारा आयोजित किये जाने के लिये प्रस्तावित है
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्मित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2) तथा 8 (6) के अनुसार 30 दिनों की अभिलक्षित बिक्री सूचना वांछनीय है अतः हम इस सूचना को जारी कर रहे हैं।
3.12.2019 को बकाया राशि रु. 47,04,556 के साथ उस पर आगे का ब्याज, लागत, अन्य चार्जेज तथा खर्चों की राशि है।
कृपया ध्यान रहे कि यह 30 दिनों की सूचना है तथा 30 दिनों के बाद अधोहस्ताक्षरी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किसी भी समय अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी।
** बिक्री के लिए निर्धारित तिथि 10.1.2020 है जो ई नीलामी पद्धति में होगी।
इच्छुक क्रेता/बोलीदाता अपने स्वयं के खर्चे पर ईसी की तिथि तक 3.1.2020 तक 10 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति तथा संबधित दस्तावेजों का निरीक्षण/जांच कर सकते हैं।
प्रतिभूति परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि (ईएमडी) अनुसूची में वर्णित है।
नियमों एवं शर्तों के साथ निविदा/ बोली प्रपत्र वेबसाईट (https://www.bankeauctions.com) से ऑन लाइन सिस्टम/ साफ्टवेअर में दिए गए प्रावधान का उपयोग कर प्राप्त की जा सकती है तथा उसका प्रमाण (सील बिड ऑप्शन) का उपयोग कर इस तरह से किया जाए ताकि कार्य ऑन लाइन की जा सके। निविदा प्रपत्र तथा अन्य नियम एवं शर्तें वेबसाईट पर 27.12.2019 से 9.1.2020 तक 10.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे तक उपलब्ध होगी। निर्दिष्ट प्रक्रिया में सभी आवश्यक नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करते हुए निविदा बोली जमा करने की अंतिम तिथि 9.1.2020 के 4.00 बजे अप. है।
निविदा के साथ बिना किसी टाइम बैग के डीडी/ बीपीओ/ आरटीजीएस/ एनईएफटी/ लेखा अंतरण/ अथवा धन अंतरण के अन्य स्वीकृत प्रक्रिया संलग्न की जायेगी जिसके बिना निविदा अयोग्य मानी जायेगी।
ऑन लाइन धन अंतरण के लिये नोडल बैंक खाता सं./ आईएफएससी कोड आदि इस प्रकार हैः

क्रम सं.	नोडल बैंक खाता सं.	आईएफएससी कोड
1.	इंडियन बैंक खाता नं. 6836770578	IDIB000S197

यह बिक्री उच्चतम प्रस्ताव/ निविदा/ बोली करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जायेगी जो प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि की अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना बोली/ निविदा को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार है। एक बार नीलामी/ ई-नीलामी पूरा हो जाने तथा उच्चतम प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को बिक्री प्रदान कर देने के बाद सफल बोलीदाता को जैसा भी मामला हो व्यक्तिगत/ ई-मेल द्वारा सूचना दी जायेगी जिन्हें (ईएमडी घटाकर) तत्काल डीडी/ बीपीओ/ आरटीजीएस/ एनईएफटी/ लेखा अंतरण एवं/ अथवा धन अंतरण के किसी भी अन्य स्वीकार्य पद्धति में 25% बोली राशि का भुगतान करना होगा अन्यथा पहले से प्रेषित ईएमडी जब्त कर ली जायेगी।
शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अथवा लिखित में विस्तारित समय में किया जायेगा। यदि शेष राशि निर्धारित/ स्वीकृत समय में शेष राशि जमा नहीं की जाती है तो पहले से प्रेषित 25% राशि जब्त कर ली जायेगी।
यह बिक्री प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
यह बिक्री 'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है" आधार पर की जायेगी तथा अधिभारों, सांविधिक देयताओं आदि के लिए बैंक द्वारा कोई प्रतिनिधित्व तथा वारन्टीज नहीं दी जाती है।
** यदि किसी भी तकनीकी बाधाओं के कारण ई-नीलामी विफल होती है तो वह 7 दिनों की पूर्व सूचना जारी कर फिर से निर्धारित की जायेगी।
**** यह सूचना प्रतिभूत क्रेडीटर को उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

अनुसूची
बिक्री के लिये अभिप्रेषित परिसम्पत्तियों का विशिष्ट विवरण इस प्रकार हैः

विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)	ईएमडी (रु. लाख)	बिक्री की तिथि, समय एवं स्थान	सम्पत्ति पर देय बैंक की जानकारी में अधिभारों का विवरण
सम्पत्ति	50.0 लाख	5.00 लाख	10.1.2020, 12 बजे- 1.00 बजे अप. ई-नीलामी	शून्य
गिरवी परिसम्पत्तियां (चौहद्दी के साथ परिसम्पत्तियों का विवरण)	सम्पत्ति का विवरणः फ्लैट नं. एसजी-204, भू तल, एस-ब्लॉक, कपिल विहार, सेक्टर-21 सी, फरीदाबाद-121003, हरियाणा तथा चौहद्दीः उत्तर पूर्वः रोड, दक्षिण पूर्वः खुला, दक्षिण पश्चिमः खुला, उत्तर पश्चिमः खुला			
हाईपोथेकेटेड परिसम्पत्तियों का विवरण				
** ई नीलामी पद्धति में बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	9.1.2020 के 4.00 बजे अप. तक			

** बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बोली प्रपत्र में शामिल नीलामी बोली प्रपत्र तथा अन्य नियमों एवं शर्तों के लिये हमारे ई नीलामी सेवा प्रदाता मै. सी-1 इंडिया प्रा.लि. की वेबसाईट (https://www.bankeauctions.com) देखें। सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिये हेल्पलाईन नंबर है 910124-4302020/ 21/ 22/ 23/ 24, support@bankeauctions.com

स्थान: दिल्ली, तिथि: 4.12.2019
साकेत खण्डेलवाल, प्राधिकृत अधिकारी (इंडियन बैंक)

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण- I, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली- 110001

आर.सी. नं. 248/17

पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम सिमरन टॉयज एवं एन्य

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 2.11.2019 के अनुसार 2.1.2020 को सार्वजनिक ई-नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी। यह नीलामी बिक्री वेबसाईट **https://bankeauctions.com** पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
नीलामी की तिथि एवं समय: 2.1.2019 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. तक (यदि जरूरी हो, 4.00 बजे अप. के बाद 5 मिनट की असीमित विस्तार के साथ।

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
डी-112, डीडीए जनता फ्लैट, तीसरा तल, पॉकेट-11, जसोला, नई दिल्ली-110025	रु. 10.00 लाख मात्र	रु. 1.00 लाख मात्र

नियम एवं शर्तें:
1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टल **https://bankeauctions.com** पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
2. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली, खाता 'आर.सी. नं. 248/17" के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अथवा आईएफएससी कोड PSIB0021058, बैंक खाता नं. 10581100000057, पंजाब एंड सिंध बैंक, डी-74, भू तल, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली के पक्ष में आरटीजीएस के द्वारा किया जाएगा जिसके साथ पहचान के स्व-सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति अधिकतम 30.12.2019 के 5.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर आदि से युक्त ईएमडी वाले लिफाफे के ऊपर "आरसी नं. 248/17" शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://banke.auctions.com देखें एवं अथवा सुश्री साधना यादव, शाखा प्रबंधक, मालवीय नगर, ई-मेल आईडीः d1058@psb.co.in, मोबा.नं. 9953951502 से सम्पर्क करें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि. गल्फ पेट्रोकेमिकल बिल्डिंग नं. 301, 1ला तल, उद्योग विहार, फेज-II, गुरुग्राम (हरियाणा), सम्पर्क व्यक्ति श्री हरजिन्दर सिंह (मो.नं. 9813887931, ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com) से प्राप्त किया जा सकता है।
7. संभावित बोलीदाता मै. सी 1 इंडिया प्रा.लि. गल्फ पेट्रोकेमिकल बिल्डिंग नं. 301, 1ला तल, उद्योग विहार, फेज-II, गुरुग्राम (हरियाणा), सम्पर्क व्यक्ति श्री हरजिन्दर सिंह (मो.नं. 9813887931, ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com) से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑन-लाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. जिन इच्छुक बोलीदाताओं ने 30.12.2019 के 5.00 बजे अप. तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी बोली जमा किये हों वे ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य होंगे जो 2.1.2020 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे अप. तक ऑन लाइन आयोजित की जायेगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो नीलामी का अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जायेगा।
10. बोलीदाता रु. 25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
11. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के तत्काल बाद धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली खाता आरसी नं. "248/17" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह 3 दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
12. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रु. 1000/- तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में देय पाउन्डेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली "आर.सी.नं. 248/17" के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।
13. असफल बोलीदाता रिकवरी अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय से ई-नीलामी के बिक्री कार्रवाई की पूर्णता के तत्काल बाद प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
14. रिकवरी अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा निरस्त करने तथा नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है।

बिक्री उद्घोषणा की सर्विस के शपथ पत्र को दाखिल करने तथा अग्रिम कार्रवाई के लिये मामले को 9.1.2020 को सूचीबद्ध की जाये।

(संजू स्नेही)
सेक्शन अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली

इलाहाबाद बैंक — ALLAHABAD BANK
A tradition of trust
www.allahabadbank.in
मंडलीय कार्यालय, लखनऊ, नई बिल्डिंग, द्वितीय तल, हजरतगंज, लखनऊ, उ.प्र.-226001

शुद्धि-पत्र
इस समाचार पत्र में **दिनांक 05.12.2019** को इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रकाशित मांग सूचना का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें **शाखा विकास नगर, बाराबंकी** के स्थान पर **शाखा विकास भवन, बाराबंकी** पढ़ा जाये।
प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक

एम एस टी सी लिमिटेड — MSTC LIMITED
CIN: L27320WB1964GOI026211

कोक की ई-नीलामी
जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल स्थित अपने संयंत्र कार्यस्थल में पड़े हुए 3000 मे.ट. (तकरीबन) कोक के लिए दिनांक 19.12.2019 को ई-नीलामी (सं. एमएसटीसी/ईआरओ/जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड/5/लाल बाजार पुलिस स्टेशन/19-20/28337) आयोजित करेगा। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **www.mstcecommerce.com** या **www.mstcindia.co.in** ई-मेल : **ssatyarthi@mstcindia.co.in** एवं **arunkumar@mstcindia.co.in** पर लॉग ऑन करें मोबाइल : **9903207001 एवं 9830924222**। ई-नीलामी से संबंधित संशोधनी/शुद्धिपत्र/संयोजनी/समय का विस्तार/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, को सिर्फ एमएसटीसी की वेबसाइट पर डाला जाएगा। बोलीदाता खुद को अद्यतन रखने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखें।

CSL Finance Limited

Regd. Office: 410-412, 18/12, 4th Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
Corp. Office: 716-717, 7th Floor, Tower- B, World Trade Tower, Sector-16, Noida, U.P.-201301
(CIN: L74899DL1992PLC051462; Tel: 0120-4290650; Email: info@cslfinance.in; Web: www.cslfinance.in)

NOTICE
Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 13th December, 2019, at the corporate office of the company i.e. 716-717, 7th Floor, Tower B, World Trade Tower, Sector 16, Noida, U.P. - 201301, at 4.00 p.m., inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30.09.2019 prepared in accordance with IND-AS Rules.
The said notice is also available on the website of the Company i.e. www.cslfinance.in and on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

By order of the Board
Sdl-
(Rohit Gupta)
Managing Director
Place : New Delhi
Date : 05.12.2019

एक्सपीरियन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम
फोन नंबर +911246281630

सार्वजनिक सूचना
जबकि, **एक्सपीरियन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड** ("कम्पनी") निदेशक, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा मंजूर किए गए लाइसेन्स नंबर 57/2013 दिनांकित 11-07-2013 तथा लाइसेन्स नंबर 114/2019 दिनांकित 12-09-2019 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम धरमपुर की राजस्व सम्पदा में 116.5125 एकड़ परिमाप के क्षेत्रफल में एक रिहायशी प्लॉटेड कालोनी का विकास आरंभ करने की प्रक्रिया में है।
और जबकि, उक्त कालोनी के लिए लाइसेन्स की मंजूरी के समय पर पहले अनुमोदित किया गया लेआउट प्लान अब सेक्टर-108 में 116.5125 एकड़ परिमाप के क्षेत्रफल हेतु संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।
तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, एतद्द्वारा विद्यमान आबंटियों से उक्त कालोनी के लेआउट प्लान में उक्त संशोधन के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित हैं। लाइसेन्स नंबर 57/2013 दिनांकित 11-07-2013 तथा लाइसेन्स नंबर 114/2019 दिनांकित 12-09-2019 के माध्यम से जारी पूर्व अनुमोदित लेआउट प्लान और अब संशोधन हेतु प्रस्तावित लेआउट प्लान, मेमो नंबर एलसी-2755-सी/एडी(आरए)/2019/29609 दिनांकित 02-12-2019 के माध्यम से स्वीकृत, की प्रति कम्पनी की वेबसाइट : http://www.experion.co/ पर उपलब्ध है तथा कम्पनी के कार्यालय, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001 में तथा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (प्लानिंग), हुडा कार्यालय, सेक्टर-14, गुरुग्राम, हरियाणा के कार्यालय में भी देखी जा सकती है।
संशोधित लेआउट प्लान के संबंध में आपत्तिधारी कोई भी विद्यमान आबंटी अपनी आपत्ति डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (प्लानिंग), हुडा कार्यालय, सेक्टर-14, गुरुग्राम, हरियाणा के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें असफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि लेआउट प्लान में प्रस्तावित संशोधन के विषय में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 06-12-2019
एक्सपीरियन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुएना के अपने समकक्ष ममादी तुरे से गुरुवार को दिल्ली में मुलाकात की।

देशद्रोह मामले में

मुशर्रफ के खिलाफ 17 को सुनाई जाएगी सजा

इस्लामाबाद, 5 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। एक विशेष अदालत ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने दुबई में रह रहे मुशर्रफ और पाकिस्तान सरकार की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोक दिया था। इसके बाद, पिछले सप्ताह विशेष अदालत ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में पांच दिसंबर को बयान दर्ज कराने के लिए कहा था।

'जियो न्यूज' के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ के नेतृत्व वाली विशेष अदालत के तीन सदस्यीय पीठ ने बयान जारी किया।

नई अभियोजन टीम के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें मामले की तैयारी के लिए और समय की जरूरत है।

'डॉन न्यूज' के मुताबिक न्यायमूर्ति शाह ने कार्यवाही 17 दिसंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि वे अगली सुनवाई पर दलीलें सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे।

मुशर्रफ पर तीन नवंबर 2007 को आपातकाल लगाने के लिए देशद्रोह का मामला चल रहा है। पाकिस्तान की पूर्व मुसलिम लीग सरकार ने यह मामला दर्ज कराया था और 2013 से यह लंबित चल रहा है। दिसंबर 2013 में उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ आरोपी करार दिए गए और उसी साल सितंबर में अभियोजन ने सारे साक्ष्य विशेष अदालत के सामने रखे।

पाकिस्तान की विशेष अदालत ने घोषणा की

विशेष अदालत को 28 नवंबर को फैसला सुनाने से रोक दिया गया था

मुशर्रफ पर 3 नवंबर 2007 को आपातकाल लगाने के लिए देशद्रोह का मामला चल रहा है। पाक की पूर्व मुसलिम लीग सरकार ने यह मामला दर्ज कराया था। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में बताया गया था कि मुशर्रफ एक दुर्लभ किस्म की बीमारी अमिलॉइडोसिस से पीड़ित हैं।

अपीलीय मंचों पर याचिकाओं के कारण पूर्व सैन्य शासक के मुदकमे में देरी हुई और वह शीर्ष अदालतों और गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद मार्च 2016 में पाकिस्तान से बाहर चले गए। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में बताया गया था कि मुशर्रफ एक दुर्लभ किस्म की बीमारी अमिलॉइडोसिस से पीड़ित हैं। इस बीमारी के कारण बची हुई प्रोटीन शरीर के अंगों में जमा होने लगती है। फिलहाल मुशर्रफ इलाज करा रहे हैं।

'सूडान आग हादसे में ज्यादातर पीड़ित तमिलनाडु और बिहार के'

खारतूम, 5 दिसंबर (भाषा)।

सूडान में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की एक फैक्टरी में एक एलपीजी टैंकर में हुए धमाके की घटना में घायल और लापता भारतीय लोगों में से अधिकतर तमिलनाडु और बिहार के हैं। अधिकारी उन 18 भारतीयों के बारे में पता लगा रहे हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है।

भारतीय दूतावास ने उन भारतीयों की एक विस्तृत सूची जारी की है जो हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती हैं अथवा हादसे में बच गए हैं या लापता हैं। यह हादसा सूडान की राजधानी खारतूम के बाहरी इलाके में स्थित 'सीला सेरामिक फैक्टरी' में मंगलवार को हुआ था जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई जबकि 130 अन्य घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोगों में 18 भारतीय हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है।

हादसे के बाद सात भारतीय अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जिनमें से चार की स्थिति नाजुक है और 16 लापता हैं। पीड़ितों में छह तमिलनाडु से, पांच बिहार से, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से चार-चार, हरियाणा से दो जबकि दिल्ली और गुजरात के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। जो अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से जय कुमार, बुबलां और मोहम्मद सलीम तमिलनाडु से हैं जबकि रविदर सिंह और सुरेंद्र कुमार राजस्थान से हैं। अस्पताल में भर्ती नीरज कुमार बिहार से जबकि सोनू प्रसाद उत्तर प्रदेश के हैं।

लापता लागों की पहचान तमिलनाडु के राम कृष्ण, राज शेखर और वेंकट चलम, बिहार के राम कुमार, अमित तिवारी, हरिनाथ और नीतीश कुमार मिश्र, उत्तर प्रदेश के जीशान खान, मोहित और प्रदीप वर्मा, राजस्थान के भजन लाल और जयदीप, हरियाणा के पवन और प्रदीप, दिल्ली के इंतजार खान और गुजरात के बहादुर के रूप में की गई है।

मॉरीतानिया के पास हुआ हादसा

नौका पलटने से 58 प्रवासियों की मौत

डकार, 5 दिसंबर (एपी)।

गाम्बिया से आ रही नौका के मॉरीतानिया के निकट पलट जाने से कम से कम 58 व्यक्तियों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। नौका के पलट जाने के बाद कई प्रवासी तैरकर मॉरीतानिया पहुंचे जहां उनका उपचार चल रहा है और उनकी देखभाल की जा रही है।

नौका एक सप्ताह पहले गाम्बिया से रवाना हुई थी और इसमें महिलाओं व बच्चों समेत 150 लोग सवार थे। संयुक्त राष्ट्र प्रवासी एजंसी 'अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन' की

नौका एक सप्ताह पहले गाम्बिया से रवाना हुई थी और इसमें महिलाओं व बच्चों समेत 150 लोग सवार थे। एजंसी ने बताया कि कम से कम 83 लोग तैरकर तट पर आए गए। अज्ञात संख्या में घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।

मॉरीतानिया में अभियान प्रमुख लौरा लुंगारोट्टी ने कहा कि कैनरी द्वीप की ओर जा रही नौका ईंधन और भोजन लेने मॉरीतानियाई तट जा रही थी। उन्होंने कहा, 'कई डूब गए। जो लोग बच गए, वे तैरकर मॉरीतानिया के तट पर पहुंच गए।'

एजंसी ने बताया कि कम से कम 83 लोग तैरकर तट पर आए गए। अज्ञात संख्या में घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोई लापता है या नहीं। जीवित बचे लोगों ने बताया कि वे 27 नवंबर को गाम्बिया से रवाना हुए थे। इस संबंध में गाम्बिया की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जहां से हजारों लोग यूरोप पहुंचने की उम्मीद में हाल में रवाना हुए हैं। एजंसी के अनुसार गाम्बिया के छोटे आकार के बावजूद 2014 से 2018 के बीच वहां से 35000 से अधिक लोग यूरोप पहुंचे।

मध्य प्रदेश में बस हादसे में नौ लोगों की हुई मौत

रीवा (मध्य प्रदेश), 5 दिसंबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश में रीवा से लगभग 25 किलोमीटर दूर गुढ़ रोड पर गुरुवार सुबह कोहरे के कारण एक बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में बस में सवार नौ लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए।

हादसे में गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों को हर तरह की मदद देने की निर्देश दिए हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने बताया कि यह हादसा रीवा से लगभग 25 किलोमीटर दूर गूढ़ रोड पर सुबह 6.30 बजे हुआ जब कोहरे के कारण बस ने सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पांच पुरुष, तीन महिलाएं और छह माह का एक बच्चा शामिल है।

हादसे में गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि गंभीर रुप से घायलों को रीवा के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा पुलिस रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आइजी) चंचल शेखर ने बताया कि कोहरे के कारण दृश्यता खराब होने के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा निजी ट्रेवल्स की बस जबलपुर से सीधी जा रही थी।

उन्होंने कहा कि घायलों के अनुसार बस चालक तेज रफ्तार से बस चला रहा था। घटना के बाद से वह फरार है। आइजी ने बताया कि बस चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

2018 का फैसला अंतिम नहीं : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केरल के सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने संबंधी 2018 का फैसला अंतिम नहीं है क्योंकि इस मामले को वृहद पीठ को सौंप दिया गया है।

सबरीमला मामला

शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब भगवान अयप्पा की एक महिला श्रद्धालु बिंदु अमीनी की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह ने 2018 के फैसले के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सबरीमला मंदिर में प्रवेश का प्रयास करने वाली उनकी मुवक्किल पर हमला किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले पीठ ने संविधान पीठ के 14 नवंबर के फैसले का जिक्र रते हुए कहा कि 2018 का निर्णय अंतिम शब्द नहीं है क्योंकि यह मामला सात सदस्यीय पीठ के पास विचार के लिए भेजा गया है।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं को मुसलिम और पारसी समुदाय की महिलाओं के साथ भी होने वाले भेदभाव के मुद्दों के साथ दो के विपरीत तीन के बहुमत से सात सदस्यीय पीठ को सौंप दिया था।

प्याज की कीमतें संभालने में जुटी केंद्र सरकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 दिसंबर।

प्याज की आसमान छूती कीमतों पर विपक्ष के तीखे सवालों के बीच सरकार ने स्थिति संभालने की कोशिश शुरू कर दी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में चर्चा करने के लिए मंत्रिसमूह (जीओएम) की बैठक बुलाई। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों व शीर्ष अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की और संभावित उपायों पर चर्चा की। अधिकारियों के मुताबिक, इस बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया। बैठक में मंत्रिमंडलीय सचिव राजीव गौबा और प्रधानमंत्री के सलाहकार पीके सिन्हा भी उपस्थित थे।

खाद्य और आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान ने गुरुवार को एक के बाद कई ट्वीट कर प्याज की महंगाई की वजहें गिनाईं और बताया कि सरकार ने अब तक क्या किया है। उन्होंने कहा कि आयातित प्याज एक हफ्ते में बाजार में आ जाएगा। मिस्र और तुर्की से मंगाए जा रहे प्याज की खेप 15 दिसंबर तक मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 6090 टन प्याज मिस्र से और 11000 टन तुर्की से मंगाया है।

सहयोग सर्पदंश से पीड़ित महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए गांव में सड़क ही नहीं

बांस का स्ट्रेचर बना महिला को अस्पताल भेजा

पुणे, 5 दिसंबर (भाषा)।

सर्पदंश से पीड़ित 65 वर्षीय एक महिला को चिकित्सा सहायता दिलवाने के लिए स्थानीय लोगों को बांस का स्ट्रेचर बनाकर लगभग आठ किलोमीटर दूर पक्की सड़क तक दो घंटे का पैदल रास्ता तय करके ले जाना पड़ा क्योंकि इस छोटे से गांव में सड़क ही नहीं है।

महिला बारकाबाई सांगले के बेटे बाबू सांगले ने बताया कि स्ट्रेचर चादरों और बांस की बल्लियों से बनाया गया था। महाराष्ट्र के पुणे जिले के चांदार गांव में महिला को उसके घर से इसी स्ट्रेचर पर ले जाया गया। उन्हें खानापुर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद पुणे शहर के सरकारी ससून जनरल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहां महिला का इलाज चल रहा है।

स्थानीय लोगों के सहयोग से तैयार हुआ स्ट्रेचर

महिला के बेटे बाबू सांगले ने बताया कि उनकी मां को मंगलवार दोपहर में गांव में उनके घर के निकट सांप ने काट लिया था। उचूंकि वहां सड़क ही नहीं है इसलिए कोई वाहन गांव में नहीं आ सकता। जरा भी समय नहीं गंवाते हुए उनके भाई और स्थानीय लोगों ने इस तरह का स्ट्रेचर बनाया और दो घंटे चलकर पानशेट बांध के निकट पक्की सड़क तक पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि उनके गांव से करीब सात से आठ किमी तक सड़क ही नहीं है।

गांव के लोगों ने बताया कि उनके गांव से करीब सात से आठ किमी तक सड़क ही नहीं है।

उन्होंने बताया कि पहले यहां कच्ची सड़क हुआ करती थी लेकिन वह भी इस साल बारिश के कारण बह गई। ऐसे में जब भी कोई आपात स्थिति होती है तो लोगों को इसी तरह ले जाया जाता है।

Bank of Baroda (A Govt. Of India Undertaking) **बैंक ऑफ़ बड़ौदा** (भारत सरकार का उपक्रम)

ई-नीलामी सूचना

जेडओएसएआरबी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक **14.01.2020** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख एवं समय	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि
मैसर्स रंजीत प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि., 4316/192, 1 और 2, चौथा तल, सैनी मार्केट, बहादुरगढ़ रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006 और गारंटर – श्रीमती अलका निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली –110091, और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली –110092, श्री सतीश कुमार निगम, सी-191, तृतीय तल, आनंद विहार, नई दिल्ली-110092 श्री आशीष निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091 और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली –110092, श्रीमती कशिश निगम, 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091 और: मकान नं. 292, तृतीय, गगन विहार, दिल्ली-110092 श्रीमती ईशा त्यागी पत्नी तरुण त्यागी पुत्री स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम, (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी 2, द्वितीय तल, मानक विहार, कड़कड़डूमा, पूर्व, दिल्ली –110092	साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड मकान नं. 1917, वार्ड नं. 3, कुचौं कलाँ, खाड़ी बावली, दिल्ली-110006 में स्थित, भूमि क्षेत्रफल 80 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री रंजीत कुमार निगम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निगम के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – गली, पश्चिम में – सम्पत्ति नं. 1916, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में – रोड	₹ 82.00 लाख ₹ 8.20 लाख ₹ 0.50 लाख	**14-01-2020** को अपरा. 01.00 बजे से अपरा. 03.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी और सम्पर्क नं. श्री यश पाल चावला मो. 9584317482	**27-12-2017** रु. 4,13,48,253.99 (दिनांक 29.04.2017 तक ब्याज सहित) + अनापेक्षित ब्याज + अन्य खर्चे एवं प्रभार इत्यादि
श्रीमती पूजा मलिक पत्नी श्री सुमित मलिक पुत्री स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम, (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) निवासी के-31/1, जी.एफ. मॉडल टॉउन – 3, दिल्ली-110009 श्रीमती अलका निगम पत्नी स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091, और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली –110092 श्री आशीष निगम पुत्र स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम (स्वं. श्री रंजीत कुमार निगम के कानूनी उत्तराधिकारी) 123, श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली-110091, और: मकान नं. 292, तृतीय तल, गगन विहार, दिल्ली –11009			धरोहर राशि प्रेषित करने हेतु खाता नं. और IFSC कोड 00950200000743 BARB0CONNAU (5TH Character is to be read as 'zero')	

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 13-01-2020

सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय 07-01-2020 को पूर्वा 11.00 बजे अपरा 04.00 बजे तक

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार — नोट: आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

बिक्री नीचे वर्णित नियमों और शर्तों के अधीन होगी

1. ई-नीलामी का प्रस्ताव भौतिक कब्जा के आधार पर "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" प्रस्तावित किया जा रहा है। यह बोली लगाने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसंपत्तियों और विशिष्टताओं के बारे में स्वंय निरीक्षण करे और स्वंय को संतुष्ट करे। यह ई-नीलामी विज्ञापन किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं करता है और इसे किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता नहीं माना जाए।
2. नीलामी – सह बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
3. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
4. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम बोली राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
6. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान की अंतिम तारीख (दिनांक 13.01.2020) को अपरा. 05.00 बजे तक विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधेलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा (दिल्ली में देय होगा) उपर वर्णित तालिका के अनुसार, where 5th character of IFSC Code is '0' (Zero).
7. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों दिनांक 13.01.2020 को या उससे पहले अपलोड करें:
   क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
   ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
   ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण की स्वः प्रमाणित प्रति। इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
   घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
8. इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि., बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट क्लब के विपरीत, गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, श्री राम शर्मा – 06351896834 ईमेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, श्री नितिश झां, 7982880393, हैल्प लाईन : 079-61200595/520/548. हैल्प लाईन ईमेल: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बंधित किसी भी पूछताछ के लिए आप उपर वर्णित सम्पत्ति के प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस को कार्याविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।
9. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
10. प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
11. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
12. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
14. यहां ऊपर क्रम सं. 12 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
15. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
16. सभी सांविधिक देयताओं/एटेन्डेन्ट चार्जेज/पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
17. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
18. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
19. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
20. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।
    बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofbaroda.com पर दिए गए लिंक को देखें।

कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

कर्जदार/गारंटरों को एतद्द्वारा नीलामी की तिथि से पूर्व उपरिवर्णित राशि अद्यतन किए गए ब्याज और अनुषंगी व्ययों सहित अदा करने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष देयताएं, यदि कोई, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।

दिनांक : 06.12.2019, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

खबर कोना

मुंबई में गुरुवार को एक कार्यक्रम में भाग लेते टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना।

ओप्पो ने आइसीसी के साथ 2023 तक भागीदारी बढ़ाई

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (भाषा)।

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) के साथ अपनी भागीदारी चार साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की जो सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। ओप्पो इस तरह आइसीसी और इससे जुड़ी सभी आइसीसी प्रतियोगिताओं का अधिकारिक मोबाइल हैंडसेट और हेडसेट साझीदार बना रहेगा। इन प्रतियोगिताओं में दक्षिण अफ्रीका में आइसीसी अंडर-19 विश्व कप 2020 तथा आस्ट्रेलिया में अगले साल पुरुषों और महिलाओं दोनों का टी-20 विश्व कप शामिल है। आइसीसी के मुख्य कार्यकारी मनु साहनी ने कहा कि हम ओप्पो को बोर्ड में आइसीसी और इसकी प्रतियोगिताओं के वैश्विक साझेदार के तौर पर लाकर काफी खुश हैं। आइसीसी ने 2015 में ओप्पो के साथ चार साल की वैश्विक भागीदारी की घोषणा की थी।

कोहली को तेंदुलकर के स्तर पर नहीं रखता : रज्जाक

कराची, 5 दिसंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक का मानना है कि विराट कोहली के प्रदर्शन में निरंतरता है लेकिन वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के स्तर के नहीं हैं। उनका मानना है कि कुल मिलाकर दुनिया भर में क्रिकेट का स्तर घटा है। उन्होंने कहा कि हमें विश्व स्तर के वैसे खिलाड़ी अब नहीं दिख रहे जिनके खिलाफ हम 1992 से 2007 के बीच खेले। टी-20 क्रिकेट ने खेल को बदल दिया है। गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण में कोई गहराई नहीं है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को देखिए, जब वह रन बनाते हैं तो बनाते चले जाते हैं। हां, वह अच्छे खिलाड़ी हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें सचिन तेंदुलकर के स्तर पर नहीं रखता।

विंडीज से पहला मुकाबला आज

अगले साल टी-20 विश्व कप के लिए भारत की निगाहें राहुल और पंत पर

हैदराबाद, 5 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय टीम शुक्रवार से वेस्ट इंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की टी-20 श्रृंखला में अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए खिलाड़ियों को आजमाना जारी रखेगी। इस श्रृंखला में लोकेश राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी टीम में अपना स्थान पक्का करने का लक्ष्य बनाए हुए होंगे। विश्व कप की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम में कई खिलाड़ियों का स्थान अभी पक्का नहीं है। वे सभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे।

चोटिल सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की अनुपस्थिति में यह श्रृंखला लोकेश राहुल के लिए रोहित शर्मा के जोड़ीदार के तौर पर स्थान सुनिश्चित करने का मौका प्रदान करेगी। उनका टी-20 में अच्छा रेकार्ड है। राहुल ने 31 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 42.74 के औसत से 974 रन जुटाए हैं। राहुल के अलावा पंत भी प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब देना चाहेंगे।

चयनकर्ताओं ने संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है और धोनी के ब्रेक से वापसी की बातें होने लगी हैं। इससे अब पंत के लिए यह मौका है कि वह प्रदर्शन करें और अपना स्थान पक्का करें या फिर गंवा दें। सैमसन के लिए भी यह श्रृंखला अहम होगी। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 टीम में शामिल किया गया था लेकिन केरल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज को श्रृंखला में एक भी मौका नहीं मिला।

टीमें

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी।

वेस्ट इंडीज : किरेन पोलार्ड (कप्तान), फेबियन एलेन, ब्रैंडन किंग, दिनेश रामदीन, शेल्डन कॉटरेल, एविन लुईस, शेरफाने रदरफोर्ड, शिमरोन हेटमेयर, खारी पियरे, लेंडिल सिमंस, जैसन होल्डर, हेडन वॉल्श जूनियर, कीमो पॉल और केसरिक विलियम्स।

ऋषभ पंत

अब 'फ्रंट फुट नोबॉल' पर फैसला तीसरा अंपायर करेगा

दुबई, 5 दिसंबर (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आगामी श्रृंखला में 'फ्रंट फुट नोबॉल' पर फैसला मैदानी अंपायर नहीं बल्कि तीसरा अंपायर करेगा। श्रृंखला हैदराबाद में टी-20 मैच से शुरू होगी। इसके दौरान ही 'फ्रंट फुट नोबॉल' पर फैसला करने की तकनीक को ट्रायल पर रखा जाएगा।

आइसीसी ने बयान में कहा कि पूरे ट्रायल के दौरान प्रत्येक फेंकी गई गेंद की निगरानी की जिम्मेदारी तीसरे अंपायर पर होगी। उन्हें ही पता करना होगा कि कहीं गेंदबाज का पांव रेखा से आगे तो नहीं पड़ा।

गेंदबाजी की बात की जाए तो कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार टी-20 टीम में वापसी कर रहे हैं। भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण भी भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी की वापसी से पैना दिखता है।

वहीं वेस्ट इंडीज की टीम अगस्त में अपनी सरजमीं पर भारत से 0-3 से हारने का बदला चुकता करना चाहेगी। उसे बहुत अच्छी टी-20 टीम माना जाता है और यह उनके पक्ष में रहेगा कि उन्होंने लखनऊ में अफगानिस्तान के साथ पूरी श्रृंखला खेलकर खुद को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लिया है। किरेन पोलार्ड कप्तानी की जिम्मेदारी बखूबी निभाना चाहेंगे जबकि निकोलस पूरन गेंद से छेड़छाड़ के कारण लगे चार मैचों के प्रतिबंध की वजह से पहला टी-20 मैच नहीं खेल पाएंगे। इससे वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी लाइन अप की जिम्मेदारी शाई होप और शिमरोन हेटमेयर पर होगी।

युवा प्रतिभाओं को 'गिद्धों' से बचाना जरूरी : पोलार्ड

हैदराबाद, 5 दिसंबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज की टी-20 टीम के कप्तान किरेन पोलार्ड ने गुरुवार को कहा कि उनके देश के युवा क्रिकेटरों को 'खेल के गिद्धों' से बचाने की जरूरत है। वेस्ट इंडीज ने भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम में कुछ युवा खिलाड़ियों को रखा है।

पोलार्ड का मानना है कि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए पर्याप्त मौके मिलने चाहिए।

पोलार्ड ने कहा कि ब्रेंडन किंग और केसरिक विलियम्स काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। यह अच्छा है कि सीपीएल (कैरेबियाई प्रीमियर लीग) से हमें युवा खिलाड़ी मिल रहे हैं। वे वेस्ट इंडीज का प्रतिनिधित्व करने को लेकर उत्साहित हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम एक व्यक्ति के तौर पर लोगों के बारे में बहुत जल्दी राय बना देते हैं।

उन्होंने कहा कि हमें संयम बरतने की जरूरत है। आखिर में हमें परिणाम चाहिए लेकिन कई बार आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ता है। हम दुनिया को इस प्रतिभा का परिचय कराने के लिए तैयार हैं कि वे क्या कर सकते हैं। कई बार आपको इन्हें सुरक्षा देने की और गिद्धों से बचाने की जरूरत पड़ती है। युवा खिलाड़ी जैसे ब्रेंडन किंग, खारी पियरे और हेडन वाल्श जूनियर को भारतीय दौरे के लिए अनुभवी खिलाड़ियों पर प्राथमिकता दी गई है।

खेल साहित्य महोत्सव में हिस्सा लेंगे दुती और लक्ष्मण

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (भाषा)।

इकमारा साहित्य खेल महोत्सव के दूसरे सत्र का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। यह दो दिवसीय महोत्सव 14 दिसंबर को शुरू होगा। एशिया का पहला और सबसे बड़ा खेल साहित्य महोत्सव कहे जाने वाले इस महोत्सव में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय खेल जगत के कई बड़े नाम हिस्सा लेंगे। इसमें फर्राटा धाविका दुती चंद, पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, मुरली कार्तिक, मोंटी पनेसर और चक्का फेंक की खिलाड़ी कृष्णा पूनिया शामिल हैं।

माइकल सेक्सटन और क्रिस्टन वोर्ले जैसे खेल लेखक भी इस महोत्सव के लिए आएंगे। इस महोत्सव के दौरान इंग्लैंड के स्पिनर मोंटी पनेसर की किताब 'द फुल मोंटी' का भारत में विमोचन किया जाएगा।

होसजू ने जीता 60वां स्वर्ण पदक

ग्लास्गो, 5 दिसंबर (एएफपी)।

हंगरी की कांतिका होसजू ने यूरोपीय शॉर्ट कोर्स तैराकी चैंपियनशिप में 60वां अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक और करिअर का 90वां अंतरराष्ट्रीय पदक जीता। 'आयरन लेडी' के नाम से मशहूर 30 साल की होसजू ने 400 मीटर मेडले में चार मिनट 25.10 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस चैंपियनशिप में अपना पहला पदक 15 साल पहले विएना में जीता था।

भारत ने चौथे दिन जीते 56 पदक, सैग में पूरा किया पदकों का शतक

काठमांडो, 5 दिसंबर (भाषा)।

वुशु खिलाड़ियों और तैराकों के दमदार प्रदर्शन से भारत ने दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) के चौथे दिन 56 पदक जीते। इससे उसके कुल पदकों की संख्या सैकड़े को पार कर गई है। भारत ने खेलों के किसी एक दिन अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसके नाम पर अब 62 स्वर्ण, 41 रजत और 21 कांस्य पदक सहित कुल 124 पदक दर्ज हो गए हैं। वह दूसरे नंबर पर काबिज नेपाल से काफी आगे निकल गया है।

नेपाल ने 36 स्वर्ण, 27 रजत और 38 कांस्य पदक जीते हैं और वह 101 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका (17 स्वर्ण, 35 रजत और 55 कांस्य) तीसरे स्थान पर है। भारत ने गुरुवार को 30 स्वर्ण, 18 रजत और आठ कांस्य पदक जीते। भारत ने अधिकतर पदक तैराकी, वुशु, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स में जीते।

मैरी कॉम ने आइबीएल में पंजाब पैंथर्स को दिलाई जीत

ग्रेटर नोएडा, 5 दिसंबर (भाषा)।

दिग्गज मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने गुरुवार को अपना मुकाबला आसानी से जीता। इससे पंजाब पैथर्स ने बांबे बुलेट्स को 5-2 से हराकर बिग बाउट मुक्केबाजी लीग में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। मैरी कॉम ने रियो ओलंपिक-2016 कांस्य पदक विजेता इंग्रीड लोरेना को 5-0 से हराया।

मनोज कुमार की पुरुषों के 69 किग्रा भार वर्ग में मुंबई के नवीन बोरा के हाथों हार से पंजाब को झटका लगा था लेकिन मैरी कॉम ने उसे शानदार वापसी दिलाई। इससे पहले पंजाब पैंथर्स के अब्दुल मलिक खालाकोव और पीएल प्रसाद ने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई।

> *मनोज* कुमार की पुरुषों के 69 किग्रा भार वर्ग में मुंबई के नवीन बोरा के हाथों हार से पंजाब को झटका लगा था

युवा ओलंपिक चैंपियन अब्दुल मलिक ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भारवर्ग में एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता कविंदर बिष्ट को हराया। पीएल प्रसाद ओड़ीशा वॉरियर्स के खिलाफ पहले मैच में हार गए थे लेकिन गुरुवार को उन्होंने अनंत चोपाड़े को हराकर वापसी की। बुधवार को गुजरात जाइंट्स ने ओडीशा वॉरियर्स को 5-2 से हराया था। गुजरात के लिए सरिता देवी, मोहम्मद हुसामुद्दीन, अमित पंघल, राजेश नरवाल और आशीष कुमार ने अपने-अपने मुकाबले जीते थे। ओड़ीशा के लिए जेखांगीर राखमानोव और नमन तंवर ही मुकाबला जीतने में सफल रहे।

दिग्गज क्रिकेटर बॉब विलिस का निधन

लंदन, 5 दिसंबर (एएफपी)।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ 1981 में इंग्लैंड को हेडिंग्ले टैस्ट में नाटकीय जीत दिलाने वाले दिग्गज तेज गेंदबाज बॉब विलिस का निधन हो गया। उनके परिवार ने यह घोषणा की। वह 70 बरस के थे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान विलिस ने 90 टैस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 25.20 की औसत से 325 विकेट हासिल किए। वह 300 से अधिक टैस्ट विकेट हासिल करने वाले इंग्लैंड के पांच गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने 1984 में टैस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा।

विलिस ने 1981 एशेज श्रृंखला में सुर्खियां बटोरी थीं जब हेडिंग्ले में तीसरे टैस्ट में उन्होंने 43 रन पर आठ विकेट चटकाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। विलिस को तीन साल पहले प्रोस्टेट कैंसर का पता चला था और दो महीने से उनके स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई थी। हाल में हुए स्कैन में खुलासा हुआ था कि उनका कैंसर बढ़ गया है।

विलिस परिवार ने बयान में कहा कि हमारे प्रिय बॉब को गंवाने से हमारा दिल टूट गया है जो शानदार पति, पिता, भाई और दादा थे। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शोक जताते हुए कहा कि वह जिसको भी जानते थे उस पर उन्होंने बड़ा प्रभाव डाला और हमें उनकी कमी खलेगी। उन्हें उनके असाधारण करिअर के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।

आइसीसी ने जताया शोक : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने बॉब विलिस के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें खेल के सबसे बड़े हीरो में से एक करार दिया। आइसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी ने बयान जारी करके वैश्विक संस्था की ओर से शोक जताया।

साहनी ने कहा कि बॉब के निधन की खबर सुनकर हम काफी दुखी हैं और आइसीसी की ओर से मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जाहिर करता हूं। उन्होंने कहा कि बॉब अपने समय के सबसे बड़े क्रिकेट हीरो में से एक रहे, एक ऐसा तेज गेंदबाज जिसे दुनिया भर में सम्मान मिला। उन्होंने आक्रामकता के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई की और 1970 व 1980 के दशक में क्रिकेट देखने वाले लोगों के दिमाग में उनके गेंदबाजी के लिए दौड़ते हुए आने की छवि छपी हुई है।

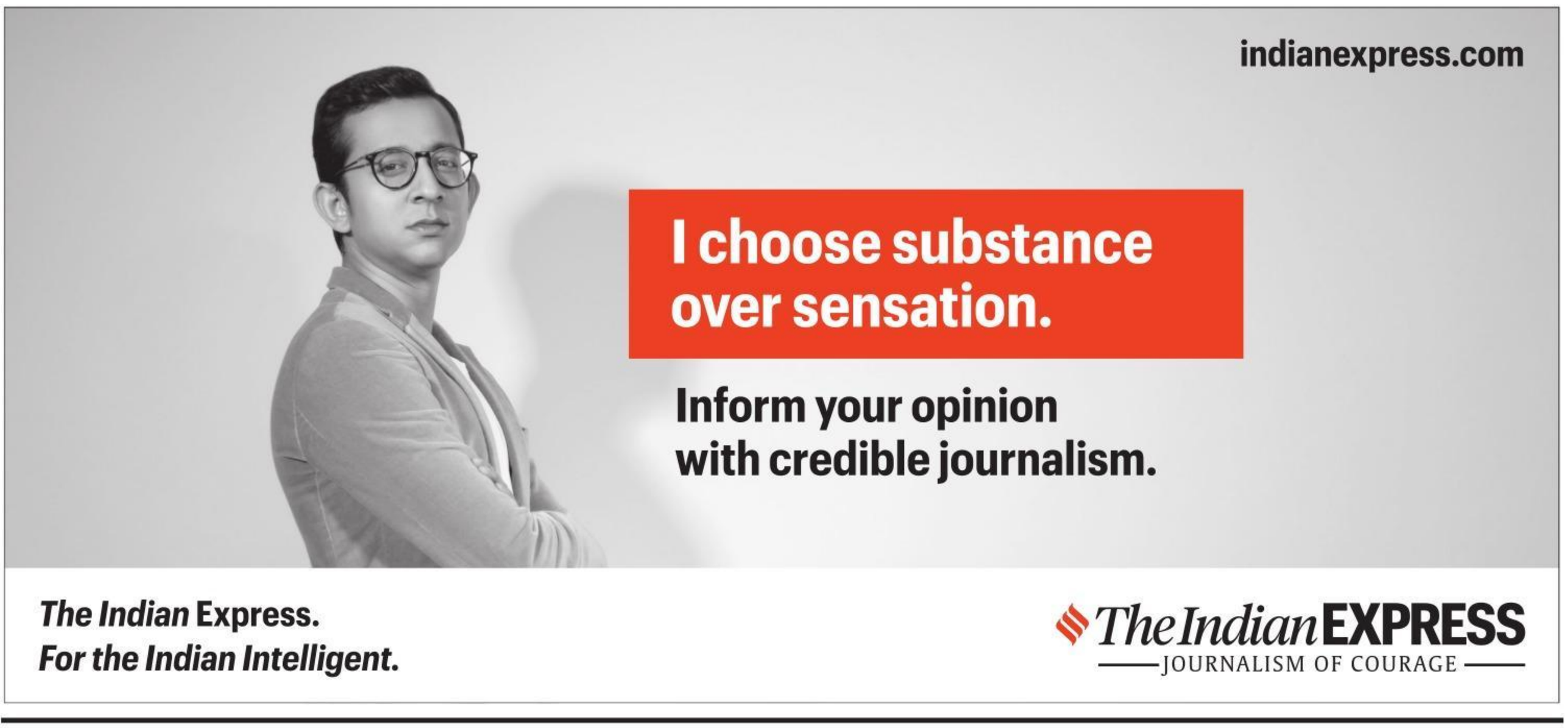

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 19, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com